खुला विषयवस्तु वाले अनुज्ञापत्र
(ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्सेज़)
की सहयोगी दिग्दर्शिका

संस्करण : १.२

"सांस्कृतिक सृजना के पीछे लगने वाली यदि कोई अदृश्य शक्ति है तो वह खुला विषयवस्तु अनुज्ञप्तिकरण (**ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्सिगं**) **ही है ।"**

– कार्ल मार्क्स (**डिजिटल युग के लिए परिमार्जित**)

लेखक	:	**लॉरेन्स लिअङ**
भाषांतरकार	:	**सौरभ राज**
सम्पादिका	:	**डा. संजीता वर्मा**
तकनीकी सम्पादक	:	**हेमपाल श्रेष्ठ**
साजसज्जा	:	**नवराज पुरी**
ISBN	:	**978-99946-918-3-8**

इस पुस्तिका का पहला अंग्रेजी संस्करण पिट ज्वार्ट इन्स्टिच्यूट, इन्स्टिच्यूट फॉर पोस्टग्रेजुएट स्टडिज़ एन्ड रिसर्च, विलियम डे कुनिगं, एकेडेमी होगे स्कूल रोटरडैम ने प्रकाशित किया था ।

इस हिन्दी संस्करण का प्रकाशन बेलानेट एशिया (www.bellanet.org) और साप नेपाल (www.sapnepal.org.np) के सहयोग से किया गया है ।

मुद्रण : **साप-पब्लिशिङ्ग हाउस**
साप फल्चा, बबरमहल, काठमाण्डू, नेपाल
पोस्ट बॉक्स : ३८२७, **फोन** : ४२२३२३०

इस किताव का पूरा अंश हमारे वेबसाइट www.bellanet.org और www.sapnepal.org.np में उपलव्ध हैं ।

इस किताब के अंग्रेजी संस्करण की पूर्ण प्रतिलिपि http://pzwart.wdka.hro.nl/mdr/research/lliang/open_content_guide/ cf}/ http://media.opencultures.net/open_content_guide/ में उपलव्ध हैं ।

खुला विषयवस्तु वाले अनुज्ञापत्र (ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्सेज़) की सहयोगी दिग्दर्शिका

संस्करणः १.२

टेन्स लिअङ

खुला विषयवस्तु वाले अनुज्ञापत्रों (ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्सेज़) की सहयोगी दिग्दर्शिका साझा सृजना – श्रेय-गैरव्यापारिक - समान अनुज्ञप्ति प्रति (क्रिएटिव कॉमन्स - एट्रिब्युशन - नॉन कमर्शियल - शेयर अलाइक) २.० अनुज्ञापत्र के अनुसार प्रकाशित है ।

आप को निम्नलिखित काम करने की स्वतन्त्रता है :

- कृति की प्रति निकालने, वितरण, प्रर्दशनी और मञ्चन करने की ।
- व्युत्पन्नातमक (डेरिवेटिव) कार्य करने की ।

लेकिन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर :

श्रेय (अट्रिब्युशन) : मुख्य लेखक को श्रेय देना होगा ।

गैरव्यापारिक (नॉन कमर्शियल) : आप इस कृति को व्यापारिक प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं ।

समान अनुज्ञप्ति प्रति (शेयर अलाइक) : यदि आप मुख्य प्रति में वदलाव लाते हैं, रुपान्तर करते हैं या इसमें कुछ नया समावेश करते हैं तो रचना को आप केवल इस प्रकार के अनुज्ञापत्र के अन्दर वितरण कर सकते हैं ।

- किसी भी पुनः प्रयोग और वितरण के लिए आप इस कृति या कार्य के शर्तों को दूसरों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं ।
- यदि प्रतिलिपि अधिकारधारी से अनुमति मिली तो किसी भी शर्त को नज़रअन्दाज़ किया जा सकता है ।

उपरोक्त दो बिंदुओं से आपके न्यायसगंत प्रयोग और अन्य अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

पूराअनुज्ञापत्रः

http://creativecommons.org/licence/by_nc_q/2.0/legalcode
© प्रतिलिपि अधिकार (२००४, लॉरेन्स लिअङ, पिट ज्वार्ट इन्स्टिच्यूट)

विषय - सूची

परिचय ७

अध्याय १
प्रतिलिपि अधिकार (कॉपीराईट) का श्यामश्वेत (और भूरा) १३

अध्याय २
प्रतिलिपि अधिकार साझा हस्तान्तरण (कॉपीलेफ्ट) की सान्दर्भिकता २३

अध्याय ३
खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्रों का सामान्य स्वभाव व चरित्र ४५

अध्याय ४
खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्रों के क्षेत्राधिकार (डोमेन) का नक्शांकन ५७

अध्याय ५
मुख्य खुला विषयवस्तु वाले अनुज्ञापत्र का तुलनात्मक अध्ययन ६३

और अधिक अध्ययन १०९

शब्द संग्रह ११७

परिचय

वर्तमान परिवेश में प्रतिलिपि अधिकार एक प्राविधिक कानूनी और कठिन विषय से भी अधिक संगीतकार, कलाकार, विद्यार्थी, लेखक, सामान्य उपभोक्ता और खास कर जो कोई भी सांस्कृतिक उत्पादन से जुडा हो को प्रभावित करने वाला सवाल बन गया है । प्रतिलिपि अधिकार का प्रश्न हमें समाचारपत्रों, इमेल के जरिए रोज़ाना परेशान करता है । आने वाले कुछ और सालों में यह हमारे सृजनात्मक सोच पर महत्वपूर्ण असर डालेगा, जैसे सम्पति के अनन्य स्वामित्व का प्रसंग हो या संयुक्त स्वामित्व का । यह एक ऐसा सवाल है जिसमें सभी सृजकों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है । यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसे केवल वकीलों पर छोड दिया जाए ।

यह पुस्तक खुला विषयवस्तु (ओपन कन्टेन्ट) अनुज्ञा पत्रों की दुनिया का परिचय कराने मे सहयोग करता है और यह हाल में प्रचलित प्रतिलिपि अधिकार के तौर तरिकों के महत्वपूर्ण विकल्प के स्वरुप में तेजी से उभरता जा रहा हैं ।

खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्रों (ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्सेज़) के कार्यों से (जिसका हम आगे चलकर विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे) भारी जनसख्या को फायदा हो रहा है । उदाहरणस्वरुप :

- एक वेबसाइट सृजक जो अपना साइट अनन्तकाल तक स्वतंत्र और सार्वजनिक सम्पदा बनाना चाहता है । आप किसी को भी अनुमति लिए बगैर अपना साइट किसी अन्य प्रयोजन के लिए देखने व समान्तर प्रति बनाने और उसका प्रयोग करने देना चाहेंगे । लेकिन सृजक के मृत्यु पश्चात केवल प्रतिलिपि

अधिकार के नियमों के कारण साइट की निरन्तरता तथा समान्तर प्रति बनाने का कार्य ७० वर्षों तक के लिए गैरकानूनी नहीं होनी चाहिए ।

- एक संगीतकार या बैण्ड टोली जो चाहता है कि आपके गीत संगीत बहुसंख्यक श्रोता तक पहुँचे और आप निर्णय करते हैं कि अनलाइन प्रस्तुति करना एक अच्छी सोंच होगी । लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि आपके गीत-संगीत का कोई भी मनुष्य व्यापारिक प्रयोग आपके अनुमती के बगैर न करे ।

- एक आवधिक फोटोग्राफर या डिजाइनर जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का प्रयोग किए जाने पर या औरों के साथ आदान प्रदान किये जाने पर कोई समस्या नहीं होगी । प्रयोगकर्ता आपको सृजक का श्रेय देता है और हरेक प्रयोग के समय आपको यथोचित सम्मान देता है ।

- एक वृत्तचित्र या प्रयोगात्मक फिल्म निर्माता आपके चित्रांश दूसरों के साथ आदन प्रदान करता है और फिल्म बनाने के काम में उनके अंशो का उपयोग करने के लिए भी आपको अनुमति देना चाहता है ।

- कोई जो हाल विद्यमान आकृति, संगीत, विडियो आदि अन्य सृजनात्मक सामग्री साथ मिलाकर नया संस्करण या पुर्नमिश्रण करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वह भारी राशी या उच्च रोयल्टी देने में असक्षम है या कोई और जो चाहता है कि दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति आपकी कृति का प्रयोग करे या अपने कृतियों के साथ समावेश करे ।

- एक कलाकार जिसका काम आधारभूत स्तर पर उपलब्ध कामों का नकल करना है, जैसे हास्यानुकृति (पैरोडी) बनाना, नकल या उपसंस्करण सृजना करना ।

- एक ढाँचाकार (डिजाइनर) जो दूसरे ढाँचाकार के साथ मिलकर या किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों के नजदीक रहकर उनके कार्य का प्रयोग करके या अपने काम में समावेश करके संयुक्त सृजना करना चाहता है ।

- एक अध्यापक जो आपके पाठ्यक्रम को दूसरों को उपलब्ध करा कर, उसकी समीक्षा या समालोचना करके या उसमें कुछ काट-छाँट कर उसमें सुधार लाना चाहता है ।

- एक विद्वान लेखक, आलोचक या निबंधकार जो यह चाहता हो कि उसके लेख एवम उसकी रचनायें शिक्षालयों, पुस्तकालयों या आम लोगों तक पहुँच सकें, ना कि वह कोई प्राज्ञिक प्रकाशन या पुस्तक प्रकाशन गृह को प्रतिलिपि अधिकार देकर इसके पहुँच मे बाधा डाले जो रचनाकार को सामान्यतः पैसे भी नहीं देने पर सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक से अधिक भुगतानी करने के लिए बाध्य करता है ।

- एक नाटक्कार जो ऑनलाइन तत्वावधान में प्रयोगात्मक नाटक लिखना चाहता है और चाहता है कि सभी सहभागियों को यह उपलब्ध हो और दूसरा कोई यदि उस नाटक का दूसरा संस्करण निकालता है तो उसे भी वही स्वतन्त्रता औरों को देना होगा ।

- वह व्यक्ति, जो विद्यमान सामग्री के प्रयोग के लिए कृति का अधिक रोयल्टी नहीं चुका सकता। खास कर विकासशील देशों में जहाँ उच्च मूल्य एक समस्या है। ऐसी स्थिति में खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों के तहत सामग्रियों का प्रयोग किया जाना सांदर्भिक हो जाता है। आप भी अपनी कृति या कार्य दूसरों को भी उतनी ही स्वतन्त्रता के साथ खुली शर्तों में उपलब्ध कराते हैं।

- कोई सास्कृतिक सृजक जो प्रतिलिपि अधिकार को एकाधिकार व्यवस्था में जोड देने से तंग आ गया है और दूसरा विकल्प ढूढं रहा है।

ऐसा हुआ तो अनुज्ञापत्र की दुनिया में क्या गलत है ? हम उसके विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। अनुज्ञापत्र क्या एक प्रणाली नहीं है जिसका प्राथमिक उद्धेश्य सृजकों के हितों को बचाना और सृजना करने के लिए उत्साहित करना है ?

वैसे तो प्रतिलिपि अधिकार का उद्देश्य शुरु से सृजकों को उत्प्रेरित करना था लेकिन अब आकर प्रतिलिपि अधिकार का यह काल्पनिक दावा करना उचित नहीं है। निम्नलिखित बिंदुओं का मनन करें :

- अधिकतर सृजक या लेखकों में से बहुत ही कम के पास अपनी कृति का प्रतिलिपि अधिकार है। प्रायः रेकॉर्डिंग कम्पनी या प्रकाशक या वह व्यक्ति जो इस काम का ठेका देता है उसे ही यह हस्तान्तरण हो जाता है। जिस देश में कानूनी रुप में प्रतिलिपि अधिकार हस्तान्तरण नहीं किया जा हो सकता, वहाँ भी अधिकांश प्रकाशक लेखकों या संगीतकारों से

सम्झौता पत्र पर हस्ताक्षर करा के एकल वितरण अधिकार का मालिक बन जाता है ।

- संगीतकारों को उतनी अधिक आय गीतों की रेकॉर्ड बिक्री के स्वामित्वाधिकार (रोयल्टी) से नहीं होती है जितना कि खुला प्रदर्शन या मंचन से । वो लेग भी अपने कामों को बेचते हैं जैसा कि निर्माता या डिजाइनर करते हैं ।

- केवल आर्थिक उत्प्रेरणा ही किसी मनुष्य के सांस्कृतिक क्रियाकलाप का कारण नहीं हो सकता है । इसके बावजूद भी खुला विषयवस्तु सामग्री अपने काम से आर्थिक आय आर्जन में किसी को बाधा नहीं पहुँचाता ।

प्रतिलिपि अधिकार एक संतुलित प्रणाली के तौर पर शुरु हुआ था जो सृजको को हौसला देता था और चाहता था कि सार्वजनिक अधिकार (पब्लिक डोमेन) क्षेत्र में भी उसकी कृति का स्वतन्त्र वितरण हो सके जिस पर और सृजक भी काम कर सकें । उदाहरण के तौर पर प्रतिलिपि अधिकार स्पष्ट रुप में सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक क्रियाकलापों का एक वैकल्पिक गैरव्यापारिक वितरण मार्ग के रुप में अनुमति देता है और दे रहा है । समय के साथ ही यह संतुलन विषयवस्तु के स्वामित्व धारकों के पक्ष में, जैसे कि बड़े प्रकाशन गृह, आम संचार प्रतिष्ठान आदि की ओर झुकता जा रहा है । वास्तव में प्रतिलिपि अधिकार को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जो सृजनशीलता को नियन्त्रित कर सके । प्रतिलिपि अधिकार से अलग या दूर होने से पहले सामान्य व्यक्ति, कलाकार ओर सृजकों के हित को देखते हुए प्रतिलिपि अधिकार को एक बार फिर से देखना जरुरी है ।

प्रतिलिपि अधिकार (कॉपीराईट) का श्यामश्वेत और (भूरा)

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर प्रतिलिपि अधिकार एक नयी बात है ,और किसी भी तरीके से यह परापूर्व काल की सार्वजनिक मान्यता नहीं है। प्रतिलिपि अधिकार का कानून पश्चिमी समाज में १८ वीं शताब्दी में शुरु हुआ। युरोप में पुनर्जागरण काल में प्रकाशक किसी भी चर्चित पुस्तकों को प्रकाशित करते समय उनके लेखकों से इजाजत नहीं लेते थे और ना ही उसके बदले में उन्हें कुछ देते थे। यही प्रतिलिपि अधिकार के जन्म का कारण बना जो कि मुद्रण कम्पनी को एक सही तौर तरीका सिखा सके। कलाकारिता सम्बन्धी प्रतिभा के जन्म के साथ प्रतिलिपि अधिकार सृजनशीलता का सामान्य सास्कृतिक सम्भौता बन गया। लेखन और सृजनशीलता के विचारों को औपचारिक रुप में सस्थागत करने से पहले प्रतिलिपि करना महत्वपूर्ण माना जाता था। उदाहरण के तौर पर कन्फयुसिस ने एक पुस्तक लिखा और कहा, “मैने अन्त में अपनी सर्वोच्च कृति तैयार कर ली है और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि इसके भीतर का कोइ भी विचार मेरा नहीं है।”

जब विश्वव्यापी पूँजीवाद (कैपिटलिज्म) का बिस्तार हुआ, प्रतिलिपि अधिकार लेखकों और कलाकारों के हाथों से फिसल कर कम्पनियों के हाथों में जा पहुँची। इन्टरनेट और आम

संचार (डिजिटल मिडिया) ने असली और नकली कॉपी के बीच की भिन्नता मिटाने की भी कोशिश की लेकिन बदलते कानून में इसे कृत्रिम तरीके से निरन्तरता दी गई है। फलस्वरुप, प्रतिलिपि अधिकार अपना मुख्य काम जो प्रकाशक संस्था को कानून सम्मत बनाना था, वह छोड़ दर्शक, कलाकार और ग्राहकों को कानूनसम्मत बनाने की ओर परिवर्तित हो गया है।

परम्परागत रुप में प्रतिलिपि अधिकार की सान्दर्भिकता सांस्कृति तथा कलाकारिता में कम था व्यापारिक मुद्रण प्रकाशन की विधा के अलावा। कुछ उदाहरण :-

वास्तव में प्रतिलिपि अधिकार, संसार की लोकप्रिय सांस्कृति के परम्परागत रुपों की ग्रन्थकारिता, मौलिकता और में कोई मायने नहीं रखता है। उदाहरण के लिए, लोककथा और लोकगीत, सार्वजनिक अधिकार (पब्लिक डोमेन) क्षेत्र में किसी का भी नाम उल्लेखित किये बिना समग्र मे सृजित होते हैं। साथ ही यदि इस में रुपान्तरण, परिवर्तन या एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना हो तो यह इसी तरीके से बढ़ाया जाता है और इसे भी संस्कृति के विकास का एक हिस्सा माना जाता है।

वाल्ट डिज़नी कार्पोरेशन ने अपनी अधिकांश आय सार्वजनिक क्षेत्र की लोक कथाएं जैसे स्नो ह्वाइट और सिन्दबाद को सार्वजनिक क्षेत्र से हटाकर एकाधिकार स्वामित्व की फिल्मे का प्रतिलिपि अधिकार युक्त बेचने वाली चीज में परिणत कर के किया है। आज वाल्ट डिज़नी एक ताकतवर कम्पनी है जो डिजिटल आम संचार के चरम प्रतिलिपि अधिकार के राजनैतिक क्षेत्र के प्रायोजकों को बढावा देती है।

उच्च सास्कृति और नैतिक सिधान्त की कृतियों पर भी यही बात लागू होती है । इस में भी किसी का नाम उल्लेखित हुए बिना समूहगत रुप से अपना कौशल प्रस्तुत किया जाता है । उदाहरण के तौर पर होमर का महाकाव्य "एक हजार एक रातों की दास्तान" जिसे कथा वक्ता ने ही फैलाया है, इसका आधिकारिक और मूल लिखित संस्करण का कभी कोइ अस्तित्व नहीं रहा है । आधुनिक दर्शनशास्त्री यह मानते है कि यह कथाएँ फारसी स्रोता से उद्धृत की गई है जो इससे पहले भारतीय कृति से रुपान्तर किये गए थे ।

मध्यकाल और पुनर्जागरण में मूल ग्रन्थकारिता को कम उत्साहित ही नहीं बल्कि अनादर होते हुए भी पाया गया है । डॉन क्विकजोट के प्रस्तावना में मिगुएल डि सरवेन्टिस ने अपने उपन्यास के अरबी स्रोतों पर आधारित रहने का गलत दावा किया था । साहित्यिक कृतियों में यह एक प्रचलन था कि नयी कहानियाा ना लिखकर पूर्नलेखन कर उसे प्रतिस्ठित सूची में शामिल कया जाये । जैसे कि क्रिस्टोफर मारलो के फाँस्टस को जोहान वुल्फगैंग गेटे, फर्नान्डो पेस्सोआ, अल्फ्रेड जेरी, टौमस मैन से लेकर मिकेल बुटोर तक ने किया ।

२०वीं शताब्दी तक और जब रिकॉर्डिङ उद्योग का उदय हो रहा था तव तक प्रतिलिपि अधिकार को किसी ने महत्व के साथ नहीं देखा था । और ना ही इसने संगीत कम्पोजिशन में कोई महत्वपूर्ण सहयोग किया । संगीत रचनाएँ सहज रुप में एक कम्पोजर से दूसरे कम्पोजर तक कॉपी की जाती थी या उन्हें अपने तरीके से प्रस्तुत किया जाता था । उदाहरण के रूप में :- बौश का कनसर्टो इन डी मेजर बी डब्लू वी ९७२, विवाल्डी का लि एस्त्रो हार्मोनिका के गीत नाइन्थ मुवमेन्ट में फिर से किया गया वृन्दवादन (रिआर्केस्ट्रेशन) →

था । साथ ही १९ वीं शताब्दी तक बीथोवेन के डाएबेली भेरिएशन जो की अस्ट्रियन एंटोन डाइबेल्ली दारा लिखित वाल्च की ८३ विभेद (भेरियेशन) है और ब्लूज संगीत का सम्पूर्ण ढाँचा जो की वस्तुतः एक गीत ट्वेल्थ बार हारमोनिक स्कीम का ही एक विभेद (वेरियेशन) है ।

अभी तक दृश्य कला प्रतिलिपि अधिकार के विवाद का विषय नहीं बना था । बहुत हद तक रेनेसाँ (१४ से १६वीं शताब्दी में क्लासिक कला साहित्य का उत्थान) और बारोक **(Baroque)** – १७ से १८वीं शताब्दी के युरोपीय भवन निर्माणशास्त्र और चित्रों का उत्थान– की चित्रकला समष्टिगत रुप में एक उच्च स्तरीय सामुहिक कार्यशाला की उपज थी । जो दृश्यात्मक प्रतिकात्मक लक्षण के रुप में स्थापित होती गई । रुबेन और रेम्ब्रान्डो इस कार्यशाला पद्धति के विशिष्ट अभ्यासकर्ता थे, उनके कार्यो मे अभी तक किसे श्रेय दिया गया है प्रकट नहीं हो पाया है । सन् १९२१ में कुर्त्ज स्क्विटेरस ने अपने मार्का डाडा का नाम 'मर्ज' रखा जो जर्मनी के कॉमर्स बैंक के चिन्ह से विकसित था और जिसे उसने कोलाज पेन्टिंग में प्रयोग किया था । लेकिन यदि यही काम आज के कलाकार इन्टरनेट में करते हैं तो उन पर प्रतिलिपि अधिकार और ट्रेडमार्क उल्लघंन करने का मुकदमा चल सकता है ।

जब से निजी कम्प्युटर और इन्टरनेट ने आम संचार के उपभोक्ताओं को आम संचार का निर्माता बनने के लिए तकनीकी दूरियों को मिटा कर प्रापक तकनीक से प्रेषक तकनीक बनने के प्राऔगिकी तक पहुँचाया है (१९३० के बेरतोल्त बेरन्त और १९७० के हन्समाग्नस एन्जेन्सबर्गर की संचार समालोचना का उल्लेख करते हुए) प्रतिलिपि अधिकार ने सृजनशीलता में उत्साह पैदा करने से अधिक अवरोध खड़ा किया है ।

ग्राफिक कलाकार किएरोन ड्वेर के मामले से यह पता चलता है कि कुर्त्ज स्क्विर्टेस यदि बैंक का 'लोगो' अपने लिए उपयोग किया होता तो उसका क्या हाल होता ? ड्वेर ने स्वारवक्स के 'लोगो' को अपने सस्करण में रखकर जब कॉमिक्स पुस्तक, टिशर्ट और स्टिकर निकाला तो उसके एक वर्ष के बाद कम्पनी ने उस पर मुकदमा कर दिया । मुकदमे के निब्टारा होने पर ड्वेर को उस 'लोगो' प्रदर्शन की अनुमति तो मिली लेकिन सीमित परिस्थिति में और उस पर कॉमिक्स, टिशर्ट और स्टिकर निकाले पर पाबन्दी लगा दी गई । उन्हें उन तस्वीरों को वेबसाइट में रखने की अनुमति तो मिली लेकिन उसे अपने वेबसाइट में रखने पर पाबन्दी थी, साथ ही वह अपने वेबसाइट मे उस 'लोगो'वेबसाइट को बतौर लिंक भी नहीं रख सकते थे जो उसे दिखा रही है । स्रोतः **www.illegal-art.org**

एक अश्वेत अमेरिकी लेखक अलिस रन्डाल ने स्कार्लेट ओहारा की मुलाटो हाफ सिस्टर (सौतेली बहन) के सन्दर्भ से गोन विथ द वीन्ड नामक कृति पर पैरोडी लिखी । "गॉन विथ द विन्ड" की रचनाकार मारगरेट मिचेल की ओर से इस पर प्रतिलिपि अधिकार का हनन होने की याचिका दायर किए जाने पर पुस्तक प्रकाशन पर रोक लगा दी गई । संयोगवश कोर्ट ने इस मुकदमे में पुस्तक प्रकाशन पर लगी रोक को खारिज कर दिया ।

सन् २००३ के दिसम्बर में एक युवा कलाकार डी जे डेन्जर माउस ने बीट्ल्स की "ह्वाइट" और हिप हप कलाकार जे जेडके की "ब्लैक" एलबम से 'ग्रे' नामक एलबम का निर्माण किया । ग्रे एलबम की ३००० (तीन हजार) प्रति ही अभी सार्वजनिक हुई थी और शायद वही उसका अन्त भी होता →

लेकिन दो माह के बाद ही डी जे डेन्जर माउस को सीज एन्ड डेसिस्ट पत्र मिला जिसमें इएमआई ने अपने स्वामित्व में रहे बीट्ल्स के ह्वाइट एलबम के प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया और उत्पादन को बान्द करने का आदेश दिया ।

इस सग्रंह पर लगाए गए अनाधिकारिक प्रतिबन्ध के बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि यह कलाकार की सृजना को हतोत्साहित करने वाला अस्वच्छ उल्लघंन है और इसी को लेकर भूरा मंगलवार (ग्रे ट्युज्डे) नाम का अभियान www.downhillbattle.org ने चलाया । इस में पी टु पी नेटवर्क के जरिये एलबम को अनलाइन उपलब्ध कराया गया । १७० से भी अधिक वेबसाइटों ने इस एलबम को अनलाइन डाउनलोड उपलब्ध कराया जिनमें से ज्यादातर को इएमआइ (EMI) कम्पनी से वितरण रोकने का पत्र मिला । अभी तक साढे बारह लाख से भी अधिक लोगो ने इस एलबम को डाउनलोड किया है । इस तरह डी जे डेन्जर माउस गत वर्ष नोराह जोन्स जैसे दावेदारो को पीछे छोड़ते हुए सर्वाअधिक एलबम बेचने वाले कलाकार बने ।

प्रतिलिपि अधिकार कानून के इस अतिक्रमण पर अब यह सवाल उठता है कि आखिर इसका विकल्प क्या हो सकता है? बोली और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को ठोकर मारने वाले इन नियम कानूनों को हम नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन इस खर्चीली कानूनी प्रकिया से अपने आप को बचाना खर्चीला खतरा साबित हो सकता है ।

इसके बावजूद इसे मद्देनजर रख कर एक दूसरा अभियान तेजी के साथ लोकप्रिय होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए सक्रियता की जरुरत है । इसके अंतर्गत सार्वजनिक अधिकार

क्षेत्र में रखे सामग्रियों को प्रतिलिपि अधिकार मालिक से अनुमती लिए बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए मोटी रोयल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। प्रतिलिपि अधिकार के इस अप्रतिबन्धित विस्तार के विरुद्ध आगे बढने वाले इस नए अभियान को 'कॉपीलेफ्ट' (प्रतिलिपि अधिकार साझा हस्तान्तरण) कहा जाता है। इसका जन्म स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर जैसे 'लीनक्स' (linux) और 'जीएनयू' (GNU) से हुआ लेकिन फिलहाल यह अपने क्षेत्र को व्यापक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि सभी प्रकार के माध्यमों में स्वतन्त्र वितरण, प्रयोग और सामुहिक विकास का विचार लागु हो सके। इस के साथ-साथ गैरप्रतिलिपि अधिकार एवम प्रतिलिपि अधिकार विरोधी कलात्मक परम्परा भी मौजूद है।

फ्रान्स के रुमानी कवि स्वर्गीय लौट्रमोन्ट ने अपनी चर्चित पुस्तक पोएसिस (१८७०) में लिखा था "किसी का भाव लेना जरुरी है। इस में प्रगति छिपी होती है । इस में रचनाकार के शब्द आत्मसात किए होते हैं । उसकी अभिव्यक्ति रहती है और सकारात्मक विचारों से नकारात्मक विचारों से हटाया जाता है ।" आज यही विचार स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर विकास के लिए एक सटीक उदाहरण बन गया है ।

कवि लौट्रमोन्ट एवम गिफ्ट इकोनोमिज के बारे में अध्ययन करने वाले फ्रेन्च मानवशास्त्री मार्सेल मौस से प्रभावित हेाकर लेफ्टविंग कलाकार सास्कृतिक सिद्धान्तकार और राजनितिक कार्यकर्ताओं का एक समूह "द सिचुएशनिस्ट इन्टरनेशनल" ने १९५८ से १९७० में बनाया था । उन्होंने प्रकाशन गैरप्रतिलिपि अधिकारयुक्त सर्तो में प्रकाशित कर किसी को भी बिना अनुमति लिए अनुवाद, पुनर्लेखन व नकल प्रति बनाने कि अनुमति दी है ।

१९८० के अन्त में और १९९० के शुरु में सगीतकार जोन ओस्वाल्ड, नेगेटिवलैण्ड और टेप बीट्ल्स तथा अन्य समूहों ने 'प्लन्डरफोनिक्स' की वकालत की, इस गैरप्रतिलिपि अधिकार संगीत मे मुख्यतः पप संगीत के प्रयोगात्मक ध्वनी कोलाज एवम प्रसारित ध्वन्यात्मक सामग्रिया होती थी ।

सन् १९९९ में लुथर पिल्सेट के नाम से नावेल क्यु (Q) निकला जो सामूहिक रुप में पहले मिडिया प्रैन्क्स्टर प्रोजेक्ट के हंसी–मजाक का इटालियन रुप था । एक ऐतिहासिक थ्रिलर के रुप में वर्णीत १६वीं शताब्दी के एक समूहगत सस्ंकृति का यह क्यु उपन्यास वहाँ की राष्ट्रीय कृति बना और बाद में क्रमशः फ्रेन्च, जर्मन तथा अंग्रेजी में अनुवादित कृतियाँ भी प्रकाशित हुई । स्पष्टगत रुप में इस कृति का अव्यवसायिक प्रायोजन के लिए कोई भी प्रति बना सकता था इससे कृति कि बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा । रोचक बात यह थी कि इस कृति का प्रकाशन किसी भूमिगत प्रकाशन सस्ंथा ने नहीं बल्कि चर्चित संस्थाएँ जैसे इटली की इनाउडी (Enaudi), फ्रान्स की एडिशन्स डु सिउल (Editions du Seul), और जर्मनी की पाइपर ने किया था । यह सभी उन्हीं सस्ंथाओं मे सें है, जिन्होंने आशाप्रद प्रकाशन के लिए परम्परागत प्रतिलिपि अधिकार को त्याग कर वितरण प्रणाली को अंगिकार किया है ।

यह परिचयात्मक पुस्तिका उन संचार, आम डिजाइनर, कलाकार संगीतकार विषयवस्तु के निर्माता तथा उत्पादक, विद्धत वर्ग और अनुसन्धान कर्ताओं के लिए है जो अपनी कृतियों का बिना किसी शर्त के वितरण करने की मान्यता रखते हैं । इस मौडल में खास कर खुला विषय वस्तु अनुज्ञापत्र (ओपेन कन्टेन्ट लाइसेन्स) के दृष्टिकोण से विचार

किया गया है, लेकिन बिना शर्त अपनी सृजना रखने का मतलब अपनी कृति के प्रतिलिपि अधिकार का त्याग करना नहीं है। यह निर्देशिका अपनी कृति के लिए कुछ अधिकार तय करने वाले विकल्पों को उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही यह निर्देशिका रचना या कृति आदन प्रदान, वितरण तथा परिवर्तन के लिए नए सकरात्मक अधिकारों के बारे में प्रतिलिपि अधिकार सयुंक्त हस्तान्तरण (कॉपीलेफ्ट) के तहत किस तरह का विकास हो रहा है उससे अवगत कराती है।

अध्याय २

प्रतिलिपि अधिकार साझा हस्तान्तरण (कॉपीलेफ्ट) की सान्दर्भिकता

तो, अब कॉपीलेफ्ट (प्रतिलिपि अधिकार संयुक्त हस्तान्तरण) या ओपन कन्टेन्ट (खुली विषयवस्तु) मौडल आखिर क्या है? वैसे तो प्रतिलिपि अधिकार पिछ्ले तीन सौ वर्षों से चलता आ रहा है, पर पिछ्ले कुछ दिनों से यह निरन्तर चर्चा का विषय बन रहा है । यह परिवर्तन प्राथमिक रुप से इन्टरनेट या और कम खर्चीले पुन:प्रतिलिपिकरण की प्रविधियों जैसे : सीडी राइटर द्वारा लाई हुई हैं । नेप्स्टर मामले में फाइल शेयरिंग (बटवारे) से शुरु इस विवाद ने वास्तविक रुप में प्रतिलिपि अधिकार को साधारण आदमी की बातचीत का विषय बना दिया ।

प्राविधिक-कानूनी क्षेत्र के आन्दोलन से होते हुए प्रतिलिपि अधिकार का हमारे दैनिक क्रियाकलाप पर बढ़ते हुए प्रभाव को देख सूचना सम्बन्धी राजनीति, प्रतिलिपि अधिकार के नियन्त्रण का ढाँचा, बनावट और प्रतिलिपि अधिकार के विकल्प को अग्रभूमि में लाया गया हैं । प्रतिलिपि अधिकार का विकास शुरु में रचनाकार या सृजनशीलों को उत्प्रेरित करने तथा बृहत् सार्वजनिक हित के लिए संयुक्त अधिकार क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में स्वतन्त्र सूचना की प्राप्ति और उसके प्रवाह के लिए सन्तुलित प्रणाली के रुप में किया गया था, पर

अब विद्वानों ने यह अनुभव किया कि यह सार्वजनिक हित से ज्यादा विषयवस्तु के स्वामित्व के पक्ष में जा रहा हैं ।

अब समझने की बात यह है कि प्रतिलिपि अधिकार प्रायः रचनाकारों के स्वामित्व में नहीं है बल्कि बड़े संस्थान, प्रकाशक और रेकॉर्ड कम्पनियाँ, जहाँ बड़े स्तर पर व्यापार, चालु कम्पनी के हित में किया जाता हैं, वहाँ प्रतिलिपि अधिकार की व्यापकता सुनिश्चित की गई है । हमारे सामने इसके दो पक्ष हैं : प्रतिलिपि अधिकार का समय सीमा (शुरु में चौदह वर्ष से अभी नब्बे वर्ष से अधिक तक सुरक्षित) और इसके नए क्षेत्रों मे बढ़ते व्यापकता जैसे : इसके अन्तर्गत पहले सॉफ्टवेयर शामिल नही था । साथ ही यह पूर्व अनुमान से अधिक अधिकारों पर नियन्त्रण रखने कि स्थिति में है । जहाँ प्रतिलिपि अधिकार आईन कानून को पूर्णता दी गई वहां भी डिजिटल अधिकार व्यवस्थापन तकनीकों द्वारा पाबन्दियाँ लगाई गयी हैं और खतरा कायम है । इस तरह प्रतिलिपि अधिकार, विषयवस्तु और सृजनशीलता पर तकनीकी कठिनाइयाँ बढ़ाने में मदद कर रहा हैं ।

स्वतन्त्र (फ्री) सॉफ्टवेयर : प्रतिलिपि अधिकार की पुर्नव्याख्या

प्रतिलिपि अधिकार की व्यापकता के बारे में यथेष्ट विद्वत काम बीते वर्षों में किया गया हैं तथा और अध्ययन के लिए एक सूची इस पुस्तक के अन्त में दी गयी है । इस पुस्तक का दृष्टिकोण प्रतिलिपि अधिकार के विस्तार से शुरु होकर प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण से मिले स्वरुप के विरुद्ध दिखाई पड़ने वाली प्रतिक्रिया है स्वतन्त्र तथा खुला स्रोत सॉफ्टवेयरः फ्लौस (**फ्री लिब्रल एण्ड ओपन सोर्स मोडल : FLOSS**) वर्चस्व कायम कर रहे प्रतिलिपि अधिकार बातचीत के क्षेत्र में एक

सशक्त, निश्चित विपक्ष सोच हो सकता हैं और इससे ज्ञान का उत्पादन तथा वितरण जैसे सवालों के लिए विकल्प का रास्ता भी खुल सकता हैं।

स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर, कॉपीलेफ्ट जैसे शब्दों से प्रतिलिपि अधिकार के विकल्प का आभास होता हैं। परन्तु ध्यान में रखने वाली बात यह हैं कि इन विकल्पों का मतलब प्रतिलिपि अधिकार का त्याग करना नहीं है। सच तो यह है कि प्रतिलिपि अधिकार कानून पर आधारित है और यह नकारात्मक बहस की अपेक्षा सृजनशीलता के साथ सकारात्मक व्याख्या अधिक करता हैं। अर्थात, यह कहना चाहता है कि प्रतिलिपि अधिकार परम्परागत रुप में प्रापक को मिला एक व्यापक अधिकार है और इसे प्रतिलिपि अधिकार मालिक अपने स्वार्थ के लिए शोषण करते हैं। प्रतिलिपि अधिकार को अधिकारों के पैकेट के रुप में सोचकर इसमें अनेक क्षेत्रों को समेटा गया है

१) **पुनर्उत्पादन का अधिकार** : कृति या रचना का फिर से उत्पादित करने का अधिकार, जैसे प्रतिलिपि निकालना।

२) **पुनर्प्रयोग का अधिकार** : प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त कृति के आधार पर अन्य प्रयोग, जैसे पुस्तक पर आधारित चलचित्र का निर्माण।

३) **वितरण का अधिकार** : कृति या रचना की प्रतिलिपि का वितरण, जैसे दुकान से पुस्तक बेचे जाते हैं।

४) **प्रस्तुती (परफर्मेन्स) का अधिकार** : प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त कृति या रचना को सार्वजनिक रुप में प्रस्तुत किया जा सकता हैं, जैसे पुस्तकवाचन, नाटक मंचन।

५) **प्रदर्शन (डिस्प्ले) का अधिकार** : रचना को सार्वजनिक प्रदर्शन करने का अधिकार (सिनेमा या कलाकृति का प्रदर्शन)

प्रतिलिपि अधिकार सृजना की मौलिक कृति के लिए ही दिया जाता हैं लेकिन साहित्य में मौलिक कार्य का अर्थ सृजनशीलता होने पर भी सामान्य अर्थ में इसमें अन्तर होता है, और यह प्रतिलिपि अधिकार कानून के लिए अलग अर्थ रखता है । प्रतिलिपि अधिकार कानून में मौलिकता का मतलब कृति का दूसरे से नकल नहीं करना है, यह केवल मौलिकता के उद्गम को संकेत करता हैं । इस तरह जहाँ तक यह दूसरों की कृति या रचना का नकल नहीं हैं और यदि इसके लिए मेहनत की गयी है तो यह मौलिक माना जाएगा क्योंकि यह मौलिकता की शर्तों को पूरा करता है ।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी खास तरीके की जरुरत नहीं है और स्वाभाविक रुप में सृजक को कृति सृजना के समय ही एक ठोस रुप प्रदान करता है जिसके कारण यह एक गम्भीर समस्या बन सकती है । उदाहरणस्वरुप, मैंने एक ग्राफिक फाइल बनाया और उसे इन्टरनेट में डाल दिया । दूसरा व्यक्ति यदि इस फाइल को डाउनलोड करके किसी भी उद्देश्य से इसका प्रयोग जैसे, पाठ्य सामग्री बनाने में या अपना होमपेज में करता है तो प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार उसने अनुमति के बिना इसका प्रयोग करके मेरे अधिकार का हनन किया है चाहे उसके ऐसा करने पर मुझे कोई आपति न भी रही हो । उस पर मुकदमा न करने पर भी कानून के अपवर्जन के नियम से स्वतः छूट नहीं मिल सकती । हम उस समय से आगे बढ़ चूके हैं जब सभी सृजनाएँ सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध होते थे यदि उसमें अधिकार के बारे में कुछ नहीं लिखा होता था । लेकिन अब सभी सृजनाएँ संरक्षित अधिकार क्षेत्र में स्वतः रुपान्तरित हो जाती है, यदि उस पर सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर उपलब्ध होने की बात नहीं भी लिखी हुई हो तो भी ।

अनुज्ञापत्र और प्रतिलिपि अधिकार का नियन्त्रण

इस समय प्रतिलिपि अधिकार विस्तार के विवरण की ओर लौट जाना उपयोगी होगा। वास्तविकता के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार प्रशस्त अधिकारों का संयोजन है और बिना किसी दूसरे की कृति पर “आँच पहुँचाए” काम करना असम्भव ही है। इसलिए रचना या कृति के किसी भी अंश पर काम करने के लिए अनुज्ञापत्र लेने की आवश्यकता पड़ती हैं। इस तरह प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी से अनुज्ञापत्र लेने के बाद अनुज्ञापत्र धारी प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त कृति पर अपने अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस अनुज्ञापत्र के बिना प्रतिलिपि अधिकार के द्वारा स्वतः नहीं दिए गए अधिकार का प्रयोग करने पर वह उल्लङ्घन माना जाएगा।

लैटिन शब्द लिसेर (Licere) से विकसित “लाइसेन्स” शब्द का मूल अर्थ ही ‘अनुमति’ अनुज्ञा हैं। सिद्धान्तस्वरुप अनुज्ञा पत्र, प्रतिलिपि अधिकार में रहे प्रतिलिपि अधिकार स्वामी के हक में स्वतः क्रियाशील होने के प्रावधानों की ही अनुमति देता हैं। इस तरह अनुज्ञापत्र डिफाल्ट (स्वतः क्रियाशील होने वाले प्रावधानों), प्रतिलिपि अधिकार से कम नहीं ज्यादा ही अनुमति प्रदान करता हैं। स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर और खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञापत्र शब्द का सही विश्लेषण हैं। डिफल्ट प्रतिलिपि अधिकार नियमावली के मुकाबले - स्वामीगत (प्रोप्राइटरी) सॉफ्टवेयर अनुज्ञापत्र ज्यादा शर्तपूर्ण हैं। उदाहरणस्वरुप : माइक्रोसाफ्ट अन्तिम प्रयोगकर्ता अनुज्ञापत्र (एण्ड युजर लाइसेन्स एग्रिमेन्ट : EULA) सहमति आपको केवल एक सीपीयू में सॉफ्टवेयर जोड़ने की अनुमति देता है और किसी दूसरे कम्प्युटर में भी इसे नहीं ले जा सकते हैं और न ही यह जान पाएगें कि इस कम्प्युटर प्रोग्राम का स्रोत संकेत (सोर्स कोड) किस तरह काम करता हैं।

वितरण : सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की प्रतियाँ आप किसी तीसरे पक्ष में वितरण नहीं कर सकते । प्रयावर्तित इन्जिनियरिङ्ग : बहिर्मुखीकरण करना या इधर उधर करना मना हैं । आप सॉफ्टवेयर उत्पादन को प्रत्यावर्तित इन्जिनियरिंग, उलट-पलट या इधर-उधर नहीं कर सकते, लेकिन कानून से मिली प्रष्ट अनुमति से बाहर जाने पर ही ऐसा करना निषेधित माना जाएगा । किराया : आप सॉफ्टवेयर उत्पादन को किराये पर नहीं दे सकते हैं ।

अन्तिम प्रयोगकर्ता अनुज्ञापत्र सहमति माइक्रोसॉफ्ट इन्टरनेट एक्सप्लोरर संस्करण (वर्ज़न) ५.२ और सॉफ्टवेयर सम्बन्धित अन्य पक्ष

ऐसे अनुज्ञापत्र कैसे अनुमतिपत्र नहीं हो सकते हैं और यह किस तरह ज्यादा शर्ते लगाते हैं ? इस नाम पर प्रयोग हुए शब्द "अनुज्ञापत्र सम्भौता" द्वारा इसे प्रतिलिपि अधिकार आईन से सम्भौता (करारनामा) आईन में ले जाया गया है । लाइसेन्स एग्रिमेन्ट (अनज्ञापत्र सहमति) के बॉकस में जा कर क्लिक करने पर इस तरह के शर्तों को स्वीकारना, सॉफ्टवेयर वेन्डर द्वारा प्रयोग को सम्भौता बनाना और इस तरह से भी नहीं होने पर प्रतिलिपि अधिकार कानून की मान्यताप्राप्त 'फेयर यूज़' (न्यायसंगत प्रयोग) की स्वतन्त्रता को भी जाल में घेर लेता है । (जैसे, पुस्तकालयों में रचना या कृतियों का सार्वजनिक प्रयोग)

जो भी हो, प्रतिलिपि अधिकार संयुक्त हस्तान्तरण (कॉपीलेफ्ट) और खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र सही अर्थ में प्रतिलिपि अधिकार कानून को जाल में नहीं फंसाता, परन्तु ऊपर कहे अनुसार कानूनी प्रारुप के प्रतिलिपि अधिकार के कानूनी दायरे के अन्दर रहता है। व्यावहारिकता में यह क्या है ? अच्छा स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर और खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र भी आप को तीसरे पक्ष के कानूनी दावे के प्रतिलिपि अधिकार, सम्झौता, ट्रेडमार्क और एकाधिकार उल्लङ्घन की बातों से नहीं बचा सकता। दूसरे शब्दों मे, यदि कुर्त स्विक्वटर्स की सृजना, जर्मन कॉमर्स बैंक के चिन्ह से आए कला आन्दोलन 'मर्ज' की तरह ही आप ने भी अपने द्वारा बनाये गये मर्ज चिन्ह को भी खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के तहत रखे जाने के बावजूद कॉमर्स बैंक आप पर ट्रेडमार्क सम्बन्धी और सम्वतः प्रतिलिपि अधिकार उल्लघंन का आरोप लगाकर मुकदमा कर सकता हैं। यदि आप अपने रोजगारदाता के लिए किसी काम का निर्माण करते हैं और उसे खुला अनुज्ञापत्र के तहत सम्भावित परिवर्तन के लिए रख देते हैं तो भी आपके रोजगारदाता आप पर सम्झौता उल्लघंन करने का आरोप लगा सकता हैं क्योंकि आपका सभी काम 'सम्झौता' से बंधा हुआ हैं और आप उसके अधीन हैं। अगर आपने खुला विषयवस्तु (ओपन कन्टेन्ट) वेबसाइट बनाया है जो आपके वन क्लिक (कम्प्युटर में एक बार क्लिक करना) करने से अनलाइन आर्डर लेता है तो भी एमेज़न डट कॉम (amazon.com) वन क्लिक आर्डर फक्शन पेटेन्ट के उल्लंघन के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। यदि आप समालोचक हैं और सिनेमा के विषय पर कुछ लिख रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ तस्वीरें चाहिए, तो आपका लेख खुला विषय का होने पर भी समस्या से घिर सकता है। क्योंकि आपको तस्वीरें पुनः उत्पादन का अधिकार पत्र चाहिए,

(अगर खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र में इन तस्वीरों को रखा गया है तो अलग बात है) । फिर फोटो पुनः उत्पादन का अधिकार मिलने पर भी सामान्य रुप से आपका लेख खुले विषय में प्रकाशित नहीं हो सकता है क्योंकि इससे फोटो आकृतियों के प्रतिलिपि अधिकार का उल्लघंन होता हैं ।

इन सभी जटिल समस्यायों का निदान सिर्फ उच्च स्तर पर ही किया जा सकता हैं और इसके लिए डिजिटल दुनिया के अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिलिपि अधिकार स्वरुप में व्यापक परिवर्तन करके सार्वजनिक और सही प्रयोगों के लिए आधारभूत अधिकार की पुनर्स्थापना की सोच बनानी होगी । वास्तव में कापीलेफि्टंग साबिक का आकार स्वतन्त्रता रहित मिडिया संस्कृति जैसे बड़े समुद्र में एक अलग छोटी संस्कृति वाले टापू के समान है जहाँ स्वतन्त्र और वितरणयोग्य कृति हो सकती है । यदि किसी कृति को कॉपीलेफ्ट कहकर नहीं रखा गया हैं तो वह डिफाल्ट के जरिए ही कॉपीराइटेड किया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता हैं । इसलिए इस सवाल को कुछ न करने की अपेक्षा कुछ कर के ही सीमित तरीके से सुलझाया जा सकता हैं ।

जीएनयू जीपीएल GNU GPL (सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञा पत्र)

प्रतिलिपि अधिकार के भीतर कड़ी प्रक्रिया के रहते ही स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर आन्दोलन ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की जिसके कारण यह संसार में लोकप्रिय होता गया साथ ही सॉफ्टवेयर दुनिया के अनुज्ञापत्र पाने वालों के अलावा उससे मिलते जुलते अन्य अनुज्ञा पत्रों के लिए भी वह प्रेरणादायक बन गया । यदि परम्परागत सॉफ्टवेयर लाइसेन्स निश्चित

अधिकार नहीं दे सकता हैं तो GNU GPL : सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञापत्र (जनरल पब्लिक लाइसेन्स) ने निश्चित आधारभूत स्वतन्त्रता देने वाला रुप प्रदान किया ।

ये आधारभूत स्वतन्त्रता निम्न है :

१) प्रयोगकर्ता किसी भी प्रायोजन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है ।

२) प्रयोगकर्ता सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड का परीक्षण कर सकता है और आवश्यक्तानुसार स्वतन्त्र रुप में सुधार भी कर सकता है ।

३) प्रयोगकर्ता सॉफ्टवेयर की प्रतियाँ अन्य लोगों को भी दे सकता है ।

४) प्रयोगकर्ता सॉफ्टवेयर में किए गए सुधारों को स्वतन्त्र होकर व्यापक रुप में सार्वजनिक कर सकता है जिससे सभी को फायदा मिले ।

इस तरह से यह पता चलता है स्वतन्त्र सॉफ्‌टवेयर का तौरतरिका क्लोज्ड सोर्स (बन्द श्रोत) के अनुज्ञप्तिकरण सिद्धान्त से बहुत अलग है । ऐसा है तो न्ल्न न्ऍी संस्करण को हम क्यों प्रतिलिपि अधिकार के त्याग से अधिक मौलिक प्रयोग पर आधारित है कह रहे हैं ? स्वतन्त्र सॉफ्‌टवेयर मे कोई भी सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र से आधारभूत स्वतन्त्रता को नहीं छीना गया है या नहीं हटाया गया है इसलिए इसमें संलग्न शर्ते होती हैं ।

१) प्राप्त प्रोग्राम के श्रोत संकेत (सोर्स कोड) की हूबहू प्रतिया किसी भी माध्यम से बनाकर आप वितरण कर सकते हैं यदि आप प्रत्येक प्रति पर उचित प्रतिलिपि अधिकार सूचना तथा सुरक्षण का दावा न कर स्पष्ट प्रकाशन करते हैं । इस अनुज्ञापत्र से सम्बद्ध सभी सूचनाएं तथा कोई भी प्रत्याभूत रहने का अभाव सही होना चाहिए और प्रोग्राम के दूसरे प्रापको को भी इस अनुज्ञापत्र की एक प्रति प्रोग्राम के साथ ही देनी होगी । (...)

२) आप प्रोग्राम या इसके प्रति के किसी भी अंश को परिमार्जन कर सकते हैं । इस तरह प्रोग्राम के आधार पर बने कार्य की प्रतिया बना कर और उसका वितरण करके ऐसे परिमार्जित कार्य को उपर उल्लेखित बिन्दु १ के आधार पर वितरित कर सकते हैं ।

जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेन्स संस्करण २, जुन १९९१

आधारभूत शर्त यह है कि जो व्यक्ति इस स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर का प्रयोग दूसरी सृजना व्युत्पन्नात्मक कार्य (डेरीवेटिव वर्क) करने में करता है उसे भी इन शर्तो और स्थितियों का उल्लेख करते हुए इस जीएनयू जीपीएल को उद्धृत करना पड़ेगा । यदि कृतिकार स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर के एक अंश पर प्रतिलिपि अधिकार का उल्लेख करना नहीं चाहता है तो अन्य कोई भी उसके स्रोत संकेत का प्रयोग कर उस पर आधारित दूसरा सॉफ्टवेयर बना कर स्वामिगत अनुज्ञापत्र -प्रोप्राइटर) प्राप्त कर दूसरो के निर्भीक चलने मे बाधा पहुचा सकता है ।

अन्त में फ्री शब्द से उलझन हो सकती है क्योंकि प्रायः इससे मूल्य की ओर इंगित करने का पता चलता है लेकिन

यहाँ फ्री का मतलब मूल्य नहीं बल्कि स्वतन्त्रता या निर्भीकता है। इसलिए आप स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर के लिए मूल्य की मांग कर सकते हैं। जैसे रेडहैट द्वारा वितरित लीनक्स संस्करण या आपके पास भी वैसा सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो मूल्य के बिना उपलब्ध है लेकिन आपको कोई स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करता जैसे इन्टरनेट एक्सप्लोरर

प्रतिलिपि अधिकार (कापीराइट) की चुनौतियाँ

क्या स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर अभियान ने वास्तव में प्रतिलिपि अधिकार का परिमार्जन व्यक्ति के प्रयोग करने की क्षमता से अधिक सृजनात्मक और मौलिक ढंग के प्रयोग, वितरण और संकेतों के लिए किया है?

स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर अभियान अन्दर से ही इसके प्रयोगकर्ताओं के विषय में से इसका परिमार्जन करने की ओर उन्मुख है। स्वामीगत सॉफ्टवेयर की दुनिया में प्रयोगकर्ता को केवल निश्क्रिय ग्राहक माना जा सकता है लेकिन स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर के स्वरुप में उसे प्रयोगकर्ता एवम उत्पादक की श्रेणी मे समेटा जा सकता है। जो साबिक की रचना में योगदान पहुँचा उत्पादक तक साथ रहता है। प्रतिलिपि बनाना (कॉपिइंग), काटना (कटिंग), जोडना (पेस्टिंग), परिवर्तन (चेन्जिंग), छान्ना (फिल्टरिंग) का प्रयोग आदि डिजिटल माध्यम की आधारभूत भाषा है। प्रयोगकर्ता-उत्पादक एक अवधारणा है तथा इसका अनुभव डिजिटल स्वतन्त्रता के साथ होता है और यह डिजिटल संस्कृति सामान्य व्यक्ति को कलाकार और निर्माता बनने की स्वीकृति देता है। इस स्वरुप ने आधारभूत रुप में प्रतिलिपि अधिकार कानून की परम्परागत मान्यताओं को चुनौती दी है। यह ग्रन्थकारिता की उस रुमानी सोच सिद्धान्त से परे होता जा रहा है, जो मानता है

कि ग्रन्थकारिता और सांस्कृतिक सृजना प्रतिभावान व्यक्तित्व कि पृथक सृजना है जो शून्य से की जाती है। इसके बदले में यह प्रतियाँ बनाकर सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में प्राप्त सामग्रियों से सांस्कृतिक सृजना करने का सुझाव देता है। यह पौराणिक गाथा के काम में मौलिकता से अधिक परिमार्जन तथा सुधार के योगदान की ओर ले जाता है इस तरह नयी सृजना से अधिक उसे महत्व देता है।

इसका मतलब संयुक्त उत्पादन (सृजना) एक नया विचार या सोच नहीं है। वास्तव में सांस्कृतिक सृजना के इतिहास में संयुक्त सृजना का बहुत बड़ा योगदान है और यह मानव अर्जित सभी प्रकार की उपलब्धि लिए भी सत्य है। उदाहरण के तौर पर :-

- ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण दुनिया के सैकड़ो लोगों की सामुहिक मेहनत से ही सम्भव हो सका है। इसने खुली सृजना के स्वरुप को नहीं समेटा क्योंकि इसका निर्माण उस समय हुआ जब प्रतिलिपि अधिकार की कहानी जानने वाले वृहत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) के मालिकों को उत्पादन की कल्पना की व्यापकता के बारे में पता ही नहीं था।
- व्यक्तिगत रुप में कृतिकारी का श्रेय दिए जाने के कारण उस कृति के लिए मेहनत करने वाले अनेक लोगों की भूमिका ओझल हो जाती है। जैसे :-

  फिल्म को ही लिया जा सकता है, जिसमें कृतिकारी का श्रेय निर्देशक को दिया जाता है लेकिन सच तो यह है इसमें बहुत से लोगों की सृजनात्मक मेहनत है और सामूहिक प्रयास के बिना इसका निर्माण असम्भव है।

- 'हिपहॉप' नयी रचना और चयन सामर्थ्य के साथ पहले की कृति का ही विकसित रुप है ।
- नृत्य की दुनिया निरन्तर रुप से दूसरों से सीखने के संस्कार और पूर्व प्रयत्नों के क्रमिक सुधार से बसता है ।
- वास्तव में आज हमारे पास जो प्रशस्त सांस्कृतिक सम्पदा है वह प्रतिरोपन (कॉपी करने) का परिणाम है । उदाहरणस्वरुप, रेफेल की "जजमेंट आफ पेरिस" को यूरोपीय कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कृति के रुप में माना जाता है । इसका एकमात्र कारण जो हमें ज्ञात है कि रामेन्ना ने "राइमोन्डी" चित्र की दासवत प्रति निकाली थी चूँकि इसकी मुख्य चित्रकला विलुप्त हो गई है । मोनेट ने इस चित्र के एक ही अंश को '**ले डेजेउनर सर एल हेखे**' में रुपान्तर किया और पिकासो ने उसी मोनेट की चित्रकला को दूसरे संस्करण की सृजना के लिए रुपान्तर किया ।
- मूल और प्रति (कॉपी) के बीच का सरलतीकृत विभाजन यह है कि प्रतिलिपि, मौलिक कृति की मूल प्रति से कुछ लेता है और मौलिक सृजना का मूल्य वा महत्व घटा देता है । लेकिन हमें प्रतिलिपियों को उसके बदले में मौलिक सृजना के उपर जोड़जाड के रुप में देखना चाहिए । इसके लिए हिन्दी सिनेमा उद्योग को एक अच्छे उदाहरण के तौर पर ले सकते है जो हॉलिवुड के नामी गिरामी और सफल फिल्मो कि सांस्कृतिक सुगन्ध की पुनसंरचना कर खड़ा हुआ है । हिन्दी सिनेमा को नाइजेरिया से लेकर नेपाल तक के विभिन्न सिनेमा उद्योग सब प्रतिलिपिबद्ध कर रहा है ।

- संचार माध्यम की संरचना भी दूसरो की रचना वा कृति के साथ ही अक्षर की बनावट, पुनः प्रयोग, आलेख संग्रह, साधन, भाषा और दूसरे वेबसाइट के साथ अच्छा तालमेल बनाने वाला विकासक्रम है ।

FLOSS (फ्लॉस) स्वरुप की विशेषता यह थी, इसने पहली बार संयुक्त प्रयास के साथ उत्पादन (सृजना) को प्रतिलिपि अधिकार साम्राज्य से अभिव्यक्त कराया और सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रहे सहकार्य के उत्पादन को सुरक्षित तरीके से सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रहने की व्यवस्था भी की । अब जबकि प्रतिलिपि अधिकार के मिथकों के भारी बोझ से फ्लॉस को मुक्ति मिल गयी है, इसकी शर्त और स्थिति को सांस्कृतिक उत्पादन के अधिकार क्षेत्र की ओर किस तरह उन्मुख कराया जाए यह चुनौती बाकी है । एक ओर जीएनयू जीपीएल की परिभाषा को बदलते हुए सृजनशील अनुज्ञा पत्रों (लाइसेन्स) की संरचना तैयार करने के लिए रुपान्तरित करना है जिससे व्यक्ति खाली निश्किय प्रयोगकर्ता से अधिक सहभागी या उत्पादक-निर्माता बने तो दूसरी ओर किस तरह व्यक्तियों के लिए एक सामग्री सम्पन्न सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र बन सके और उनके द्वारा प्रयोग किए गए विकास या परिमार्जन के भविष्य में व्यापक विस्तार मिले, यह पुस्तक इन्हीं सारी बातों से सम्बन्धित है ।

सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र

हम सब सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र की सोच का प्रयोग कर रहे हैं । इसका सीधा मतलब है, सांस्कृतिक उत्पादन या सृजना समझने के लिए यह सम्झना होगा कि सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र रचना या कृतियों के लिए एक ढांचे के समान ह, जहाँ से हम नयी कृतियों का निर्माण कर सकते हैं । जैसे शेक्सपियर

एक प्रतिभा सम्पन्न नाटककार थे तो हमें यह मानना होगा कि उन्होंने नाटक लिखते समय अनेक श्रोतों को उद्घृत किया जैसे : इतिहास, पुराण या सह-लेखक कि कृति से प्रेरणा के रुप में और श्रोत के रुप में उसका परिमार्जन किया । इसी तरह वाल्ट डिस्नी ने भी अपने कार्टून '**फन्टासिया**', **स्टीमबोट विल्ली, स्नो ह्वाइट एण्ड द सेवेन ड्वार्फ्स** आदि बनाने में ढेर सारे श्रोतों का प्रयोग किया । इस सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए रुपक शब्द (मेटॉफोर) की सहायता ली जा सकती है, जो साझा (कॉमन) है । साझा : वह सम्पत्ति जो किसी एक की नहीं है और जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, लेकिन संयुक्त रुप में बनाई गई इस सम्पत्ति का कोई भी विशेष अनुमति लिए बगैर प्रयोग कर सकता है । सार्वजनिक सड़क, पार्क, जलमार्ग, खुला मैदान और सृजनात्मक रचनाएँ, सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, एक शब्द में ये सभी वस्तुएँ साझा (कॉमन) हैं ।

खुला/संयुक्त सहभागितात्मक उत्पादन

सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के संकुचित होने के सम्बन्ध में यह एक प्रतिक्रिया है । प्रतिलिपि अधिकार कानून को कड़ाई के साथ लागू करने के कारण खुला श्रोत (ओपन सोर्स) आन्दोलन और खुला विषवस्तु आन्दोलन की शुरुआत हुई । खुला विषयवस्तु पद्यति से क्या-क्या फायदे हैं और परम्परागत प्रतिलिपि अधिकार पद्यति पर विश्वास करने से अधिक व्यक्ति क्यों अपनी कृति का खुला विषयवस्तु पद्यति में अनुज्ञपत्रकरण कराना चाहता है, ऐसा करने से बहुत से कारण और फायदे हो सकते है :-

- बहुत सारे ऐसे कलाकार, लेखक, संगीतकार और डिजाइनर जो स्थापित नहीं है और उनकी कृतियों के बहुत सारे पाठक, श्रोता, दर्शक बनने पर उनके नामों को आसानी से पहचान मिल जाती है और कृति के लोकप्रिय होने के साथ ही उनकी इज्जत भी बढ़ जाती है । खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र आपके कृति के बृहतरुप मे फैलाव को सहयोग करता है जो अन्यथा सम्भव नही था । में कड़ाई या शर्तो के बदले बृहत रुप में आपकी कृतियों को फैलाता है । आपकी पहचान बनाने के अलावा इस प्रकार के वितरण में आपकी और प्रर्दशनी या कृति या प्रायोजन को सहयोग मिलता है ।

- इस तरह वितरण का तौर तरीका पि टु पि प्रणाली पर निर्भर होने के कारण आदान प्रदान करने में आसानी होती है । यह बीच के माध्यात्मिक व्यक्ति और संस्थाऔं के सार्थक मूल्य को हटाता है - जैसे दलाल या गैलरी, जो वितरकों के रुप में काम करते हैं । इस प्रणाली में व्यक्ति सीधे बिना संस्था या माध्यम व्यक्ति के विषयवस्तु सृजनाकार के पास पहुँच सकता है । इससे वह सृजनाकार, जो प्रकाशक और रेकर्ड कम्पनियों के साथ मोल भाव करने में अक्षम और स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और स्वयं वितरण करने की हैसियत नहीं रखते, उनको लाभ मिलता है । इस तरह लेखक या कलाकार जो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान पर निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें स्थापित करने के लिए इन्टरनेट की शक्ति के साथ खुली विषयवस्तु प्रणाली, बहुत बड़ा मार्ग है ।

- भारत में नये माध्यम और सञ्जाल की एक उभरती हुई नयी कलाकार किरण सुविया (www.geocities.com/antikiran) ने कहा है कि बहुत से ऐसे कलाकार जो अपने कामों को परम्परागत सफेद घनाकर (गैलरी) जैसी जगहों में प्रदर्शन नहीं करते, उनकी कृतियों को खुला विषयवस्तु के आधार पर प्रशस्त लोगों के बीच सार्वजनिक अनुज्ञप्तिकरण करना श्रेष्ठ उपाय होगा ।
- अधिकांश व्यक्ति विषयवस्तु की सृजना केवल आर्थिक कारण से नहीं करते हैं । बल्कि वे लोग अभिव्यक्ति के लिए, कृति या रचना के कामों का आपस में आदान-प्रदान करने के लिए और दूसरों से इस पर प्रतिक्रिया पाने के लिए रचना या कृति की सृजना करते हैं । ऐसी परिस्थिति में खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के जरिए अनुमति लेकर आप बड़े समूह में पहुँच सकते हैं, जहाँ लोग आपकी (कृति) का प्रयोग स्वतन्त्रता के साथ कर सकते हैं और आपके प्रतिलिपि अधिकार का उल्लघंन भी नहीं होगा । यह एक ऐसा समय है जहाँ प्रतिलिपि अधिकार के मामले में औसतन दो लाख पचास हजार डालर[1] मूल्य चुकाना पड़ता है । इसलिए व्यक्ति क्यों स्वतन्त्रता के साथ प्राप्त खुला विषयवस्तु का अधिक प्रयोग करना पसन्द करता है, यह आसानी से कल्पना की जा सकती है ।

[1]संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में इस प्रकार के मुद्दे की बहस में औसत मूल्य और इस सम्बन्धी मूल्य अंक असमान हैं, क्योंकि विभिन्न जगहों में यह मूल्य अलग अलग है । पब्लिक पेटेन्ट फाउन्डेसन के डाँन रविसेर का हवाला देने पर इसका मूल्य दस लाख डलर (श्रोतः राबिन आर्नफिल्ड, लिनुक्स पेटेन्ट इनफ्रिजमेंट थ्रेट सर्फेसेस, सी आई ओ टुडे, अगस्त २, २००४ www.cio-today.com/story.xhtml?storyid=2619 फ्री कल्चर में (pg51) लवरेन्स लेस्सिग के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार मुकदमें में साढे दो लाख डलर नियमित मूल्य पड़ता है ।

- निःस्वार्थ दूसरे के हित के रुमानी भाव को अलग रखकर यदि आप अपने कार्य/कृति से अर्थोपार्जन करना चाहते हैं तो स्वतन्त्र और खुली विषयवस्तु में आप इस उद्देश्य के लिए पैसे नहीं ले सकते ऐसा नहीं है । आपके उस सामर्थ्य से यह अलग नहीं है । आप अपनी कृति का प्रयोग किस प्रकार करने देना चाहते हैं अनुज्ञप्तिकरण में इसके लिए काफी लचक अपनायी गयी है । जैसे - आप प्राज्ञिक प्रयोग और मुनाफा रहित प्रयोगों के लिए स्वीकार करते हुए भी (इसका भी शुल्क लिया जा सकता है) व्यापारिक प्रयोग के लिए उससे सम्बन्धित अधिकार को सुरक्षित या निहित किया जा सकता है । कोइ भी व्यक्ति यदि आपकी कृति का व्यापारिक प्रयोग (किताब की प्रतिलिपि प्रकाशन, बनयिान और टिशर्ट में वेबसाइट के ढाँचे (डिजाइन) का प्रयोग) करता है तो आप उससे शुल्क ले सकते हैं ।
- ऐसे और भी सन्दर्भों में अंशकालिक संगीत शिल्पियों का मामला भी है । जैसे - चेकोस्लोवाकिया के अैलन विल्हन, जो कार्गोकल्ट के नाम से काम करते हैं । उनलोगों ने अपने संगीत को अनलाइन में निःशुल्क उपलब्ध करा इसको पसन्द करने वाले लोगों से चन्दा प्राप्त करते हैं (यह और ऐसे अनेक विवरण क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट http://creativecommons.org में उपलब्ध है) इसी तरह स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता जोरोमिल ने फलस्तीन में लिए गए तस्वीरों को अनलाइन उपलब्ध करवाया । लोगों ने इसके प्रयोग के लिए सम्पर्क किया और मूल्य चुकाने की इच्छा व्यक्त की । वितरण और आदान-प्रदान की इस इन्टरनेट प्रणाली बड़े विषयवस्तु निर्माता,

कम्पनी, स्थापित कलाकारों के लिए घातक हो सकती है। लेकिन नवोदित कलाकार और सृजक जो बड़ी पूंजी नहीं लगा सकत हैं, उनके लिए कम मूल्य में बड़े समुदाय तक पहुँचने में इन्टरनेट वरदान साबित हुआ है।

- हाल के कुछ और उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति अपने कार्य को निशुल्क अनलाइन में स्वतन्त्रापूर्वक उपलब्ध कराया है फिर भी उनकी ऑफलाइन बिक्री यर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। विज्ञान फिक्शन लेखक कोरी टोक्टोरो को अपनी पुस्तक “डाउन एण्ड आउट इन द मैजिक किंगडम” को एक साथ आनलाइन और छापा संस्करण प्रकाशित किया। प्रकाशित पुस्तक ने बहुत अच्छा व्यापार किया। उधर, आनलाइन में निःशुल्क दिए जाने के कारण प्रकाशित पुस्तक की जबर्दस्त बिक्री हुई। पुस्तक के दुकान पर व्यक्ति पुस्तक खरीदने से पहले जिस तरह उसे देखता है ठीक वैसा ही इसे समझा जा सकता है। खुली संस्कृति के एक दूसरे विद्वान लोरेन्स लेस्सिग ने भी अपनी ‘फ्री कल्चर’ का फ्री अनलाइन और छापा संस्करण किया। कुछ ही सप्ताह में उस पुस्तक के पोस्टर, श्रव्य पुस्तक के रुप में ढ़ेर सारे विचार व्यक्त किए गए और यह डाउनलोड के लिए भी प्राप्य था।
- अधिक से अधिक व्यक्ति सहभागितात्मक विषयवस्तु सृजना के महत्व को महसुस कर रहे हैं। प्रयोगकर्ताओं के बड़े समुदाय में ही केवल कृतियों को उपलब्ध कराना नहीं बल्कि सृजकों की दुनिया तक भी इसे पहुँचाकर इसके महत्व को और बढ़ाने की भी सोच है। आमतौर पर खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र से ग्रन्थकारिता की विस्तारित क्रमबद्ध प्रक्रिया का अभिलेख भी रखने के साथ ही उस कृति के प्रत्येक

प्रयोग और उसी समय की ग्रन्थकारिता के अभिलेख की आवश्यकता पड़ने के कारण मौलिक और कॉपी (नकल) के बीच के विरोधाभास से पुनर्मिश्रण, जो नकल भी नहीं है और मूल से भी अलग है, उसके विरुद्ध साबिक की कृति में विकसित होते हुए स्वतन्त्र होने का एक प्रयास है ।

- कुछ व्यक्ति खुला अनुज्ञापत्र नमूना (ओपन लाइसेन्स मौडल) अपनी विषयवस्तु के वितरण के लिए भी करना चाहेंगे, क्योंकि व्यापार और उद्योग में रहे एकाधिकार तथा कापीराइट प्रणाली की सीमा और बाध्यता से वे लोग परेशान हो गए हैं । यद्यपि साझा (कॉमन्स) बौद्धिक में योगदान देने योग्य होना आकर्षक बात है, कुछ व्यक्ति अपनी कृति में दूसरों के द्वारा किए गए काम से आकर्षित हैं और साझा बौद्धिक सम्पत्ति में योगदान देने पर होने वाले फायदा से भी आकर्षित हैं । इस आदर्शवाद ने केवल नवोदित कलाकारों को ही आकर्षित नहीं किया है, बल्कि जार्ज माइकल जैसे प्रसिद्ध कलाकार को भी अपनी ओर खींचा है । हाल में ही उन्होंने घोषणा की कि अब वे संगीत सृजना व्यापार के लिए नहीं करेंगे बल्कि वे अपने सभी संगीत कृतियों को इन्टरनेट में निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे ।
- हम प्रायः यह भूल जाते है अधिक विषयवस्तु के मालिक जो प्राज्ञिक या कला क्षेत्र में हैं वे लोग सार्वजनिक निकाय की स्वीकृत राशि से फायदा लिए होते है और उसे अपनी बौद्धिक सम्पत्ति बतलाते हैं जबकि वह सार्वजनिक सम्पत्ति से प्राप्त होता है । इसलिए हमें यह सोचना जरुरी है कि “सार्वजनिक राशि से उत्पादित बौद्धिक सम्पत्ति सार्वजनिक बौद्धिक सम्पत्ति है” ।

मैं खुला विषयवस्तु को अपनाने के कारणों को आप पर ही छोडे जाता हूँ लेकिन यदि आप इसे अपना चुके हैं तो स्वाभाविक रुप से एक सवाल उठता है कि आपको अपनी रचना या कृति के लिए किस प्रकार के अनुज्ञापत्र का प्रयोग करना चाहिए। संयोगवश, यह परिस्थिति स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर की दुनिया की तरह नहीं है जहाँ चयन करनें के लिए अनुज्ञापत्रों के अनेक विकल्प होते हैं। खुला विषयवस्तु की प्रक्रिया तुलनात्मक रुप में नया विकास है। इसका दूसरा सुयोग यह है कि स्वतन्त्र सॉटवेयर प्रक्रिया से यह बहुत कुछ सिखा सकता है। इसके साथ ही अनुज्ञापत्रों की श्रृंखला भी व्यवस्थापित की जा सकती है। ऐसा होने के बावजूद नए सीखने वालों को इन अनुज्ञापत्रों को और इसके भीतर कैसे जाया जाए इसके बारे में समझना थोड़ा कठिन ही होगा।

इस संक्षिप्त पुस्तक की रचना इसलिए की गई है कि खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के जगत के बारे में जानने और अन्वेषण करने में यह आपकी मदद करे। लेकिन अन्तिम निर्णय करना आपके हाथ में है। हमें विश्वास है कि लघु पुस्तक से ऐसे कामों के विकल्प और फायदे को समझने में आपको मदद मिलेगी।

अध्याय 3

खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों का सामान्य स्वभाव व चरित्र

अधिकांश खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के गुण परम्परागत प्रतिलिपि अधिकार अनुज्ञापत्रों के गुणें से भिन्न होते हुए भी कुछ कुछ समान हैं। इस बात को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है :-

क) अनुज्ञापत्र का आधार और मान्य समयावधि
ख) प्रदान किए गए अधिकार
ग) व्युत्पन्नात्मक या परिवर्तित काम
घ) व्यापारिक/गैरव्यापारिक प्रयोग
ङ) कार्यविधि आवश्यकता की शर्त
च) आवश्यक यश
छ) इससे न्यायपूर्ण प्रयोग के अधिकार पर असर नहीं पड़ता
ज) वारण्टी (सुरक्षण) का अभाव
झ) प्रचलित कानूनी प्रावधान

क) अनुज्ञापत्रों का आधार और मान्य समयावधि

अन्तिम प्रयोगकर्ता की स्वतन्त्रता तक को समेटने वाला अनुज्ञापत्र होने के कारण खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र भी दूसरे स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर लाइसेन्स की तरह ही मान्य है, और यह

कृतिकार के प्रतिलिपि अधिकार पर आधारित है। इस प्रतिलिपि अधिकार और अनन्य अधिकारों के कारण कृतिकार अपनी कृति का प्रयोग करने के बदले में अनुज्ञापत्र पर आधारित अधिकार और दायित्व अपनी ओर से तय कर सकता और करवा सकता है। अतः प्रत्येक खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र इस तरह कृतिकार के प्रतिलिपि अधिकार को सुनिश्चित करता है और कृति के अनुज्ञापत्र बिना उस कृति का प्रयोग करना प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन मानता है। दूसरे तरीके से प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन करने के लिए ऐसे अनुज्ञा पत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए कृति का प्रयोग अनुज्ञापत्र द्वारा लागू की गई सभी शर्तों तथा अवस्था के लिए मान्य होगा। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्र द्वारा अमान्य प्रयोग अन्य सहायक आधारित व्युत्पन्नात्मक कृति (डेरिवेटिव वर्क) की सृजना में किया गया है तो उस पर पावन्दी लगायी जा सकती है, जिसके लिए प्रावधान रखा जा सकता है। प्रायः खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों की सोच ये मान्यता रखती है कि अनुज्ञापत्र का प्रयोग करने की शर्तें और अवस्थाओं का स्पष्ट और सीधा होना जरुरी नहीं है और यह प्रयोगकर्ता के व्यवहार और प्रयोग से जुड़ा हो सकता है। जैसे एक गीत को लें। गीत को डाउनलोड करते समय से ही वह खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र की शर्तावस्था से जकड़ा रहता है। बाद में प्रयोगकर्ता यह नहीं कह सकता कि उसे ये शर्तें स्वीकार नहीं हैं।

ख) प्रदान किए गए अधिकार

प्रायः प्रतिलिपि अधिकार अनुज्ञापत्र जो प्रयोग के लिए अति नियंत्रित शर्तों पर आधारित होता है उसकी तुलना में खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र ने प्रयोगकर्ता को निश्चित स्वतंत्रता का

अधिकार देता है । इनमें से कुछ अधिकार प्रायः सभी खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र में समान हैं, जैसे कृति कॉपी करने का अधिकार, कृति वितरण करने का अधिकार, निश्चित अनुज्ञापत्रों में कभी प्रयोगकर्ता को कृति पर अद्यावधिक करने का अधिकार, व्युत्पन्नात्मक कृति वर्णशंकर (परिवर्तन) अधिकार, कृति का प्रदर्शन और परिवर्तित कृति का प्रदर्शन करने का अधिकार । अनुज्ञापत्र का चयन करते समय आप अपनी कृतिपर किस हद तक अधिकार प्रदान करना चाहते हैं, निर्णय लेना होता है । जैसे कि, आप एक फॉन्ट की सृजना करते हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरा इससे सम्बद्ध संस्करण का सृजना करे तो आप सारे अधिकार प्रदान करनेवाले अनुज्ञापत्र का चुनाव कर सकते हैं । लेकिन अगर आप किसी को फॉन्ट की कॉपी करने और वितरण करने का अधिकार देना चाहते हैं पर उसका टाइपफेस बदलने या संस्करण सृजना करने का अधिकार नहीं देना चाहते तो आपको कुछ पाबन्दी के साथ अनुज्ञापत्र का चयन करना होगा जिसमें सिर्फ पहले के दो अधिकार प्रदान किये गये हों ।

ग) व्युत्पन्नात्मक (डेरिवेटिव) या परिवर्तित काम

मौलिक कृति के आधार पर बनायी गई दूसरी कृति ही व्युत्पन्नात्ममक कृति है । खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों के विभिन्न रुपों में मुख्य अन्तर यही है कि ऐसी कृतियों के व्युत्पन्नात्ममक कार्य में कौन से तरीके का प्रयोग करना चाहिए । स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर आन्दोलन के लाइसेन्स के समय से ही यह सवाल उठता आया है । जैसे जिएनयू जीपीएल ने अनिवार्य किया है इसके तहत के अनुज्ञापत्र से सृजित व्युत्पन्नात्मक कृति को उसी के अन्तर्गत के अनुज्ञापत्र लेने होगें । इसका मतलब यह है कोई भी स्वतन्त्र कृति (फ्री वर्क) का फायदा लेकर दूसरी नयी कृति का निर्माण करने के बाद

रोक लगाने वाली शर्तो वाला अनुज्ञापत्र नहीं ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी कृति के सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में आ जाने के बाद उसे सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, आप BSD सॉफ्टवेयर लाइसेन्सेज जैसा अनुज्ञापत्र ले सकते हैं जो व्युत्पन्नात्मक कृति बनाने वाले व्यक्ती को उसे प्रोप्राइटोरी (स्वामिगत) या क्लोज्ड सोर्स अनुज्ञापत्र में बदलने की अनुमति देते हैं।

अनुज्ञापत्र के मार्फत व्युत्पन्नात्मक कृति को नियन्त्रित करने का सामर्थ्य खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्रों का महत्वपूर्ण पक्ष है और एक अर्थ में यह नियमितता की प्रत्याभूति दिलाती है। आपकी स्वीकृति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति परिवर्तित कृति नहीं बना सकता इसलिए आप उस स्वतन्त्रता को व्युत्पन्नात्मक कार्य में भी निस्तप्त अवस्था में स्वीकृति दे सकते हैं।

खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र में व्युत्पन्नात्मक कृति निर्माण का अधिकार सामान्यतया सभी माध्यम में इसके निर्माण को समेटता है। जैसे, मैंने एक कहानी खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत दिया, तो इसका मतलब कि प्रयोगकर्ता को इसके श्रव्य संस्करण का भी अधिकार मैंने दे दिया है।

दायित्व का मतलब खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के सन्दर्भ में यह होता है कि यदि व्युत्पन्नात्मक कृति संग्रह सम्पादन, पद्यावली, संग्रहग्रंथ के लिए है तो इसकी शर्तें और पाबन्दियाँ इसपर लागू नहीं होतीं क्योंकि संग्रह सम्पादन में केवल इधरउधर जोड़ना ही रहता है। उदाहरण के लिए, मैंने **एक्स** नाम का कामिक लिखा जो एक सामान्य संग्रह में रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में संग्रह के आम कमिक्सों को दूसरी शर्त

और अवस्था का अनुज्ञापत्र मिला हुआ है तो उस कॉमिक्स के लिए खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र लागू नहीं होगा; केवल उस संग्रह में शामिल मेरे कॉमिक्स एक्स के लिए ही यह लागू होगा।

घ) व्यापारिक/गैरव्यापारिक प्रयोग

खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष व्यापारिक/गैरव्यापारिक प्रयोग है। जैसे मैंने एक विडियो अंश बनाया और उसके किसी अंश के गैरव्यापारिक तरीके से प्रयोग करने के लिए दूसरे लोगों अनुज्ञापत्र दिया। दूसरी ओर, कुछ अधिक ही उदार अनुज्ञापत्र उन्हीं व्यक्तियों को सभी अधिकार वाला व्यापारिक रुप में उस अंश के शोषणात्मक प्रयोग की आज्ञा भी दे सकता है।

खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के बारे में लोगों के मन में एक शंका यह भी पायी जाती है कि उन्हें ऐसे कामों के कारण अपनी कृति से जीवनयापन करने पर रोक लग सकती है। ऐसा हो, यह जरुरी नहीं है। यदि आप किसी कृति के लिए गैरव्यापारिक अनुज्ञापत्र लेते हैं तो भी कोई प्रकाशक या कोई व्यापारिक अस्तित्व वाला उसे प्रकाशित कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हे अनुज्ञापत्रधारी के साथ कुछ सहमति करनी होगी। दूसरे शब्दो में, गैरव्यापारिक आधार पर कृति या उसके किसी खण्ड का प्रकाशन करने के बाद भी ग्रन्थकार या कृतिकार नफामुखी अस्तित्व के लिए अनुज्ञापत्र बेच सकते हैं, लेकिन जब गैरव्यापारिक प्रयोग के लिए निरन्तरता को निषेधित नहीं किया गया हो।

ङ) कार्यविधि आवश्यकता की शर्तें

प्रायः खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के सन्दर्भ में सभी प्रयोगकर्ताओं (ऐन्ड यूजर्स) जो कृति का वितरण और व्युत्पन्नात्मक (परिवर्तित) कृति चाहते हैं उन्हें ईमानदारी के साथ कार्यविधि का पालन करना चाहिए। व्युत्पन्नात्मक कृति के बारे में यह और अधिक जरुरी है। सामान्यतः अनुज्ञापत्रों द्वारा कृति के साथ ही अनुज्ञापत्र की कॉपी भी मांगी जाती है या कोई चिन्ह या संकेत का समावेश, जिससे अनुज्ञापत्र की अवस्था का पता चले कि इसे किस आधार पर वितरित किया जा रहा है, मांगा जाता है। उदाहरण के तौर पर © और यह अनुज्ञापत्र कहाँ से प्राप्त होता है यह मालूम हो सके। यह कार्यविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अनुज्ञापत्र के सभी अधिकार और दायित्व तीसरे पक्ष (जो कृति प्राप्त करता है) पर भी लागू होते हैं और इसकी सूचना स्पष्ट रुप से मिल जाती है।

च) आवश्यक यश

कार्यविधि पूरा करने की दूसरी आवश्यकता है कि किसी भी हालत में कृतिकार को यथोचित श्रेय मिलना चाहिए। यह विधि दूर परिदृश्य में लागु होता है। पहले तो ऐन्ड युजर जब कृति को तीसरे पक्ष को देता है तो उसी समय उसे कृतिकार को पूरा श्रेय देने का पक्का कर लेना चाहिए। यदि, अन्तिम प्रयोगकर्ता ने उस कृति का परिमार्जन किया है या व्युत्पन्नात्मक कृति का निर्माण किया है तब भी यह लागु होगा। इस तरह व्युत्पन्नात्मक कृति में भी स्पष्ट रुप से मूल कृतिकार और मूल प्रति कहाँ से उपलब्ध होता है इसका उल्लेख करना चाहिए।

आप किसी भी माध्यम से दस्तावेज या कागजात की प्रति निकाल कर वितरण, व्यापारिक या गैरव्यापारिक रुप में प्रयोग कर सकते हैं । लेकिन अनुज्ञापत्र का प्रतिलिपि अधिकार सूचना, अनुज्ञापत्र सूचना प्रत्येक प्रति में लिखा होना जरुरी है । यह भी उल्लेख करना पड़ेगा कि आप किसी भी हालत में अनुज्ञापत्र से अधिक शर्त नहीं रख सकते । तकनीकी तरीके का प्रयोग कर और कपी बनाने का काम, वितरण तथा अध्ययन करने में रुकावट नहीं पहुचना चाहिए ।

जिएनयू फ्री डकुमेन्टेसन लाइसेन्स,
संस्करण १.२, नवम्बर २००२

इस प्रावधान का महत्व इसलिए दर्शाया गया है कि खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों ने आदान प्रदान और सहभागिता के एक वैकल्पिक समुदाय को खोजा है । और यह कृतिकार को श्रेय देना भी महत्वपूर्ण मानता है । आर्थिक विकास के अभाव में और उत्प्रेरक तत्व जैसे परिचय, इज्जत, सम्मान आदि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र कृतिकार के अधिकारों को नजर अन्दाज नहीं करता और उसके अधिकार के सम्मान के लिए अपने नियमों का कड़ाई के साथ पालन करे इस पर जोर देता है ।

आप संगीत प्राप्त करने के बाद उसे किसी भी माध्यम में कपी कर सकते हैं और वितरित कर सकते हैं लेकिन आपको :

क) सभी प्रतियों में स्पष्ट और समुचित रुप में सही प्रतिलिपि अधिकार सूचना प्रकाशित करना होगा ।

ख) इस अनुज्ञापत्र से जुड़ी सभी सूचना को सही तरीके से शामिल करना होगा ।

ग) संगीत की सभी प्रति में उससे सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सूचना, जानकारी, जिसमें कृति का नाम और श्रेय प्राप्त व्यक्ति का नाम और भूमिका भी लिखी होनी चाहिए ।

घ) संगीत के प्रत्येक प्रापक को संगीत के साथ इस अनुज्ञापत्र की एक प्रति या स्पष्ट (URL) यूआरएल जहा से यह अनुज्ञापत्र इन्टरनेट में कैसे प्राप्त किया जा सकता पता चल सके ।

एथिमोनिक्स फ्री म्युजिक लाइसेन्स,
संस्करण १, अगस्त २०००

छ) इससे न्यायपूर्ण प्रयोग के अधिकार पर असर नहीं पड़ता

प्रतिलिपि अधिकार कानून में उल्लघंन का एक अपवाद है, न्यायसंगत प्रयोग का अपवाद । न्यायपूर्ण प्रयोग के अपवाद में सामान्यतया समालोचना, समीक्षा और निश्चित गैरव्यापारिक तथा शैक्षिक प्राज्ञिक प्रयोगों का अंशगत प्रयोग आता है । खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र से भी इसकी अवस्था और शर्त के आधार पर आपके न्यायसंगत प्रयोग के अधिकार पर प्रतिकूल

प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई इसकी शर्त और अवस्था से सहमत नहीं है और खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र को मानना नहीं चाहते तो भी उन लोगों को न्यायसंगत प्रयोग के अधिकार के सिद्धान्त से मिले दायरे के भीतर रहकर प्रयोग करने की स्वतन्त्रता रहेगी।

खुला संगीत (ओपेन म्युजिक) की रचनाओं को पूर्ण या आंशिक दोनों रुपों में पुनः उत्पादन और वितरण किया जा सकता है । किसी भी भौतिक वा इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) माध्यम में इस अनुज्ञापत्र की शर्तावस्था को मानना होगा । और अनुज्ञापत्र या इससे सम्बन्ध (जैसे : रचनाकारों और उसके प्रकाशकों द्वारा चुने गए कोई विकल्प) किए गए समावेशीकरण पुनः उत्पादन में प्रदर्शित होना चाहिए ।

लाइनेक्स टॉंग ग्रिन ओपन म्युजिक लाइसेन्स
ड्राफ्ट VI.I, 33 २२ अप्रैल २००१

ज) वारण्टी (सुरक्षण) का अभाव

मौद्रिक मूल्य के बिना ही प्रायः कृतियाँ उपलब्ध कराना और प्रयोगकर्ता को भी एक निश्चित स्वतन्त्रता दिया जाना खुला विषयवस्तु इजाज़त पत्रों में एक प्रचलित प्रावधान है, और इसमें किसी भी वारण्टी (सुरक्षण) के बिना कृति उपलब्ध कराने "जो जिस रुप में है" के आधार का उल्लेख किया रहता है। अनुज्ञापत्र देनेवालो के लिए कृति में कोई वारण्टी देने की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन इसके बाबजुद कुछ अनुज्ञा पत्रों द्वारा पिछले प्रयोगकर्ताओं को सेवा पर सुरक्षण दिया जाता है अर्थावा व्युत्पन्नात्मक कृति जहाँ वारण्टी का मतलब अनुज्ञापत्रधारी और तीसरे पक्ष के बीच की बात होती है।

खुला विषयवस्तु (ओपन कन्टेन्ट) बिना मूल्य के इजाजत प्रदान करता है । इस कारण इसमे प्रभावशाली कानूनी दायरे से अधिक की वारण्टी नहीं होता । लिखे शर्तों के अलावा प्रतिलिपि अधिकार धारी और दूसरे सम्बद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत खुला विषयवस्तु 'यथावस्था' किसी प्रकार की अभिव्यक्त या अप्रत्यक्ष वारण्टी के बिना उपलव्ध है । लेकिन सीमितता न रहने की स्थिति में निश्चित उद्देश्य की बिक्री या योग्यता पर सामर्थ्य का अप्रत्यक्ष वारण्टी के अलावा खुला विषयवस्तु प्रयोग करते समय इसकी सभी समस्यायों का जिम्मा आपका है । खुला विषयवस्तु में कोई त्रुटि रह जाने या उसके गलत प्रकाशित होने या किसी कारणवश उसके अस्वीकार होने पर उसके सुधार या शुद्ध करने का सभी खर्च आपको उठाना होगा ।

खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्र (ओपीएल, OPL)
संस्करण १.०, जुलाई १४, १९९८

यह कृति यथावस्था में प्रभावशील कानून से मिली अनुमति के दायरे के भीतर किसी भी अभिव्यक्त या अप्रत्यक्ष वारण्टी के बिना उपलव्ध है । लेकिन सीमित्ता न रहने की स्थिति में निश्चित उद्देश्य की बिक्री या योग्यता पर सामर्थ्य का अप्रत्यक्ष वारण्टी उपलब्ध है ।

डिजाइन साइन्स लाइसेंस १९९९–२००१

झ) प्रचलित कानूनी प्रावधान

अनुज्ञापत्र लेते समय आपको कोई विशेष चिन्ता नहीं करनी है फिर भी कुछ कानूनी प्रावधानें खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के अन्त में प्रायः दिखाई पड़ जाती है और इसे प्रचलित कानूनी प्रावधान कहा जाता है, जैसे :

- **विच्छेद योग्य या विभाजित (सेवरीबिलिटी)**: यहाँ इसका मतलब अनुज्ञापत्र के एक भाग या अंश के अमान्य (निष्क्रिय) होने पर भी दूसरा भाग या अंश सक्रिय रहता है ।
- **दायित्व (लायबिलिटी) की सीमा**: अनुज्ञापत्रों में प्रायः यह उल्लेख किया रहता है अनुज्ञापत्र देनेवाला अर्थात् प्रदायक कृति के प्रयोग से होने वाले किसी भी चीज का जिम्मेवार नहीं होगा । जैस, एक प्रयोगकर्ता कृति के कारण से किन्हीं मानसिक परेशानियों को भोगता है तो उसका दावा नहीं कर सकता है ।
- कृति के पुनर्वितरण के लिए अनुज्ञापत्र में हेरफेर या सुधार करने की अनुमति अनुज्ञापत्र नहीं देता है ।
- **विसर्जन (टर्मिनेशन)**: अधिकांश अनुज्ञापत्रों में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अधिकारों के दायित्व का उल्लघंन किए जाने के साथ ही उसके समाप्त होने का उल्लेख रहता है ।

अध्याय ४

खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों के क्षेत्राधिकार (डोमेन) का नक्शांकन

विभिन्न प्रकार के खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों के लिए नक्शांकन करने का तरीका अलग-अलग है, जो इस प्रकार है:

- **(क) अनुज्ञापत्र द्वारा सम्बोधित किए गए माध्यम के आधार पर**
- **(ख) अनुज्ञापत्र की प्रकृति के आधार पर**
- **(ग) अनुज्ञापत्र के मान्य समयावधि के आधार पर**

नक्शांकन करने का और अन्य प्रयासों के समान ही यह नक्शांकन भी अपूर्ण हो सकता है। प्रयोगकर्ता को अनुज्ञा बनाकर देखने में आसानी हो इसके लिए बृहत नक्शा उपलब्ध कराने के सिलसिले में इन अनुज्ञापत्रों का पूरा टेक्सट (शब्दश:) रुप में अध्ययन करने के लिए हम लोग उत्साहित करते है। इससे कानूनी भाषा का डर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। आपको इसका विवरणात्मक स्वरुप स्पष्ट हो जाएगा।

(क) अनुज्ञापत्र द्वारा सम्बोधित किए गए माध्यम के आधार पर

इस अनुज्ञापत्र द्वारा सम्बोधित किए गए माध्यम को देखकर खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों को समूहगत किया जा सकता है। अनुज्ञापत्र चयन करते समय आप कोई भी सामान्य

अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र का चयन कर सकते हैं। सामान्य अनुज्ञापत्र को एक ही आकार के भीतर सभी प्रकार के लिये उचित रहनेवाला माना जा सकता है, जहाँ विषयवस्तु की विशेष प्रकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस विशेष प्रकार के अनुज्ञापत्र का चुनाव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह आपके काम के अनुरुप है, जैसे संगीत। बल्कि, यह अनुज्ञापत्र के विषयवस्तु के लिए है। अधिकतर साझा सृजना अनुज्ञापत्र सामान्य विषयवस्तु अनुज्ञापत्र का उदाहरण है। दूसरी ओर, विशिष्ट अनुज्ञापत्र निश्चित माध्यम को सोचकर बनाया गया अनुज्ञापत्र है। इस क्षेत्र में अनुज्ञापत्रों की एक लम्बी श्रृंखला नहीं है और अधिकांश विशेष अनुज्ञापत्रों ने संगीत के बारे काम किया है। इस तरह संगीत के क्षेत्र में आप के पास चयन करने के लिये ई एफ-एफ फ्री आडियो अनुज्ञापत्र, एथिमोनिक्स फ्री म्युजिक अनुज्ञापत्र, ओपन म्युजिक अनुज्ञापत्र, साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स), संगीत अनुज्ञापत्र आदि विकल्प हैं। सामान्य अनुज्ञापत्र से अधिक अर्थ पूर्ण विशेष अनुज्ञापत्र का चयन करना होता है क्योंकि यह आपकी सूक्ष्म आवश्यकताओं को अधिक समझ सकता है। जो एक निश्चित माध्यम संचार में आवश्यक पड़ सकता है।

ख) अनुज्ञापत्र की प्रकृति के आधार पर

अनुज्ञापत्र का स्वभाव और प्रकृति के अनुसार भी खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ अनुज्ञापत्र ऐसे हैं जो जीएनयू जीपीएल के नजदीक हो सकता है अर्थात् वह पूर्ण स्वतन्त्रता में विश्वास रखता है और बहुत ही कम प्रतिबन्ध कृति या व्युत्पन्नात्मक कृति पर लगाता है। इसी तरह कुछ ऐसे अनुज्ञापत्र भी हो सकते हैं जो आधारभूत स्वतन्त्रता देते है - इन अनुज्ञप्ति दाताओं को विशेष क्षेत्र व्यापारिक प्रयोग, व्युत्पन्नात्मक कृति की सृजना जैसे क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति देता है। अनुज्ञापत्रों के एक वर्ग

और समूह में होने के बाबजूद भी इसके भीतर के विभाजन स्पष्ट नहीं होते है। इसी तरह आपके पास साझा सृजना CC अनुज्ञापत्र के भीतर भी सभी अधिकारों से भरा खुला अनुज्ञापत्र भी हो सकता है और कुछ ही अधिकारों तथा अधिक प्रतिबन्ध वाला भी अनुज्ञापत्र हो सकता है।

(ग) अनुज्ञापत्र की मान्य अवधि के आधार पर

जीएनयू जीपीएल में परेशान करने वाला सवाल है इसकी मान्य समयावधि। अदालत में इसका जवाव नही दिए जाने के कारण खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र जारी करते समय लोगों को यह ध्यान में रखना पड़ता है। खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र की दुनिया में अभिरुचिपूर्ण प्रगति यह देखने को मिल रही है कि कालानुक्रम के आधार पर जब इसका वर्गीकरण जैसे पहले पीढी में (फ्री आर्ट, ओपन कन्टेन्ट, ओपन आडियो) और दूसरे पीढी के अनुज्ञापत्रों में साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) किया जाता है तो इन्टरनेट समयावधि के कम समय की लम्बाई में दूसरे पीढी के अनुज्ञापत्रों की शैली में उल्लेख परिवर्तन आ गया है।

ज्ञान और सृजना वह सम्पदा है, जिसे सच्चे अर्थ में स्वतन्त्र रहना चाहिए और इसे ठोस प्रयोग के साथ प्रत्यक्ष रुप से सम्बन्धित न रहकर खोज का विषय बनना चाहिए। सृजना करने का मतलब अनभिज्ञ बातें या नयी वातों का पता लगाना और यथार्थ के सावधानी के बिना ही सत्य का पता लगाना है। लेकिन इसे ही कला का उद्देश्य, वस्तु का रुप या उसका स्वरुप नहीं मान लेना चाहिए। यही फ्री आर्ट अनुज्ञापत्र की आधारभूत सोच है। और कलाकारीय अभ्यास को बाजार के अर्थतन्त्र के नियम से स्वतन्त्र रखते हुए प्रवर्द्धन करना और बचाना है।

फ्री आर्ट लाइसेन्स, प्रिअम्बल संस्करण १.२

पिछले चरण या पीढ़ी के अनुज्ञापत्रों में अनेक तरीकों के कार्य सम्पादन की निश्चितता के लिए कड़ी बहसों के साथ विचार अंकित थे। इसके कहने का मतलब यह है कि जब आप शुरु के खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्रों को पढ़ते हैं तो वह घुमावदार तर्क के साथ लिखा होता है और इसमें प्रस्तावना के साथ ही प्रतिलिपि अधिकार के विरुद्ध के विचारों की विज्ञप्ति का आभास मिलता है। प्रायः कानूनी भाषा में लिखे गए कागजात की तरह अव्यक्तिक नहीं होती है। यह एक बोली के रुप में होती है जो अपने आप में कारण तथा जगह था ज्ञान आर्जन और उसके वितरण का कारण तथा जगह था। अत दूसरी पीढ़ी के अनुज्ञापत्रों से पहली पीढ़ी के अनुज्ञापत्र कानूनी कागजात के रुप में शायद कम प्रभावी है और इसी वजह से यह अभिरुचिपूर्ण भी है क्योंकि अनुज्ञापत्र के रुप में यह अधिक स्पष्ट नहीं है, जिसका अभाव कानूनी रुप में योग्य दूसरे चरण के अनुज्ञा पत्रों में है।

अधिकतर सॉफ्टवेयरों के अनुज्ञा पत्रों का डिजाइन इस तरह का बना होता है कि आप उसे आदान प्रदान या बदलने के लिए स्वतन्त्र नहीं है । भिन्नता शुरु में ही है जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस (सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञा पत्र) का मतलब स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर का आदान प्रदान करके और बदलने की प्रत्याभूति आपके पास है । यह सॉफ्टवेयर के सभी प्रयोगकर्ता को स्वतन्त्र रुप से प्राप्त हो सके ऐसी इसकी मान्यता है ।

जीएनयू, जनरल पब्लिक लाइसेंस
(सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञा पत्र)
प्रीअम्बल संस्करण २, जुन १९९१

दूसरी पीढ़ी के अनुज्ञा पत्रों को व्यवसायी रुप में पेश किया गया है। वह कानूनी कागजात के रुप में दिखाई पड़ता हैं और समझा जाता है। अनुज्ञापत्रों के आदान-प्रदान उन्मुख सृजना में भवन की ईंट की तरह माने जाने के कारण कानूनी कागजात के रुप में खरा होना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य सम्पादन की मान्यता पर अनुज्ञापत्रों का परिमार्जन तथा सुधार किया जाता है और विचारगत मतभेद अनुज्ञापत्र के वर्णनात्मक वनावट के बाहर होता है।

यहाँ अनुज्ञापत्र के भाषा के बारे में व्यर्थ की बातें या अलंकारिक वाक्यों की चर्चा करने की कोशिश नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें दूसरी पीढ़ी के अनुज्ञापत्रों को औपचारिकता की ओर ले जाने के क्रम में हुए विकासक्रम और अभियान को देखते हुए प्रतिलिपि अधिकार के वृहत विचार विमर्श का नक्सांकन करने का प्रयास किया गया है। बहुतों के लिए प्रतिलिपि अधिकार के विरुद्ध की लड़ाई केवल सृजनशीलता का भविष्य न होकर पूँजी के वृहत भविष्य से जुड़ा होता है, जो धन आर्जन करने का नया मार्ग खोलने का प्रयास करता है। इस तरह अनुज्ञापत्रों का परिमार्जन और साफ करते रहने की प्रक्रिया से भी कानून की दुनिया के अंधेरे पक्ष के साथ व्यवहार करने का पक्ष कमजोर दिखता है। खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र प्रतिलिपि अधिकार के वादविवाद का अखाडा नहीं बने, इस ओर हम सबको जाना चाहिए।

कार्यकृति (वर्क) निम्नानुसार व्याख्या किये हुए इस साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) पब्लिक लाइसेन्स (सीसीपीएल वा लाइसेन्स) को निम्न शर्त पर उपलब्ध कराया गया है । इस कृति का प्रतिलिपि अधिकार और अन्य प्रभावकारी कानूनी अधिकार द्वारा सुरछित है । इसमें दिए गए अधिकार के अलावा अतिरिक्त अधिकार का प्रयोग करना मना है । यहां उल्लेखित किसी भी अधिकारों का प्रयोग कर आप इस अनुज्ञापत्रों की शर्त में बाँध जाने की स्वीकृति देते है । अनुज्ञप्तिदाता इन शर्तों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें रहे अधिकारों को दिया है ।

क्रिएटिव कॉमन्स (साझा सृजना) लाइसेंस

प्रीअम्बल संस्करण २.०

अध्याय ९

मुख्य खुला विषयवस्तु वाले अनुज्ञापत्र का तुलनात्मक अध्ययन

अनुज्ञापत्रों को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है । पहले भाग, पहले चरण या पहली पीढ़ी के अनुज्ञापत्रों का उल्लेख करता है और दूसरा भाग दूसरे चरण या दूसरी पीढ़ी के अनुज्ञापत्रों का उल्लेख करता है (विस्तृत तीसरे अध्याय के भाग 'ग' में) शुरु के बहुत अनुज्ञापत्र अब साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स अनुज्ञापत्रों) के भीतर शामिल हो गया है और परिशिष्ट में सूचीकृत है । अब उसका प्रयोग नहीं किए जाने पर भी पहली पीढ़ी के अनुज्ञापत्रो से दूसरे पीढी के अनुज्ञापत्रों तक के समय के अन्तराल को समझना रुचिपूर्ण है ।

इसका भी मनन करते रहिए कि दूसरे अध्याय में समेटे गए अनुज्ञापत्रों का प्रयोग करने पर उसका पालन करने की विधि और विवरण भी समाविष्ट है जो प्रायः अनुज्ञापत्र के अन्त में उल्लेखित रहता है ।

स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र (फ्री आर्ट लाइसेन्स)

संस्करण १.१

http://artlibre.org/license.php/lalgb.html

शायद सॉफ्टवेयर अधिकार क्षेत्र के बाहर और कलाअधिकार क्षेत्र के भीतर स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर तथा खुला श्रोत को विचार में परिणत कराने का यह पहला प्रयास है और यह अनुज्ञापत्र प्रतिलिपि अधिकार साझा हस्तान्तरण कॉपीलेफ्ट के आधार पर अपना उल्लेख करता है ।

सन् २००० में पेरिस में प्रतिलिपि अधिकार साझा हस्तान्तरण प्रवृत्ति के विषय (कॉपीलेफ्ट एट्टिच्यूड) पर हुई गोष्ठी से स्वतन्त्र कला (फ्री आर्ट) अनुज्ञापत्र की शुरुआत हुई । इस बैठक ने पहली बार कम्प्यूटर विशेषज्ञों और सॉफ्टवेयरके सक्रिय लोगों को समकालिक कलाकर्मी और कलाजगत के सदस्यों के साथ समेटा । इस अनुज्ञापत्र ने कुछ शर्त पूरा करने पर कलाकार या सृजकों को अपनी कृतियाँ स्वतन्त्र और निर्भिक होकर सार्वजनिक रुप में उपलब्ध कराने और कपी करने का अधिकार, कृति का वितरण और परिमार्जन वा आधुनिकीकरण करने की अनुमति दी ।

दर्शन :

प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, “चालू साहित्यिक एवं कलापूर्ण सम्पत्ति (कृति) अधिकार में कलात्मक कार्य की सार्वजनिक पहुँच पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र (फ्री आर्ट लाइसेन्स) का उद्देश्य इस तरह की पहुँच को उत्साहित करना है ।”

यस अनुज्ञापत्र का डिजाइन इसलिए भी किया गया है ताकि आम लोग कलाकृति का सृजनशील प्रयोग कर सकें और उससे इन्टरनेट तथा अन्य डिजिटल माध्यम मिडिया के प्रयोगकर्ता या उत्पादक शैली को मजबूत बनाया जा सके ।

इन्टरनेट के जन्म के साथ ही सहकार्य आपस में बांटना और उत्पादन का वितरण करना आदि व्यापक सम्भावनाओं को मान्यता देता है जबकि परम्परागत प्रतिलिपि अधिकार सहकार्य के सहजीकरण का समर्थन नहीं करता । स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र (फ्री आर्ट लाइसेन्स) बहुत सारे समकालिक कलाकारों द्वारा निर्वाह की गई प्रयोग प्रक्रिया को निरन्तरता देता है ।

स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र कला के लिए उचित अर्थतन्त्र का वकालत करता है - जिसका आधार बाँटना, विनिमय करना और खुशी के साथ प्रदान करना है । इसका कहना है “कला में क्या होना चाहिए वह तो महत्वपूर्ण है ही लेकिन महत्वपूर्ण नहीं दिए जाने वाले पक्ष भी इसमें महत्वपूर्ण होते है ।”

प्रदत्त अधिकार

स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र प्रयोग करने वाले कलाकार या सृजक अपने प्रयोगकर्ता को अनेक स्वतन्त्रता देते हैं -

१) कृति की प्रतिलिपि बनाने की स्वतन्त्रता, जो निजी और दूसरों के प्रयोग के लिए होता है ।

२) किसी भी माध्यम से कृति का वितरण करने की स्वतन्त्रता । यह अधिकार परिमार्जित और अपरिमार्जित कृति दोनों में लागु हो सकता है । वितरण करने वाला व्यक्ति इसे निःशुल्क या उसका मूल्य लेकर भी कर सकता है ।

३) उपर बताए गए पहले की अवस्थाओं को पूरा करने पर उसका परिमार्जन करने का अधिकार ।

लेकिन वितरण करने की स्वतन्त्रता और परिमार्जन करने का अधिकार निम्न अवस्था में मिलता है :

वितरित कृति में अनुज्ञापत्र पूरी तरह से संलग्न होना चाहिए और यह कहाँ मिल सकता है वह भी बताना चाहिए ।

- मौलिक कृति के रचनाकार का नाम उल्लेख होना चाहिए ।
- प्रापक मौलिक कृति कहाँ से प्राप्त कर सकता है उसका उल्लेख करना चाहिए ।

यह कैसे काम करता है

कला की निरन्तरता की प्रक्रिया को सक्षम बनाना अनुज्ञापत्र का विचार है । इस कला को एक खाली परिणाम के अन्दर समाप्त होने वाला क्रियाकलाप मानने के विचार के विरुद्ध है । इसी से यह निम्न नमूने स्थापित करता है :

मौलिक कार्य (**कृति/रचना**) → **उत्तरकालीन** (**परिमार्जित**) **रचना**
(**मौलिक पर आधारित**) → **सामुदायिक** (**कार्य**) **रचना**

इस अनुज्ञापत्र ने स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र की तरह समान अवस्था और शर्त न रहे किसी भी कृति से सम्बद्ध अनुज्ञा पत्रों के साथ संयोजित होने पर प्रतिबन्ध लगाया है । इसलिए फ्री आर्ट लाइसेन्स के तहत प्रयोग की गई कृति सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकती है । इसतरह कोई भी मौलिक कृति के आधार पर पिछली कृति का निर्माण कर सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र से हटाने का प्रयास नहीं कर सकता है । कृति को स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र के तहत ही रखना पडेगा । स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाए जाने का कारण, किसी भी व्यक्ति के योगदान या ग्रन्थकारी अधिकारी को इन्कार करना नहीं, बल्कि कलाकृति के विकासक्रम में योगदान करने की सोच वाले अनुज्ञप्तिधारी या प्रयोगकर्ता द्वारा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को अधिकार देना है या देना स्वीकार कर लेना है ।

स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अनुज्ञापत्र की शर्त तथा उद्देश्य को स्वीकार किए बिना किसी को भी कृति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। जब से वे लोग स्वीकारते हैं उसी समय से अनुज्ञापत्र की अवस्था और शर्त से बँध जाते हैं। स्वीकार करने की बात को स्पष्ट करने की जरुरत नहीं है एकमात्र क्रिया, जैसे कॉपी करने का कार्य, वितरण और परिमार्जन करने से ही यह समेटा जाता है।

स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र का प्रयोग क्यों ?

स्वतन्त्र कला अनुज्ञापत्र इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी सूत्र प्रदान करता है। इससे आपकी कृति या उसके किसी भाग को कोई भी इधर उधर कर सृजनशील प्रक्रिया को छोटा नहीं कर सकता है। समष्टिगत रुपमें विकासशील कृति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐसी कृति की सृजना से कुछ को ही फायदा मिलने के मनसाय को कम करता है। इसे ही सकारात्मक ढंग से अगर कहा जाए तो सांस्कृतिक सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में योगदान करने के लिए यह सही अनुज्ञापत्र है।

दस्तावेज के लिये अनुज्ञा पत्र

प्राचीन विचार से अलग सांस्कृतिक उत्पादन के बारे में खुला दस्तावेज तैयार करने वाले अनुज्ञा पत्रों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। जो सॉफ्टवेयरका प्रयोग करना जानता है, सॉफ्टवेयरका महत्वपूर्ण पक्ष उसके लिए उपलब्ध लिखित दस्तावेज में रहता है। ये अनुज्ञापत्र माध्यम से सम्बन्ध न होकर भी इस प्रकार के प्रकाशन के लिए सोचा गया है लेकिन यह सब सॉफ्टवेयर के व्याख्यात्मक कागजात से अधिक अन्य पक्षों के कागज़ात के लिए भी उपयोगी होगा।

जीएनयू स्वतन्त्र दस्तावेज अनुज्ञा पत्र (जीएनयू फ्री डकुमेन्टेसन लाइसेन्स)

संस्करण १.२, नवम्बर २००२

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

जीएनयू स्वतन्त्र दस्तावेज अनुज्ञापत्र प्रारम्भिक रुप में जीएनयू जीपीएल का पूरक अनुज्ञापत्र है। अनेक अर्थों में साहित्यिक सामग्री के लिए यह कॉपीलेफ्ट प्रतिलिपि अधिकार साझा हस्तान्तरण (कॉपीलेफ्ट) के बराबर है। प्रारम्भिक रुप में मेनुअल (कार्य पुस्तिका) और निर्देशनात्मक कागजात, जिसकी व्यवहारिक उपयोगिता है, उसी तरह के सॉफ्टवेयर और निर्देशनात्मक सामग्री के लिए यह तैयार किया गया है। वर्तमान में संसार का सबसे बृहत अनलाइन संयुक्तात्मक विश्वकोष विकीपेडिया ने इस अनुज्ञापत्र को तत्सम्बन्धी विषयवस्तु के लिए अपनाया है। अपने शुरु के विषय सामग्री के कारण यह अनुज्ञापत्र, नए सीखने वालों को दुविधाग्रस्त करने वाला है। यदि आपकी साहित्यिक कृति (काम) अलग प्रकार की है तो वैसी कृति के लिए साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) के अनुज्ञापत्रों में से एक अधिक उचित होता है, इसके बाबजूद यह अनुज्ञापत्र बृहत संयुक्तात्मक प्रलेखीय परियोजना के लिए उपयोगी हो सकता है।

दर्शन

स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर के लिए खुला प्रलेखन चाहिए। एक फ्री प्रोग्राम, ऐसी नियम पुस्तिका के साथ आनी चाहिए जो उतनी ही स्वतन्त्रता प्रदान करे जितना सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। यह अनुज्ञापत्र नियम पुस्तिका, निर्देशनात्मक पाठ, अन्य कार्यात्मक तथा उपयोगी दस्तावेज को स्वतन्त्रता के मामलों में मुक्त रखना चाहता है।

प्रदान किए गए अधिकार

इस अनुज्ञापत्र के तीन सैद्धान्तिक लक्ष्य है ।

१) यह सभी को कॉपी करने और पुनर्वितरण करने की प्रभावकारी स्वतन्त्रता प्रदान करता है, व्यापारिक या गैरव्यापारिक और परिमार्जन के बिना ।

२) यह अनुज्ञापत्र कृतिकार और प्रकाशक के श्रेय को सुरछित करता है और अन्य द्धारा किये गये परिर्माजन के लिये जिम्मेवार नहीं ठहराता ।

३) यह अनुज्ञा पत्र, 'कॉपीलेफ्ट' अनुज्ञापत्र है जिसका अर्थ इसके जितने भी व्युत्पन्नात्मक कार्य होगें वो इसी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत होगें ।

यह कैसे काम करता है ?

जीएनयू स्वतन्त्र प्रलेखन अनुज्ञापत्र उसी तरह आपके कार्य में प्रयोग किया जा सकता है जिस तरह जीएनयू जीपीएल आपके सॉफ्टवेयर पर प्रयोग होता है, जिसे आप अनुज्ञापत्र के नीचे दिए गए निर्देशनों का पालन कर प्राप्त कर सकते है । जो भी हो जीएनयू स्वतन्त्र प्रलेखन अनुज्ञापत्र कार्यविधि आवश्यकता के हिसाब से प्रयोगकर्ता के लिए झंझट वाला है साथ ही नए लोगों को पढ़ने में यह अनुज्ञापत्र कठिन भी है । यह प्रलेखन सॉफ्टवेयर के सबसे उपयुक्त अनुज्ञापत्र में अभी भी सेवा दे रहा है, लेकिन अन्य तरह के निर्देशनात्मक साहित्य जैसे पाठ्यपुस्तक के लिये जीएनयू स्वतन्त्र अनुज्ञापत्र की तुलना में साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) अनुज्ञापत्र के प्रयोग के लिए सिफारिश करता हूँ । इस अनुज्ञापत्र में अनेक प्रावधानों का डिजाइन इस तरह किया गया है । यह सॉफ्टवेयर नियम पुस्तिका के लिए सोच कर बनाया गया है

और यह अन्य निर्देशनात्मक नियम पुस्तिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकता है। कृति के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाली आवश्यकता और उसका पालन करने के दौरान यह विशेष रुप से सत्य साबित होता है।

सम्पूर्ण रुप में जीएनयू स्वतन्त्र प्रलेख जीएनयू जीपीएल की शर्त में अनुज्ञापत्र प्राप्त सॉफ्टवेयर के लिए एक पूरक अनुज्ञापत्र के रुप में उपयोगी है। ऐसी आवश्यकता वाले प्रयोगकर्ता के लिए अनुज्ञापत्र से सीधी जानकारी लेना उपयोगी होगा।

सामान्य प्रलेखन अनुज्ञा पत्र (कॉमन डॉकुमेन्टेशन लाइसेंस)

संस्करण १.० फरबरी १६, २००१

http://www.opensource.apple.com/cdl

यह एप्पल द्वारा सॉफ्टवेयर और निर्देशनात्मक कार्य पुस्तिका के लिए प्रस्तुत किए गए प्रलेखन तैयारी अनुज्ञापत्र है। जीएनयू के स्वतन्त्र प्रलेखन अनुज्ञापत्र की अपेक्षा इसे अधिक सरल और स्पष्ट किया गया है। इसने बहुत सारे प्राविधिक विस्तार को हटाया है, जो वहाँ था।

इस सीधा अग्रगामी प्रलेखन अनुज्ञापत्र का कहना है - “सरलता की रक्षा करने में यह अनुज्ञापत्र विशेष रुप से बिस्तार में बताना नहीं चाहता कैसे (उदाहारणार्थ फॉन्ट का आकार) और कहाँ (उदाहरणार्थ शीर्षक, पृष्ठ आदि) कृतिकार को श्रेय देना चाहिए”।

इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ?

कोई भी प्रलेखन नियम पुस्तिका (डॉकुमेन्टशन मैनुअल) और अन्य कृति जिसका विषय प्रतिलिपि अधिकारधारी की सूचना में समेटा होता है कि इसकी शर्तें सामान्य प्रलेखन अनुज्ञापत्र से सम्बन्धित होगा ।

प्रदान किए गए अधिकार

इस अनुज्ञापत्र ने अनेक अधिकार दिए है : दस्तावेज और सहायक (व्युत्पन्नात्मक) कृति की कॉपी करने, परिमार्जित करने, सार्वजनिक प्रदर्शनी, वितरण और प्रकाशन का अधिकार किसी भी माध्यम भौतिक या इलेक्ट्रोनिक, व्यापारिक या गैरव्यापारिक रुप में करने का । जिसका आधार :

- दस्तावेज में रही सभी प्रतिलिपि अधिकार सूचनाएँ सुरक्षित रहेगी ।
- अनुज्ञापत्र की एक प्रति या इससे सम्बद्ध मिश्रण की प्रति निश्चित रुप से प्रत्येक प्रति के स्पष्ट स्थान पर संलग्न हो जिसे दस्तावेज पाने वाला आसानी से देख सके और
- इस अनुज्ञापत्र की शर्त में आप अन्य कुछ नहीं जोड़ सकते

यह कैसे काम करता है ?

सभी पिछली सहायक कृतियों को इसी अनुज्ञापत्र की अवस्था और शर्तो पर आधारित रहकर प्रकाशित करनी चाहिए और सभी अनुज्ञापत्र सम्बन्धी उपयुक्त सूचनाएँ तथा परिवर्तन कायम रखना चाहिए ।

कृति और सहायक उत्तर कृतियों को संयोजन में जोड़ा जा सकता है । यह यदि मात्र समुच्चयन है तो संयोजन की यह कृति अनुज्ञापत्र की अवस्था और शर्त के भीतर नहीं पड़ेगी जबकि अन्य सभी कृति, सहायक कृति के अनुज्ञापत्र की प्रभावकारिता सम्बन्धी सभी सूचनाएँ कायम ही रहेगी ।

इस अनुज्ञापत्र का संस्करण २.० को साझा सृजना श्रेय समान प्रति (क्रिएटिव कॉमन्स अैट्रिब्युशन शेयर अलाइक) अनुज्ञापत्र में परिवर्तन किया गया है ।

खुले संगीत अनुज्ञापत्र (ओपन म्युजिक लाइसेन्सेज)

http://openmusic.linuxtag.org/showitem.php?item=209

यह खुला संगीत अनुज्ञापत्र (ओपन म्युजिक लाइसेंस) जर्मनी से शुरु हुआ है । इसने जीएनयू जीपीएल की पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया है और यह संगीत अधिकार क्षेत्र में पड़ता है लेकिन इसने नाम अनुरुप अधिकारों के स्वभाव के आधार पर समान रुप से तैयार किए गए विभिन्न रंगो (हरा, पीला, लाल और इन्द्रधनुष) के अनुज्ञापत्रों को उपलब्ध कराया है ।

दर्शन

संगीतकर्मियों को उनकी कृति बाँटने या आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाने, आमलोगों को संगीत का प्रयोग करने की अनुमति देने लेकिन संगतिकर्मियों को उनके संगीत से यथासम्भव कमाने पर नियन्त्रण कायम करना है ।

खुला संगीत अनुज्ञापत्र अनेक गीतकार, संगीतकार और सांगीतिक समूहों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद तैयार किया गया है । अनुज्ञापत्र का सार भाग ही आमलोगों के लिए खुला संगीत का प्रयोग और वितरण करने के लिए सहमति होने के कारण अनुज्ञापत्रों को तीन प्राथमिक रंगों में अलग किया गया है, जो ट्राफिक संकेतक लाइट के तर्क के आधार पर है ।

- हरा अनुज्ञापत्र किसी भी प्रकार के प्रयोग की अनुमति देता है ।
- पीला अनुज्ञापत्र सभी अधिकार देता है किन्तु व्यापारिक प्रयोजन पर प्रतिबन्ध लगाता है ।
- लाल अनुज्ञापत्र व्यक्तिगत प्रयोग और वितरण की केवल अनुमति देता है ।

चौथा विकल्प यह है कि यह काम आपको खुद करना है, मिलकर या मिलाकर अनुज्ञापत्र को ही इन्द्रधनुष कहा जाता है । जब शुरु के आधारभूत तीन रंगों से परिचित होते हैं, तब आप अपना इन्द्रधनुष अनुज्ञापत्र बना सकते हैं ।

दिए जाने वाले अधिकार

	हरा	पीला	लाल
व्यक्तिगत प्रयोग	●	●	●
व्यक्तिगत परिमार्जन	●	●	
व्यक्तिगत सहायक (आधारित) कृति	●	●	
व्यक्तिगत वितरण	●	●	●
व्यक्तिगत प्रसारण	●	●	●
व्यापारिक प्रयोग	●		
व्यापारिक परिमार्जन	●		
व्यापारिक सहायक कृति	●		
व्यापारिक वितरण	●		
व्यापारिक प्रसारण	●		

यह काम कैसे करता है ?

सभी संस्करणों में निम्नलिखित सूचनाओं की जरुरत पड़ती है। प्रतिलिपि अधिकार © <year>by<कृतिकार or डिजाइनर> यह कृति सिर्फ पूर्व निर्धारित शर्त और अवस्था के आधार पर बाँटी जाएगी। (उपयुक्त रंग का प्रयोग करना चाहिए) खुला संगीत अनुज्ञापत्र -vx.y अन्तिम संस्करण वर्तमान में http://openmusic.linuxtag.org/ में उपलब्ध है।

कृतिकार या प्रकाशक द्वारा चुने गए माध्यमों के विकल्प इसके बाद तुरन्त आना चाहिए।

हरा : खुला संगीत अनुज्ञा पत्र (ग्रीन ओपन म्यूजिक लाइसेन्स)

प्रारुप संस्करण १.१, २२ अप्रैल २००१

सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञापत्र (ग्रीन म्यूजिक लाइसेंस) जीएनयू जीपीएल पर आधारित है अर्थात् इसके बहुत ही नजदीक माना जाता है। इसलिए यह अनुज्ञापत्र स्वतन्त्रता की अधिकतम सीमा प्रदान करता है।

प्रदत्त अधिकार :

यदि कोई भी संगीतकार अपनी कृति को इस लाइसेंस के अर्न्तगत रखता है तो वो निम्नलिखित अधिकार दूसरे को देने का सामर्थ्य रखता हैं।

१. **पुनरुत्पादन** : इस अनुज्ञापत्र के साथ जुड़ जाने के बाद अनुज्ञापत्रधारी द्वारा इस पुनरुत्पादन कार्य के हरा अनुज्ञापत्र (ग्रीन लाइसेंस) की शर्त और अवस्था के बारे में जानकारी देने पर कृति का पूर्ण या आंशिक रुप में किसी भी माध्यम भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रुप से पुनरुत्पादन करने का अधिकार।

२. **व्यापारिक पुनर्वितरण** : पुनर्वितरण करने के अधिकार में व्यापारिक पुनर्वितरण को भी समेटा गया है।

यह कैसे काम करता है ?

भौतिक स्वरुप के कोई भी प्रकाशन (जैसे सीडी) में मूल प्रकाशक और कृतिकार का नाम उल्लेख करना चाहिए। प्रकाशक और कृतिकार या ग्रन्थकार का नाम उत्पादन के

आवरण पर होना चाहिए । मूल प्रकाशन का नाम सभी उत्पादन के आवरण पर कृति के शीर्षक की तरह ही बड़े अक्षर में होना चाहिए और शीर्षक के सम्बन्ध में उसका स्वामित्व के रुप में उल्लेख होना चाहिए ।

निश्चित माध्यम संगीतकार इस अनुज्ञापत्र के तहत के कुछ निश्चित माध्यम के लिए कृति का अधिकार और प्रदत्त अधिकार अपने में निहित रखते है । वह दूसरों के फारमेट (वाह्याकृति) के लिए अलग से अनुज्ञापत्र रख सकता है । इस तरह के अनुज्ञापत्र इन्टरनेट में डिजिटल वितरण के लिए ही केवल रखा जा सकता है । ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को कैसेट और सीडी के सम्बन्ध में वही अधिकार नहीं होगा फिर भी प्रतिलिपि अधिकार धारी से अन्य माध्यमों के लिए अनुमति ली जा सकती है । इस विकल्प को 'मिडिया लौकिंग विकल्प' कहा जाता है ।

ऐसा करने के लिए कृति के साथ ही अनुज्ञापत्र का वितरण करने पर एक वाक्यांश जोड़ दीजिए : "कृति या व्युत्पन्नात्मक (सहायक) कृति के वितरण पर प्रतिबन्ध है । यहाँ माध्यम भरना है जबतक प्रतिलिपि अधिकारधारी से पूर्व अनुमति नहीं ली जाती है" ।

कार्यक्षेत्र

यदि अनुज्ञप्ति धारी एक खुला संगीत कृति या अन्य कृति का एक अंश लेता है तो यह अनुज्ञापत्र स्वभावत: अन्य कृति के लिए प्रभावकारी नहीं होगा । यदि आपके पास १० गीतों की सीडी है, जिसमें से दो खुला संगीत की शर्तावस्था का है तो यह जरुरी नहीं है कि अन्य आठ गीतों को भी खुला संगीत अनुज्ञापत्र में समेटा गया हो । जैसे भी हो यह सूचना प्रवाहित होनी चाहिए जिससे लोगों को यह मालूम हो सके कि यह काम खुला संगीत कृति का है ।

जैसा कि प्रायः खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्रों की तरह कृतियों को यथास्थिति में सुरक्षण नहीं दिया जाता है।

अगर अनुज्ञापत्र में कोई परिमार्जन किया जाता है तो उसे अनेक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

- कृति के अन्य सभी परिमार्जित संस्करण इस अनुज्ञापत्र के अन्दर आते हैं। यह नयी कृति, जो खुला संगीत कृति का एक भाग भी समेटता है उसे भी समावेश करता है।
- परिष्कृत संस्करण जैसा कहा गया है वैसा ही उल्लेख कर लिखना चाहिए।
- जिसने परिमार्जन किया है उसका परिचय और काम करने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- मौलिक अपरिमार्जित कृति का परिचय देकर कृति प्राप्त करने के स्थान के बारे में जानकारी देना चाहिए।
- मुख्य रचनाकार की अनुमति के बिना मुख्य संगीतकारों का नाम परिणामगत कृति की सिफारिश के लिए वक्रोक्तिपूर्ण तरीका से प्रयोग नहीं करना चाहिए।

नयी कृति इसी अनुज्ञापत्र से विल्कुल मेल खाते हुए निकालनी चाहिए, जिससे लगे कि परिमार्जित संस्करण मौलिक कृति की भूमिका निर्वाह कर रहा है। इस तरह का परिमार्जित संस्करण कोई भी प्राप्त करे लेकिन वितरण और परिमार्जन के लिए यही अनुज्ञापत्र लागू होगा।

अच्छे अभ्यास के लिए सिफारिशें :

अनुज्ञापत्र ने सिफारिश की है कि यदि कोई व्यक्ति खुला संगीत कृति या कार्य को भौतिक रुप में वितरण करता है तो उसे मूल संगीतकार या अनुज्ञप्तिदाता को ३० दिन पहले सूचना देनी चाहिए और जिससे वह परिमार्जित कृति की एक प्रति उसे उपलब्ध करा सके, यदि उसके पास है तो। सूचना के जरिए कृति में किए गए परिमार्जन को बतलाना होगा। एक सलाह दी जाती है कि किसी भी भौतिक स्वरुप अभिव्यक्तियों की एक निःशुल्क प्रति, खुला संगीत अनुज्ञापत्र की गई कृति के रचनाकार को समर्पण करना अच्छी बात है।

पीला खुला संगीत अनुज्ञा पत्र (यलो ओपन म्युजिक लाइसेंस)

प्रारुप संस्करण १.१, २२ अप्रैल, २००१

व्यापारिक प्रयोगों में रंगीन खुला संगीत अनुज्ञा पत्रों में से पीला अनुज्ञापत्र में हरा अनुज्ञापत्र की अपेक्षा अधिक प्रतिबन्ध है। यदि परिमार्जन के लिए ही अनुमति देनी है तो इस अनुज्ञापत्र का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यह अनुज्ञापत्र सांगीतिक गैरव्यापारिक प्रयोग के लिए ही मान्य है। अन्य सभी बातों में यह हरा अनुज्ञापत्र के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक ऐसा प्रावधान है कि पूर्व अनुमति लिए बगैर कोई भी व्यापारिक काम नहीं किया जा सकता है।

इस कृति या व्युत्पन्नात्मक कृति का पूरा या आंशिक प्रकाशक प्रचलित रुप में व्यापारीक प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी की पूर्व अनुमति के बिना वर्जित है। व्यापारिक प्रयोजनों के भीतर किसी भी व्यापारीक संजाल के मार्फत प्रसारण, व्यापारिक मूल्य, व्यापारिक प्रतिलिपि और उधार देने तथा सार्वजनिक प्रदर्शन समावेश है।

लाल खुला संगीत अनुज्ञा पत्र (रेड ओपन म्युजिक लाइसेंस)

खुला संगीत अनुज्ञापत्रों में से इस पर सबसे अधिक प्रतिबन्ध है और यह अनुज्ञापत्र केवल तीन अधिकारों की अनुमति देता है ।

१. **व्यक्तिगत प्रयोग**

२. **व्यक्तिगत वितरण**

३. **व्यक्तिगत प्रसारण**

जिस तरह हरे अनुज्ञापत्र में दिए गए अधिकार, जैसे : परिमार्जन का अधिकार, वितरण का अधिकार और सहायक कृतियों की सृजना का अधिकार इस अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत नहीं दिया गया है । इसके अलावा कृति का किसी प्रकार का व्यापारिक प्रयोग करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है ।

इस तरह आप देख सकते हैं हरा से पीला और लाल तक के विकासक्रम में अधिकार देने से अधिक अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति तक का यह अभियान है ।

साझा सृजना अनुज्ञा पत्र (क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस)

संस्करण २.०

http://creativecommons.org

खुला विषयवस्तु अनुज्ञप्तिकरण प्रसंग के नये क्षेत्र में साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) सबसे अधिक सारपूर्ण पहलुओं में से एक है। खुला विषय वस्तु के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुज्ञप्तिकरण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) एक उपयोगी विकल्प के रुप में है। क्रिएटिव कॉमन्स के अनुसार मार्च २००५ में इन्टरनेट में एक करोड़ से अधिक कार्य साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) अनुज्ञापत्र में उपलब्ध था। वेबसाइट में अनेक प्रकार के प्रयोगकर्ताओं के लिए काफी सूचनाएँ उपलब्ध है, जिसमें पहली बार के प्रयोगकर्ता से लेकर प्राज्ञिक और अनुसन्धानकर्ताओं तक के लिए गहन अध्ययन करने की सामग्रियाँ है। क्रिएटिव कॉमन्स अन्तर्राष्ट्रिय अनुज्ञा पत्रों के स्तर की श्रृंखला की ही सृजना कर रहा है जो विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए तय किया गया है। यह लिखते समय जापान, फिनलैण्ड, ब्राजिल, जर्मनी, नीदरलैण्ड, फ्रान्स, अस्ट्रिया, स्पेन, ताइवान, इंगलैण्ड, इटली, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, क्रोएशिया और कोरिया में स्थानीयकरण किए गए अनुज्ञापत्र उपलब्ध है।

साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) का दर्शन

स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर अभियान से प्रेरित होकर क्रिएटिव कॉमन्स विश्वास करता है कि सृजनशीलता को बरकरार

रखने के लिए विशाल और संगीत सूचना के सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इस सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र को प्रखर तौर पर समृद्ध करने के लिए एक सकारात्मक अधिकार की आवश्यकता है । कियेटिव कॉमन्स के अनुज्ञापत्रों का निर्माण कर खुला विषयवस्तु और संयुक्तीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाता है और इसके साथ ही डाटा बेस (Database) की तरह काम भी करता है । क्रिएटिव कॉमन्स समाज को प्रतिलिपि अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति तथा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के बारे में जागरुक बनाता है ।

यह कैसे काम करता है ?

क्रिएटिव कॉमन्स के पास अनुज्ञा पत्रों का एक समूह होता है जो कि एक अनुज्ञापत्र विजार्ड द्वारा बनाया गया होता है । लिए साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) के अनुज्ञापत्र संस्करण के १.० के अनुसार लेखक वा कृतिकार अपनी ईच्छा के अनुसार श्रेय ले सकता था और नहीं भी । पर लिए साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) के अनुज्ञापत्र संस्करण २.० के अनुसार कृति के लेखक को श्रेय देना अनिवार्य है क्योंकि ९५% से अधिक लिए साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) अनुज्ञापत्रधारकों ने श्रेय लेने की बात को सही ठहराया था । अनुज्ञापज्ञ विजार्ड अन्तिम उपयोगकर्ताओं को दो मुख्य अवधारणों मे से किसी एक का उपयोग करने का सामर्थ्य देता है । प्रयोगकर्ता द्वारा चुने गए मिश्रण के आधार पर अन्तिम अनुज्ञापत्र का निर्धारण किया जाता है । वे दो मुख्य अवधारणाएँ हैं :

१. **व्यापारिक प्रयोग :**

आधारभूत रुप में यह चुनाव किसी भी व्यक्ति को आपकी कृति का व्यापारिक उपयोग करने देने वा गैरव्यापारिक

उद्देश्य के लिए मात्र प्रयोग करने देने के बारे में अनुमति देने का निर्णय करता है । अब जब कि 'गैरव्यापारिक प्रयोजन' की परिभाषा नहीं दी गई है, तब यह सम्भवतः "आमदनी के लिए नहीं" (क्रिएटिव कॉमन्स अनुज्ञा पत्रों के अनुसार) यह बात समझी जानी चाहिए ना कि पुनः उत्पादन और वितरण खर्च भी न ले सकने की असमर्थता । (व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक के अभिप्रेतार्थ पर विचार विमर्श के लिए खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र का सामान्य स्वभाव का 'घ' खण्ड देखें ।)

अनुज्ञापत्र के खण्ड ४ में उल्लेखित है : आप खण्ड ३ में प्रदत्त अधिकार का किसी भी ऐसे तरीके में उपयोग नहीं कर सकते जो प्रारम्भिक रुप में प्रत्यक्ष व्यापारिक फायदा या निजी भौतिक सहूलियत की ओर आकर्षित हो ।

२. व्युत्पन्नात्मक कार्यकृतियों का परिमार्जन और सृजना

यह दूसरा चुनाव आपकी कृति को दूसरे के द्वारा व्युत्पन्नात्मक कृति बनाई जा सकती है या नही इसका निर्णय करता है । इसमें 'नहीं' का चुनाव करने पर आप अपनी कृति को लोगों तक अपने असली रुप में ही पहुँचाने, प्रतिलिपि निकालने वितरण और प्रदर्शन करने का अधिकार देते हैं पर वे लोग आपकी कृति में हेरफेर, बदलाव या परिमार्जन करने का अधिकार नहीं रखते । (इस अनुज्ञापत्र विकल्प को गैरव्युत्पन्नात्मक (नो डेरिभ्स) कहते हैं । यदि आप हाँ का चुनाव करते हैं तो भी आप इस पर कुछ शर्तें रख सकते हैं, जिससे व्युत्पन्नात्मक कृतियाँ भी आपकी कार्यकृति रखी गयी सर्तावस्थाओं के द्वारा निर्देशित होंगी । (इस अनुज्ञापत्र विकल्प को 'शेयर अलाइक' कहते हैं ।) दूसरे शब्दों में कहे तो जो व्यक्ति आपकी कृति से व्युत्पन्नात्मक कार्य किया हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति पर (जो आपकी कृति से व्युत्पन्नात्मक कार्य कर रहा है) पर किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता ।

आप प्राविधिक तौर पर ६ विभिन्न अनुज्ञापत्र बना सकते हैं जो व्युत्पन्नात्मक और व्यापारिक प्रयोगों का सम्मिश्रण हो सकता है । वह इस प्रकार है :

(क) श्रेय (अनुमति : व्यापारिक प्रयोग और व्युत्पन्नात्मक कार्य)

(ख) श्रेय : गैरव्यापारिक

(ग) श्रेय : गैरव्युत्पन्नात्मक

(घ) श्रेय : गैरव्यापारिक - गैरव्युत्पन्नात्मक

(ङ) श्रेय : समान (अनुज्ञप्ति) प्रति

(च) श्रेय : गैरव्यापारिक समान (अनुज्ञप्ति) प्रति

पिछले प्रयोगकर्ता की आसानी के लिए यही अनुज्ञापत्र तीन स्वरुप में प्रस्तुत किया गया है :-

- **साझा विलेख (कॉमन्स डीड)** : यह सादा सरल एक पृष्ठ में अनुज्ञापत्र का सारांश (जो विभिन्न भाषाओं में उल्लेख) है । जो सान्दर्भिक प्रतीकों के द्वारा पूर्ण किया गया है ।

- **कानूनी संहिता (लीगल कोड)** : कानूनी भाषा में लिखा गया औपचारिक अनुज्ञापत्र है ।

- **अंकीय संहिता (डिजीटल कोड)** : यह अनुज्ञापत्र के मेटाडाटा के अनुसार है जो खोज इन्जिन और अन्य अनुप्रयोगों को कार्य कृति शब्द के प्रयोग से पहचान करने में मद्दत करता है ।

इन आधारभूत अनुज्ञापत्र कें साथ साथ साझा सृजना कुछ विशेष अनुज्ञापत्र भी प्रदान करता है, जैसे,

सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र समर्पण (पब्लिक डोमेन डेडिकेशन)।

जब आप प्रभावकारी रुप में अपने प्रतिलिपि अधिकार को त्यागना चाहते हैं और किसी भी अधिकार पर नियंत्रण करना नहीं चाहते हैं तो यह एक 'नो राइट्स रिज़र्वड' निर्णय है।

संस्थापक का प्रतिलिपि अधिकार

प्रतिलिपि के इस तरीका के जरिए आप एक लघु समयावधि अपना सकते हैं जैसा कि १४ वर्ष, जो कि दूसरे १४ वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है न कि अमेरिकी प्रतिलिपि अधिकार जो लेखक के मरने के बाद भी ७० वर्ष तक उसका अधिकार सुनिश्चित करता है।

प्रतिरुप (सैम्पलिंग) अनुज्ञा पत्र

तीन अनुज्ञापत्र आपकी कार्यकृति का पुनः प्रयोग करने के लिए लोगों को समर्थ बनाता है। इन अनुज्ञापत्रों का डिजाइन विशेष तौर पर सांगीतिक कार्यो के लिए किया गया है। (अनुज्ञापत्रों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।)

संगीतिक आदान प्रदान (शेयर्ड म्युजिक)

कोई भी व्यक्ति आपकी सांगीतिक रचना डाउनलोड, कॉपी, फाइल शेयर, आदान प्रदान, वितरण और सार्वजनिक मंचन कर सकता है लेकिन इसका व्यापारिक प्रयोग और इस पर आधारित व्युत्पन्न काम करने पर प्रतिबन्ध लगा होता है। यह गैरव्यापारिक, गैरव्युत्पन्नात्मक अनुज्ञापत्र है, लेकिन विशेष कर यह संगीतकारों के लिए बनाया गया है।

विकासशील देशों के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र में कार्यकृति की कपी करने के साथ ही उसका वितरण, मंचन और व्युत्पन्नात्मक कार्य करने का अधिकार 'विकासशील संसार' के प्रयोगकर्ताओं को दिया गया है । (जैसे - श्रेय अनुज्ञापत्र द्वारा प्रदान किए गए अधिकार) कृतिकार का पूरा प्रतिलिपि अधिकार विकसित संसार में निहित होता है ।

सभी अनुज्ञापत्रों के आधारभूत अधिकार और प्रतिबन्ध

साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) अनुज्ञापत्रों की अनेक विशेषताएँ आपस में मिलती जुलती (समान) हैं । सभी अनुज्ञापत्र :-

- कृति पर आपके प्रतिलिपि अधिकार को निश्चित करता है और आपकी कृति के लिए लोगों को कहाँ तक और कैसा अनुज्ञापत्र दिया जाए, यह निर्णय करने की अनुमति देता है ।
- कृति के सन्दर्भ में न्यायसंगत प्रमाण पर इससे प्रतिकूल असर नहीं पड़ता यह स्पष्ट करता है और पहला बिक्री सिद्धान्त (फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन) या आपकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के आधार पर आपके अधिकारों को किसी भी तरीके से सीमित नहीं करता ।

टिप्पणी : प्रतिलिपि अधिकार का पहला बिक्री सिद्धान्त अनिवार्य रुप से यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिलिपि अधिकार के विषय का वस्तु खरीदता है तो वह उसका कारोबार कर सकता है जैसे (मैं कोई किताब खरीदता हूँ तो उसे दूसरे दुकानदार को बेच सकता हूँ ।

प्रत्येक अनुज्ञापत्र को अनुज्ञप्तिधारी की जरुरत होती है :

- आपके द्वारा प्रतिबन्धित वस्तु पर कोई भी काम करने के लिए आपकी अनुमति लेनी जरुरी है । जैसे : आपका चुनाव अनुज्ञापत्र तक लोगों की पहुँच उसकी कापी और वितरण करने का अधिकार देना है, तो यदि वे लोग कृति का व्यापारिक प्रयोग या व्युत्पन्न कार्य करना चाहेगें तो उन्हें आपसे स्वीकृति लेनी होगी ।
- अगर कोई आपके कार्य की कॉपियों का वितरण करते हैं तो उस पर प्रतिलिपि अधिकार सूचना की मोहर लगी होनी चाहिए ।
- कृति के साथ ही अनुज्ञापत्रों का प्रकाशन करना या कृति की कापी के जरिए भी आपके अनुज्ञापत्र का सम्बन्ध जुड़ा होना चाहिए ।
- अनुज्ञापत्र की शर्तावस्था में हेरफेर नहीं कर सकते हैं ।
- किसी दूसरे अनुज्ञप्ति धारी की कृति के कानून सम्मत प्रयोगों में रुकावट डालने की तकनीक या कोई अन्य काम नहीं कर सकते हैं ।

सभी अनुज्ञापत्र अनुज्ञप्तिधारी को उसकी शर्तावस्था मानने पर विभिन्न अनुमति दे रखी है

- कृति की कॉपी
- कृति का वितरण
- कृति का सार्वजनिक प्रदर्शन और मंचन
- कृति का डिजिटल सार्वजनिक प्रदर्शन (उदाहरण, वेबकास्टिंग)
- कृति को दूसरे रुप में अक्षरशः उतारना

सभी अनुज्ञापत्रः

- विश्वव्यापी रुप में लागू होते हैं ।
- कृति का प्रतिलिपि अधिकार उसे समय के अन्त तक मान्य होते हैं ।
- इसे खारिज (रद्द) नहीं किय जा सकते ।

ये प्रचलित शर्तावस्थाएँ सभी अनुज्ञापत्रों के लिए लागू होती हैं और विभिन्न अनुज्ञापत्रों की विविधता के क्षेत्रों से पहले कहे गए अनुसार सही रुप में दो प्रारम्भिक तत्वों के सम्मिश्रण पर निर्भर करती हैं । आप व्यापारिक प्रयोग करने की अनुमति देते हैं या व्युत्पन्न कृति की सृजना की अनुमति देते हैं । (यदि देते हैं तो इसकी शर्त क्या है ?)

अब हम फिर उन छह आधारभूत अनुज्ञापत्र जो साझा सृजना अनुज्ञापत्र का विजार्ड प्राथमिक रुप में दिखाई पड़ता है और उस ओर लौट सकते हैं ।

(क) श्रेय

यह साझा सृजना श्रृखंला के अन्तर्गत उपलब्ध सबसे उदार अनुज्ञापत्र है। पिछले प्रयोगकर्ताओं को यह व्युत्पन्न कृति की सृजना करने का अधिकार देने के साथ ही साथ कृति का व्यापारिक शोषण करने का भी अधिकार देता है। यह अनुज्ञापत्र लेखक को श्रेय देने और प्रकियात्मक आवश्यकताऔं का पालन करने जैसा कुछ प्रतिबन्ध लगाता है जैसेः अनुज्ञापत्र की सूचना को निरन्तरता देना । इस अनुज्ञापत्र में प्रयोगकर्ता को व्युत्पन्न कार्य विरतण करने के दौरान साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) अनुज्ञापत्र की शर्तावस्था तक का भी मानना नहीं पडेगा । उसे व्युत्पन्न कृति कार्य में प्रतिबन्ध लगाने के लिए सामान्य प्रतिलिपी अधिकार शर्तावस्था लागु करेन तक की भी छूट है ।

(ख) श्रेय गैरव्यापारिक

इस अनुज्ञापत्र में पिछले प्रयोगकर्ताऔं को सभी अधिकार दिए गए हैं वशर्ते की वह आपकी अनुमति के बगैर आपकी कृति का कोई व्यापारिक प्रयोग न करें। प्रयोगकर्ता व्युत्पन्न काम कर सकते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि अनुज्ञापत्र के उद्देश्य के लिए गैरमौद्रिक पर आधारित फाइल साझेदारी और अन्य प्रकार के कामों की साझेदारी को इसमें व्यापारिक प्रयोग नहीं माना गया है।

(ग) श्रेय गैरव्युत्पन्नात्मक

यह अनुज्ञापत्र बहुत तरीकों से पहले की तुलना में उल्टा है। इस अनुज्ञापत्र के तहत आप कृति या कार्यका व्यापारिक प्रयोग कर सकते हैं ,लेकिन मुख्य कृति के अधार पर व्युत्पन्नात्मक कार्य या कृति आप नहीं बना सकते है।

(घ) श्रेय गैरव्यापारिक गैरव्युत्पन्नात्मक

यह अनुज्ञापत्र ही शायद सबसे अधिक प्रतिबन्ध लगाता है क्योंकि यह प्रयोगकर्ता को आधारभूत अधिकार जैसेः कॉपी करने और वितरण तथा कृति प्रदर्शन करने से अधिक अधिकार नहीं देता है। प्रयोकर्ताको व्युत्पन्नात्मक कृति तैयार करने और व्यापारिक प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता है।

बॉकी दो अनुज्ञापत्र जो जीएनयू जीपीएल परिवार के निकट का है और प्रयोगकर्ता व्यूत्पन्नात्मक काम के लिए किस तरह के विधिवत प्रयोग कर सकते हैं ? इस सवाल पर वह रोक लगाता है। उन बॉकी अनुज्ञापत्रों में एक खास शब्द का प्रयोग किया गया है “शेयर अलाइक” (समान अनुज्ञप्ति प्रति) जिसका अर्थ यह है कि प्रयोगकर्ता को व्यत्पन्नात्मक कार्य

सृजना करने के अधिकार का अभ्यास उसी अवस्था में मिल सकता है जबकि वह भी दूसरों को वही अधिकार देना मंजुर करता है ।

ङ) श्रेय- समान अनुज्ञप्ति प्रति

इस अनुज्ञापत्र के अनुसार प्रयोगकर्ता को कृति का व्यपारिक प्रायोग और व्युत्पन्नत्मक कृति निर्माण करने की छूट होती है । लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ यही है कि प्रयोगकर्ता को उसके व्यत्पन्नात्मक कार्य में वही अधिकार दुसरों को भी देना होगा । इसी तरह साझा सृजना (क्रिएटिभ कॉमन्स) अनुज्ञापत्र का उदाहरण लेन पर भी एक प्रयोगकर्ता जो इसी अनुज्ञापत्र के आधार पर कृति का प्रयोग करता है तो वह अपनी कृति के लिए अन्य कोई गैर व्युत्पन्नात्मक अनुज्ञापत्र के अन्गार्तत रहकर अनुज्ञापत्र नहीं दे सकता है । वह व्युत्पन्नात्मक कार्य की सृजना करने के अधिकार पर पाबन्दी नहीं लगा सकता है यह अनुज्ञापत्र जीएनयू सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञा पत्र (जीपीएल) के जैसा ही अनन्त तत्वगत व्यक्ति से लेकर व्यक्ति तक पहचने के क्रम में मौलिक स्वतन्त्रता को कम नहीं करने वाला है ।

(च) श्रेय गैरव्यापारिक - समान अनुज्ञप्ति प्रति

पिछले अनुज्ञापत्र कि तरह इसकी भी एक ही शर्त है कि कृति का व्यापारिक प्रयोग नहीं किया जाएगा । विशेष अनुज्ञापत्र में से (उपर देखिए) तीन प्रतिदर्शी (सैमप्लिंग) अनुज्ञापत्रों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है इन अनुज्ञापत्रों को सांगीतिक कार्य या कलाकृति के अंश के पुनः प्रयोग के प्रतिदर्शी के लिए बनाया गया है । इसी तरह विज्ञापनों में कृतिका प्रयोग, जो सांगीतिक कार्य के लिए विशेषकर सान्दर्भिक है, उसके लिए विशेष नियम है ।

प्रतिदर्शी (सैमप्लिंग)

विज्ञापन के अलावा अन्य सभी उद्देश्यों की लिए तीसरा पक्ष कलाकृति के अंश का प्रयोग और परिवर्तन कर सकता है। सम्पूर्ण कृति की कॉपी करने और वितरण करने की स्वीकृति नहीं है। प्रतिदर्शी अनुज्ञापत्र ने कार्य या कृति की प्रतिदर्शी करने की अनुमती दी है। इस तरह व्यापारिक प्रयोग निश्चित किया गया है। (इस तरह समाविष्ट गीत प्रतिलिपी अधिकार के सामान्य प्रतिबन्ध के तहत वितरण किए जा सकते हैं।) अन्य सभी साझा सृजना क्रिएटिव कॉमन्स अनुज्ञापत्रों की तरह मौलिक कृतिकार को श्रेय देना आवश्यक है।

प्रतिदर्शी प्लस (सैमप्लिंग प्लस)

यह अनुज्ञापत्र प्रतिदर्शी अनुज्ञापत्र कि तरह ही वही अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह समस्त कार्यकृति का फाइल शेयरिगं और अन्य माध्यमों से गैरव्यापारिक प्रतिलिपी करने, शेयरिगं और वितरण करने की अनुमति देता है।

गैरव्यवपारिक प्रतिर्दशी सैमप्लिंग प्लस

यह अनुज्ञापत्र नमूना अनुमति के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाता है सभी व्यापारिक प्रयोग (विज्ञापन ही नहीं) पर रोक लगाया है। गैरव्यापारिक तरीके से किए गए वितरण के लिए ही नमूना का प्रयोग किया जा सकता है। सैमप्लिंग प्लस अनुज्ञापत्र के जैसे ही गैरव्यापारिक वितरण के लिए समस्त कार्यकृति के वितरण करने की इसने भी स्वीकृति दी है।

अन्य अनुज्ञापत्र

खुला विषयवस्तु और खुला प्रकाशन अनुज्ञापत्र (ओपने कन्टेन्ट एण्ड ओपन पब्लिकेशन लाइसेंस)

http://www.opencontent.org

खुला विषयवस्तु और खुला प्रकाशन अनुज्ञापत्र की रुपरेखा युटाह स्टेट विश्वविद्यालय के प्रशिक्षणात्मक प्रविधि के सहायक प्रध्यापक डाक्टर डेविड विल्ले ने तैयार किया था। फ्लास (FLOSS) मौडल (ढाँचा) की शर्तावस्था को गैरसाफ्टवेयर ढाँचा मे रुपान्तर करने की यह पहली कोशिश थी। यह बातें अब प्राज्ञिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए मात्र रह गईं हैं क्योंकि सन् २००४ में ही साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) ने इस अनुज्ञापत्र को विस्थापित कर दिया था। उन्हें शब्दों में :-

खुला विषयवस्तु आधिकारिक रुप में बन्द हो चुका है और वह ठीक ही है। सन् १९९८ के वसन्त पुष्पकाल में खुला विषयवस्तु के आरम्भ ने मेरे लिए सामाग्री शेयरिङ की सोच में एक युगान्तकारी परिवर्तन लाया। वह भी खासकर शिक्षा के सहयोग में। इस परियोजना के प्रतिवेदन का सक्षिंप्त रुप यहाँ है:- सन् १९९८ के वसन्त पुष्पकाल में मैंने ओपन कन्टेन्ट शब्द को पहचान दिया और सोच में परिवर्तन करने की और लग गया। गूगल के अनुसार अभी तक एक लाख पच्चीस हजार से भी अधिक में ओपन कन्टेन्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है। गूगल और डीएमओजेड (Dmoz) दोनों में ही खुला विषयवस्तु की श्रेणियाँ है। हार्वड ला यह शब्द प्रयोग

करता है । द न्यूयोर्क टाइम्स, द इकोनमिस्ट, एमआईटी टेक्नोलोजी, रिभ्यू वाएर्ड, रोएटर्स और दुसरे लोकप्रिय समाचार माध्यम हमारे बारे में उल्लेख कर रहे हैं । स्टैन्फोर्ड में साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) खुला विषयवस्तु को एक मुख्य प्रेरणा माना है । एमआईटी ने इसके विषयवस्तु को ओपन कोर्स वेयर पहल के रुप में खुला किया है । सीएमयू का खुला शिक्षण शुभारम्भ “ओपन लर्निङ इनिशिएटिव” है और दुसरे स्कूल भी इसे अपना रहे हैं । ओपीएल एण्ड सी के अन्तर्गत मुद्रित बहुत सी किताबे प्रकाशित हो चुकी हैं । मेरे विचार में हमने अच्छी शूरुआत की थी । मैं खुला विषयवस्तु बन्द कर रहा हु क्योंकि साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) अनुज्ञप्तीकरण के विकल्पों को उपलब्ध कराकर और भी अच्छा काम करा रहा है । और ये अदालत में लडने में सक्षम है ।

खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र के विकासक्रम में विल्ले के खुले हृदयपन की प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है । मेरे विचार में कृतिकारी ढाँचा से सहकार्यात्मक ढाँचा में पहुँचना एक अच्छा संकेत है । जैसे भी हो, हमें ये दोनो अनुज्ञापत्रों को समझना जरुरी है । पहला, अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत प्रकाशित कृति हमेशा ही प्रभावकारी है और रहेगें । दूसरा खुला विषय वस्तु के नमूने मे पहुँच ने के लिए प्रारम्भिक प्रयत्नो को सम्झना जरुरी है ।

खुला विषयवस्तु अनुज्ञा पत्र (ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्स)

संस्करण १.०, जुलाई १४, १९९८

दर्शन :

इस अनुज्ञापत्र ने फ्लोस मोडेल को अपनाया है और विषयवस्तु के बृहत संसार को समेटता है। कन्टेन्ट परिभाषित नहीं है। इसीलिए यह अनुज्ञापत्र किसी भी माध्यम में उपयोगी है। इस अनुज्ञापत्र की रुपरेखा प्राज्ञिक आवश्यकता को ध्यान मे रखकर तैयार की गई है ताकि लोगों को कृति आदन प्रदान करने में आसानी हो।

प्रदत्त अधिकार :

जीएनयू जीपीएल सामान्य सर्वाजनिक अनुज्ञापत्र के पदचिन्हों को आत्मसात करते हुए खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र पिछले प्रयोगकर्ताओं की स्वतन्त्रा के आधारगत क्षेत्र में सक्रिय है। इस अवस्था में तीन आधारगत स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

१. प्रति निकालने का अधिकार
२. विषयवस्तु को पुनर्वितरण करने का अधिकार
३. विषयवस्तु को परिमार्जन वा अद्यावधिक करने का अधिकार

यह कैसे काम करता है ?

यह अनुज्ञापत्र निम्न अनुमति देता है :

१. प्रति निकालने का अधिकार

२. विषयवस्तु का पुनर्वितरण करने का अधिकार

जब आप खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र अन्तर्गत एक कृति अनुज्ञप्तिकरण करते हैं तो आप खुला विषयवस्तु के कोई भी माध्यम में हूबहू प्रतिरुप का वितरण और प्रति निकालने का अधिकार अनुज्ञापत्रधारी को प्रदान करते हैं, लेकिन अनुज्ञापत्रधारी को निम्न लिखित शर्तों का भी पालन करना होगा :

- उसे प्रत्येक प्रतिलिपी में उचित प्रतिलिपी अधिकार सूचना और सुरक्षण की नामन्जूरी स्पष्ट और समुचित ढंग से प्रकाशित करनी होगी ।
- किसी भी प्रकार के सुरक्षण के अभाव और अनुज्ञापत्र के सन्दर्भ में लागू होने वाली सभी सूचनाएँ सही ढंग से बनाए रखनी होगा (नीचे देखें) और प्रत्येक खुला विषयवस्तु प्रापक को इसी के साथ अनुज्ञापत्र की एक प्रति भी देनी होगी ।

सुरक्षण दफा सम्बन्धी टिप्पणीः

जीएनयू जपीएल (सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञापत्र) से ही लाइसेन्सिगं मोडेल अनुज्ञापत्रों का एक मुख्य भाग यह है कि साफ्टवेयर संरक्षण के बिना आता है । सभी खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र जो जीएनयू जीपिएल की परम्परा को अपनाता है, उन सभी का सुरक्षण बिना की दफा महत्वपूर्ण है । यह आधारगत रुप में अनुज्ञापत्र जारी करने वाला विषयवस्तु के प्रयोगकर्ता की औरौं से किए जाने वाले कानूनी दाबों से बचाता है क्योंकि अनुज्ञापत्र जारी करना तो कृति को जस का तस उपलब्ध करना मात्र है और इस पर कोई भी सुरक्षण उपलब्ध नहीं होता हैं । खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र अन्तर्गत अनुज्ञापत्रवाहक को माध्यम के लिए शुल्क लेने की अनुमति दी गई है जैसे (फ्लॉपी डिस्क, सीडी रौम आदि) अथवा कोई

और आफलाइन प्रयोग के लिए खुला विषय वस्तु प्रतिलिपी सृजना करने के क्रम में समेटे गए अवस्था में ।

अनुज्ञापत्रवाहक खुला विषयवस्तु में निर्देशनात्मक सहयोग के लिए शुल्क लगा सकता है, आप अपने तजवीज में शुल्क के बदले सुरक्षण भी प्रदान कर सकते हैं । विषयवस्तु सुरक्षणयुक्त ना होने के कारण यह सुरक्षण कम और सेवादस्तूर जैसी बात ज्यादा है ।

अनुज्ञापत्रवाहक इस तरह खुला विषयवस्तु (ओपन कन्टेन्ट) के लिए शुल्क नहीं ले सकता है अथवा कोई ठोस माध्यम को समावेश नही किए हुए अवस्था में यह उपलब्ध करा के (जैसे : किसी को इन्टरेनट वा एफटीपी मार्फत भेज कर) शुल्क नहीं ले सकता ।

३. अद्यवाधिक करने वाले अधिकार

अनुज्ञापत्रवाहक कृति का रुपान्तर वा परिमार्जन कर सकता है । यह परिमार्जित और रुपान्तरित कन्टेन्ट (विषयवस्तु) उपर आधारित कृति होती हैं और खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र की ही सर्तावस्था में वितरित हो सकती है ।

इसके अतिरिक्त अनुज्ञापत्र को निम्न ठहर भी करना होगा :

- रुपान्तरित विषयवस्तु के साथ मुख्य सूचना के कागजात साथ कोई फेरबदल कि सूचना के साथ उसकी तिथि भी साथ होनी चाहिए ।
- परिमार्जित और रुपान्तरित कृति के कार्य अनुज्ञापत्र के शर्त अन्तर्गत सभी तीसरे पक्ष को बिना शुल्क के इजाजतीकरण करना होगा ।

यह शर्तें खुला विषयवस्तु के आधार पर खडी कृति और वह कृति जो दुसरे आधारों पर खडी है, उस पर भिन्नता निकालने के सन्दर्भ पर लागू नहीं होनी है । उदाहरणस्वरुप, आप एक कविता संग्रह ले सकते हैं, जिसमें कुछ कविताएँ खुला विषयवस्तु पर आधारित हैं तो वहीं बाकी दूसरी नहीं हैं । इस अवस्था में यह नहीं समझना चाहिए कि पूरी संग्रह ही ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्स के अन्तर्गत सक्रिय है ।

खुला प्रकाशन अनुज्ञा पत्र (ओपन पब्लिकेशन लाइसेन्स)

संस्करण १.० जून ८, १९९९

यदि आप काई सामान्य किताब खोलेंगे तो पहले ही पन्ने में कुछ इस तरह के लेख पाएंगे "सभी अधिकार सुरक्षित । इस किताब की कोई भी भाग पूरे वा आंशिक रुप में प्रकाशकों के अनुमति बिना पुर्नउत्पादन वा विरतण नहीं किया जा सकता हैं ।"

यह एक नमूना प्रकाशन अनुज्ञापत्र है, जिसका अर्थ यह है कि आप किताब का प्रयोग सिर्फ पढने में ही कर सकते है । यदि प्रसंगवश आप संग्रहित कर बाहर लाना चाहते है तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकी पूर्नउत्पादनक का अधिकार आपके पास नहीं है ।

इसके विपरीत खुला प्रकाशन अनुज्ञापत्रों ने सभी प्रकाशनों को पुनर्उत्पादन, वितरण और रुपान्तरण के लिए स्वतन्त्रता उपलब्ध करना चाहा है ।

लागू होने वाले माध्यम

अब यह प्रयोग में नहीं है। किसी भी किस्म के दस्तावेज में यह प्रयोग किया गया था, तो यह बात उल्लेख करने योग्य है कि यह अनुज्ञापत्र, खुला विषयवस्तु अनुज्ञापत्र की शुरु के पुस्ता होने के कारण प्रष्ट नहीं है। यदि प्रकाशन के उद्देश्य के लिए है तो साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) और यदि अनुज्ञापत्र वा दस्तावेज के उद्देश्य के लिए है तो जीएनयू फ्रि डकुमेन्टेशन लाइसेन्स प्रयोग करना उचित होगा।

यह कैसे काम करता है ?

अनुज्ञापत्र के दफा ६ में प्रष्टता का अभाव होना ही प्राथमिक कारण है जिससे की एक व्यक्ति निश्चित अनुज्ञाप्तीकरण विकल्प वा बन्दिशों को लगा सकता है, जिससे अनुज्ञापत्र का स्वभाव बदल जाता है और खुला अनुज्ञापत्र के बदले तुलनात्मक रुपमें नन् फ्रि (बन्द) अनुज्ञापत्र में बदल जाता है।

अनुज्ञापत्र की दफा ६ ने अनुज्ञापत्र जारी करने वाले को एक दूसरा दफा जोडने की सामर्थ्यता देता हुआ कहता है कि "अनुज्ञापत्र वाहक की अनुमती के बिना कोई भी अस्तित्वपूर्ण रुपान्तर और विवरण नहीं किया जा सकता है। उसी अनुज्ञापत्र में यह दो किस्म के अनुज्ञापत्र का काम सम्पन्न करने कि कोशिश कि गई है। यहाँ अनुज्ञापत्रवाहक और प्रयोगकर्ता दोनों को दुविधा मे डाल सकता है। साझा सृजना (क्रिएटिव कॉमन्स) ने इस समस्या को बहुत विकल्पों से सुल्झाया है ताकि यदि आप लोगों को कृति के रुपान्तरित संस्करण के वितरण से सहमति नही है तो वह समग्र में दुसरे अनुज्ञापत्र डाल सकते है।

ढाँचा विज्ञान अनुज्ञापत्र (डिजाइन साइन्स लाइसेन्स)

कॉपीराइट © १९९९-२०००
http://www.rare-earth.magnets.com/magnet_university/design_science_license.htm

ढाँचा विज्ञान अनुज्ञापत्र (डिजाइन साइन्स लाइसेन्स) एक सामान्य प्रतिलिपि अधिकार हस्तान्तरण अनुज्ञापत्र है और यह सब प्रकार के कार्य वा कृति को अटाने में प्रयासरत है लेकिन निश्चित रुप में यह सञ्चार माध्यम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

ढाँचा विज्ञान अनुज्ञापत्र के सिद्धान्त

इस अनुज्ञापत्र का प्राक्यकथन साधारण वाक्य से शुरु होता है जो यह वर्णन करता है कि प्रतिलिपी अधिकार हस्तान्तरण क्या करना चाहता है । यह प्रतिलिपी अधिकार के असमावेश किये जाने की अवस्था के विरुद्ध में खडा पाया गया है । यह विज्ञान और कला के अभ्यास के लिए ‘सामाजिक सान्दर्भिकता’ के भीतर प्रष्ट रुप से कहता है कि ‘ढाँचा विज्ञान अनुज्ञापत्र’ वातावरण का सुधार (मनुष्य का नहीं) कर सम्पूर्ण जीवनस्तर में सुधार लाने हेतु शिल्पतथ्य के विकास की रणनीति है । यह ढाँचा विज्ञान अनुज्ञापत्र वातावरण के सुधार द्वारा विज्ञान और कला के प्रगति प्रवर्द्धन के लिए लिखा है तथा उसी के लिये इसकी स्थापना की गयी है ।

यह लागू होने वाला माध्यम

प्रतिलिपी अधिकार के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कृति के लिए यह अनुज्ञापत्र सामान्यत: प्रयोग किया जा सकता है। इसमें “कार्य वा कृति” की परिभाषा के भीतर कोई भी व्युत्पन्नात्मक कार्यकृति ढांचा विज्ञान अनुज्ञापत्र (डीएसएल) के अन्तर्गत सृजना किया जा सकता या समेटा जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएसएल में दोनो वस्तु स्वरुप (अब्जेक्ट फॉर्म), प्रस्तुति फॉर्मेट (ढाँचा) में कार्य कृतियाँ जैसे पीडीएफ वा एमपी थ्रि फाइल और स्रोत तथ्यांक (सोर्स डाटा) व फाइल, जहाँ कार्यकृति का उद्गम था या है उसे भी इसके सर्तावस्था में वितरण करना होगा। और उन फाइलों को भी करना होगा जो फाइलें कृति को जोडने, विन्यास (कन्फिगरेशन) और सङ्ग्रहण के लिए आवश्यक होती है।

उदाहरण: यदि एक कृति जो टेक्सट फॉर्मेट में है यदि उसे ला टेक्स (LaTeX) फर्मेट में सम्पादित किया गया है तो उद्गम का ला टेक्स फाइल स्रोत तथ्यांक है और पीडीएफ दस्तावेज, जो इसके आधार पर बनता है, वह वस्तुस्वरुप है और यदि कृति एमपी थ्रि फाइल है, जो सिक्वेन्सर प्रोग्राम से आयात किया गया है तो शुरु कि सिक्वेन्सर फाइल ओर प्रयोग हो चुके सभी ध्वनी सैम्पल स्रोत तथ्यांक बन जाता है।

प्रदत्त अधिकार

यह अनुज्ञापत्र प्रयोगकर्ता को कृति का प्रतिलिपि निकालने, वितरण और रुपान्तर करने का अधिकार देता है।

यह कैसे काम करता है ?

१. प्रति निकालने का अधिकार

यह अनुज्ञापत्र कृति के प्रतिलिपियाँ के समस्त स्रोत तथ्यांक को कोई भी माध्यम में वितरण और प्रकाशन करने का अधिकार प्रदान करता है, यदि सभी प्रतियाँ में स्पष्ट प्रतिलिपी अधिकार सूचना दी गयी है और सुरक्षण दाबी किया गया है और साथ ही कृति के साथ अनुज्ञापत्र की एक प्रति भी वितरित की गयी है ।

कृति कार्य के वस्तु स्वरुप को वितरण और प्रकाशन के हक में निम्न अवस्था मध्य एक को पूरा करना होगा :

- यह अनुज्ञापत्र के अवस्था और शर्त अन्तर्गत विरतण के साथ स्रोत तथ्याङ्क (सोर्स डाटा) समावेश होने चाहिए ।
- वितरण के साथ लिखित प्रस्ताव सम्मिलित होना चाहिए जो कम से कम तीन वर्ष या जब तक वितरण छापा खाने में हो के लिये मान्य हौ और साथ में सार्वजनिक पहुँच योग्य पता होना चाहिए (जैसे, इन्टरनेट का युआरएल) जहाँ से यातायात एवम माध्यम के खर्च से अधिक शुल्क बिना दिये कोई भी स्रोत तथ्याकं का एक प्रति प्राप्त कर सकता है ।
- बिना मुल्य सोर्स डाटा प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष का लिखित प्रस्ताव वितरण के साथ होना चाहिए है । यह विकल्प उस अवस्था में मात्र मान्य होगा जब अनुज्ञापत्रवाहक गैरव्यापारिक पार्टी हो और उसने कृति का यह वस्तु स्वरुप इस प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया हो ।

अनुज्ञापत्रधारक कार्यकृति को निःशुल्क वा शुल्क सहित प्रतिलिपी वितरण कर सकता है और यदि आवश्यक पडी तो सुरक्षण भी प्रदान कर सकता है ।

२. कृति वा कार्य रुपान्तर, परिमार्जन और अध्यावधिक करने का अधिकार

यह अनुज्ञापत्र कार्यकृति को रुपान्तर परिमार्जन तथा अद्यावधिक करने और व्युत्पन्नात्मक कार्य की सृजना करने का अधिकार उपलब्ध करता है । यदि–

- इस अनुज्ञापत्र अन्तर्गत नयाँ व्युत्पन्नात्मक कार्यकृति का प्रकाशन हुआ हो ।
- व्युत्पन्नात्मक कार्य को नयाँ नाम दिया गया हो ताकि इसके नाम और शीर्षक के कारण इस कार्य या इसके संस्करण के साथ कोई दुविधा न हो ।
- कृति और कृति के नये व्यत्पन्नात्मक कार्य के लिए उचित कृतिकारिता का श्रेय दिया गया हो । रचना का श्रेय अनुज्ञापत्रधारी को देना चाहिए और उद्दृत सामग्री का श्रेय मूल रचनाकार को देना चाहिए ।

बन्दिश नहीं हैं

अनुज्ञापत्रवाहक को कृति के उपर और उस पर आधारित कोई भी व्युत्पन्नात्मक अनुज्ञापत्र मे लगाए हुए बन्दिशों को छोड कोई और बन्दिश को जोड्ने कि अनुमति नहीं है ।

इएफएफ खुला ध्वनि अनुज्ञापत्र
इएफएफ ओपन अडियो लाइसेन्स

संस्करण १.०.१ टेक्सट संस्करण
संस्करण १.० [.0] के बाद कोइ भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ मुद्रण सम्बन्धी भूलो को ठीक किया गया है।

http://www.eff.org/IP/Open_Licenses/eff_oal.php

इएफएफ खुला ध्वनि अनुज्ञापत्र (ओपेन ऑडियो लाइसेन्स) जीएनयू जीपीएल पर आधारित है और संगीत एवम आडियो कार्यकृति के लिए लागु होती हैं ।

इएफएफ अर्थात इलेक्ट्रोनिक फ्रिडम फॉउन्डेशन एक गैरमुनाफा उन्मुख कार्यकर्मियों का सक्रिय समूह है और यह विभिन्न इलेक्ट्रोनिक अधिकारों, जैसे, आनलाइन प्राइवेसी के साथ-साथ उत्पादन और वितरण के विभिन्न तौर तरीकें की वकालत करते हैं । और डिजिटल अधिकार व्यवस्थापन (ऐसा प्राविधि जो प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण को निद्रेशित करता है) के विरुद्ध है ।

ईएफएफ ओपन अडियो लाइसेन्स का दर्शन

प्रस्तावना में प्रतिलिपी अधिकार साझा हस्तान्तरण कॉपीलेफ्ट (Copyleft) के सामान्य सिद्धान्तों को प्रष्ट रुप में उल्लेख किया है और डिजिटल क्रान्ति के सन्दर्भ में मौलिक अनुज्ञापत्र प्रकिया संयत्रों कि वकालत करता है जो लोगों को उनके कृति आदन प्रदान करने की अनुमति देते है । यह एक सजीव सार्वजनिक क्षेत्राधिकार (डोमेन) की सृजना में सहायता करके लोगौं को कृतियां उपलब्ध कराना चाहता है जिसपर वो आगे काम कर सकें ।

यह अनुज्ञापत्र स्वयं को :

“कलाकारों के लिए एक स्वतन्त्रत साधन मानता है जिससे वे अपने मौलिक कृति एक दुसरे और अपने प्रशंसक के पास पहुँचाँने कि इच्छा को पूरा कर सकते है। यह संगीतकर्मियों को सहभागितात्मक सृजना के लिए अनुमती देता है और खुला ऑडियो का एक सग्रह (पुल) निर्माण करने में सहयोग करता है जौ स्वतन्त्रपूर्वक परिमार्जन, आदन-प्रदान और सदुपयोग की अनुमति देता है। कलाकर्मी अनुज्ञापत्र के प्रयोग से प्रवर्द्धन और नयी सम्भव्यता का फाइदा लेते हुए सशक्तिकरण और स्वतन्त्रता के लिए आगे बढ सकते हैं , जो प्रविधि देता है।

यह सर्वसधारण को इस नए सगींत को अनुभव एवमं प्रत्यक्ष कलाकर्मी के साथ के सम्बन्ध की अनुमती देते है। और “भव्य वितरण” में सक्ष्मा बनाता है, जहाँ उन्हे रचना को कॉपी और वितरण करने के लिए बढावा दिया जाता है और पहले अप्राप्त नयाँ संगीत जगत का अनुभव करते हुऐ कलाकर्मी के प्रतिष्ठा मे वृद्धि करता है।

यह प्रस्तावना प्रष्ट करता है कि ईएफएफ बिक्री के सामान में इजाजत देने के क्रम में सहजता प्रदान नहीं करता है। यह अनुज्ञापत्र प्रचलित प्रतिलिपि अधिकार अनुज्ञापत्र से भिन्न है और जो कृतियों के अधिक पहुँच योग्य और परिमार्जन के लिए उपलब्ध कराने के दिशा में निर्देशित है।

यह कैसे काम करता हैं ?

यह अनुज्ञापत्र ईएफएफ ओपन ओडियो लाइसेन्स अन्तर्गत कोई भी कृति के लिए प्रभावकारी तथा उपयोगी है और जो (त्त) चिन्ह से अंकित होता है। ध्वन्यागंकन (रेकर्डिङ) के लिए

जब प्रयोग होता हे, तब यह अनुज्ञापत्र दोनो ध्वनी रेकर्डिगं और सगींत संरचना के और तत्वों (गीतकारों के अधिकार) को भी समेट लेता हैं ।

प्रदत्त अधिकार :

यह अनुज्ञापत्र निम्न अधिकार प्रदान करता हैं :

१. कृति की पहुँच वा प्रयोग का अधिकार
२. कृति कॉपी और पुनर्उत्पादनका अधिकार
३. कृति वितरण का अधिकार
४. कृति के परिमार्जन और सहायक कृति की सृजना का अधिकार
५. कोइ भी माध्यम में कृति के सार्वजनिक प्रदर्शनी का अधिकार (यह व्युतपन्नात्मक कार्य के लिए भी लागु होगा)

निम्न अवस्था में मात्र :

- मूल कृति वा ग्रन्थकार का परिचय उल्लेख हेा और सभी वर्णन विस्तार से उल्लेख होने चाहिए । यह भौतिक माध्म जैसे संग्रह की आवरण सज्जा वा (डिजिटल माध्यम है तो) फाइल मे विस्तारपूर्वक वर्णन करने से भी किया जा सकता है ।
- कोई नया कार्य जो इस पर विकसित किया जाता हो वा समेटा गया हो तो नयी कृति अनुज्ञापत्र उन्हीं शर्त और अवस्था में अनुज्ञापत्रित करानी चाहिए । (यह योगजन्य अथवा जोडजाड संग्रहित करने के मामले में लागू नहीं होता है, (जैसे, उदाहरण के लिए संकलन 'एनथोलोजी') ।

एथिमोनिक्स फ्रि म्युजिक लाइसेन्स (एथिमोनिक्स स्वतन्त्र संगीत अनुज्ञा पत्र)

संस्करण १, अगस्त २०००

http://www.ethymonics.co.uk /fmlinfo.html

एथिमोनिक्स एक छोटी संगीत कम्पनी है जो खुला संगीत बेचती है । संगीत फ्रि डाउनलोड करने से संगीत उद्योग व्यवसाय को क्षति पहुँचती है, इस आम अनुमान विपरीत एथिमोनिक्स लाइसेन्स फ्रि म्युजिक प्रयोग करने के ढाँचा से अनुज्ञापत्र मार्फत कलाकर्मी को प्रोत्साहन करने के सोच है ।

उनलोगों के अनुसार, "संगीत का प्रति औरों को बनाने कि अनुमति देकर और उन प्रतियों को बिक्रि के लिए भी देना संगीत का व्यापक प्रचार हैं । यदि आप संगीत पसन्द करते हे तो आप कलाकर्मी की सीडी खरिदेगें वा आप प्रत्यक्ष मन्चन देखना पसन्द करेगँ । एथिमोनिक्स एक कम्पनी हैं, जो खुला संगीत बेचता हैं । हम कलाकर्मी को रोयल्टी देते हैं । इसी लिए लोग हमारे पास से सीडी खरीदते हैं जिससे कलाकारों को सहयोग मिलता है. साथ ही उच्च स्तरिय सीडी भी प्राप्त करते हैं ।

एथिमोनिक्स स्वतन्त्र संगीत अनुज्ञा पत्र (एथिमोनिक्स फ्रि म्युजिक लाइसेन्स) दर्शन

अनुज्ञापत्र अपने में प्रस्तावना जीएनयू जीपीएल के सिद्धान्त और स्वतंत्र सॉफ्टवेयर खुला अभियान को पुनरुक्ति करता है कि फ्रि का मतलव मूल्यसम्वद्ध ना होकर स्वतन्त्रता सम्वद्ध है । तसर्थ यह एक ऐसा अनुज्ञापत्र है जो जीएनयू जीपीएल सिद्धान्त पर आसीन है। टेक्स्ट का प्रारुप के लिए देखे : http://www.ethymonics.co.uk /philos.html

यह प्रभावकारी होने वाला माध्यम है ।

यह अनुज्ञापत्र सागंतिक कार्य के लिए प्रभावशाली है जो रेकर्डिगं, मन्चन, सागींतिक प्रतिनिधित्व, और स्वरुपों वा कोइ भी व्युत्पन्नात्मक कार्य को सामिल करता है ।

प्रदत्त अधिकार

कृति प्राप्तकर्त्ता को यह अनुज्ञापत्र निम्न अधिकार प्रदान करता है:

१. **सागंतिक कार्य प्रति पहुँच का अधिकार**

२. **सागंतिक कार्यों का प्रति निकालने एवम वितरण का अधिकार**

अनुज्ञापत्रवाहक को निम्न पूर्वाधारों को पूरा करने के अवस्था में मात्र :

- प्रत्येक प्रति मे स्पष्ट के साथ सभी उचित रुप मे प्रतिलिपि अधिकार सूचना प्रकाशित करना,
- इस अनुज्ञापत्र मे उद्धत सभी सूचनाओं को सही ढंग से रखना,
- संगीत के प्रत्येक प्रति मे संगीत सम्वन्धी सभी महत्वपूर्ण सुचनाए कृति कार्य के शीर्षक, कलाकारों के नाम और श्रेय दिए गए कर्मचारी के नाम और ओहदे समावेश करना ।
- संगीत प्रापक को संगीत के साथ यह अनुज्ञापत्र का प्रति और वेबसाइट का पता जहां यह अनुज्ञापत्र उपलब्ध है । ऐसे अवस्था मे जहाँ उपर कही गई किसी भी सूचना का अंश उपलब्ध नहीं हो तो जैसे मञ्चन, रेकर्डिगं (ध्वन्यागंकन) कर संगीत प्राप्त करने की अवस्था मे यह सुचना अलग से प्राप्त करना होगा, और किसी भी प्रति में यह सूचना बिना रखे वितरण नहीं किया जा सकता है ।

३. **सार्वजनिक रुप में संगीत प्रस्तुति और मञ्चन करने का अधिकार**: उदाहरण के लिए यह अधिकार के बाद आप सहभागी श्रोता को कृति वा कार्य और कलाकार के नाम उपलब्ध कराते हैं। यदि ऐसा मञ्चन वा संगीत प्रस्तुति और परफॉरमेन्स की रेकर्डिग भी किया गया हो तो भी यह अनुज्ञापत्र के प्रावधान के भीतर ही रहेगा।

४. **रेकर्डिगं जो कि बज रहा संगीत और मञ्चन का परिणाम है** वह भी इस अनुज्ञापत्र द्वारा समेटा जाता है। जब इसका विषयवस्तु संगीत पर आधारित कृति का संरचना करता है,. तब श्रोता वा सहभागी को अनुज्ञापत्र उपलब्ध करना होगा।

५. **अनुज्ञापत्र उपलब्ध करने के अवस्था में** ऐसी रेकर्डिगं की प्रति निकालने का अधिकार होता है।

बन्दिश नहीं हैं

यह अनुज्ञापत्र अनुज्ञापत्रवाहक को ना ही खण्डित अनुज्ञापत्र निकालने और ना ही कृति वा कार्य का व्युत्पन्नात्मक कार्यों में कोई बन्दिश लगाने की अनुमति देता है।

और अधिक अध्ययन

ओपन सोर्स (खुला स्रोत)/फ्रि (स्वतन्त्र) सफ्टवेयर

योचाई बेन्कलर, कोअसेज पेनगुइन वा लाइनेक्स अन्ड द नेचर अफ द फर्म, याल एल. जौर, दिसेम्बर २००२, ३६९

मार्ग्नुस वेर्गक्विस्ट एन्ड जान ल्जुङवेर्ग। द पावर अफ गिफ्ट्सः अर्गनाइजिङ सोसिअल रिलेसनसिप्स इन ओपन सोर्स कम्युनिटिज। इन्फर्मेसन सिस्टम जर्नल ११(४) : ३०५ ३२० २००१

निकोआई बेज्रोकोभ। अ सेकेन्ड लुक एट द कथेड्रल एन्ड बजार। फस्ट मन्डे, ४(१२), डिसेम्बर १९९९

इ ग्राविएला कोलमोन एन्ड बेन्जामिन हिल। द सोसियल प्रोडक्सन अफ एथिक्स इन डेबिएन एन्ड फ्रि सफ्टवेयर कम्युनिटिज : अन्थ्रोपोलोजिकल लेसन्स फर भोकेसनल एथिक। इन स्टेफन कोच, सम्पादक, ओपन सोर्स सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पाताएँ २३७-२९५, आइडिया ग्रुप पब्लिसिङ हेर्से, पीए, २००४

क्रिस डी बोना, साम ओकमान और मार्क स्टोन, सम्पादक मण्डल, ओपन सोर्सेस : भोइसेस फ्रम द ओपन सोर्स रेभुलुसन। ओ रेइल्ली एन्ड एसोसिएट्स, क्याम्ब्रिज, मासाचुसेट्स, १९९९

जोसेफ फेल्लेर और बाएन फित्जेराल्ड। अण्डरस्टैण्डिंग ओपन सोर्स सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एडिसन - वेस्ले, लन्डन, २००२

रोवर्ट डब्लू हान (सम्पादक) गभरमेन्ट पोलिसी टुअर्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर, अईआई-बुकिङ्स ज्वाइन्ट सेन्टर फर रेगुलेटरी स्टडिज, २००२

ऋषभ अइएर घोष और विपुल वेद प्रकाश द अर्विटेन्ट फ्रि सफ्टवेयर । सर्भेमू फस्ट मन्डे, ५(७), जुलाई २०००

ऋषभ अइएर घोष कुकिङ कोर्ट मार्केट्स : एन इकोनोमिक मोडल फर द ट्रेड इन फ्रि गुड्स एन्ड सर्भिसेज अन द इन्टरनेट, फर्स्ट मन्डे ३ (३), मार्च १९९८

अन्ड्रिउस कुल्किकौसकस एन्ड डेविड एलिसन बे एन इकोनोमी आफ गिविङ एव्रिथिङ अवे http://www.ms.lt/en/workingopenly/givingaway.html

ब्रायन मार्टिन, अगेन्स्ट इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी http://www.danny.oz.au/free-software/advocacy/against_IP.html/

एवेन मोग्लेन अनार्किज्म ट्रिउम्फन्टः फ्रि सफ्टवेयर एन्ड द डेथ अफ कॉपीराइट, फर्स्ट मन्डे, ४(८), अगस्ट १९९९

जोन केल्से और ब्रुस स्कनेइर मू द स्ट्रिट पर्फमर प्रोटोकल एन्ड डिजिटल कॉपीराइट, फर्स्ट मन्डे ४(६), जुन १९९९

सन्दीप कृष्णमूर्ति : केभ और कम्युनिटि ? एन इम्पेरिकल इन्भेस्टिगेसन अफ वन हन्ड्रेड म्याचोर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, फस्ट मन्डे, ७(६), जुन २००२

डेभिड लङ्कासाइर : कोड, कल्चर एन्ड क्लास : द फेडिङ अल्टुइज्म अफ ओपन सोर्स डेभ्लप्मेन्ट, फर्स्ट मन्डे, ६ (१२), डिसेम्बर २००१

लॉरेन्स लेस्सिग : कॉमन्स एण्ड कोड, १९९९ फोर्डहैम इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, मिडिया एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट ल

ऊ मिङ : कल इट एज यु लाइक, इट्स फ्रिडम, एन्ड द्याट्स ह्वाट काउन्ट्स
http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/note_on_copyleft.html/

जान न्युमार्च : लेसन्स फ्राम ओपन सोर्स : इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी एन्ड कोर्सवर, फर्स्ट मन्डे, ६(६), जुन २००१

निराजन रञ्जनी : फ्रि ऐज इन एजुकेसन
http://www.itu.int./wsis/docs/background/themes/access/free_as_in_education_niranjan.pdf/

एरिक एस. रेमोन्ड : अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ ह्याकरडम, इन क्रिस डिबोना, सैम ओकमन और मार्क स्टोन, सम्पादक, ओपन सोर्सेज : वोइसेस फ्राम द ओपन सोर्स रेवलूशन, ओ रेइल्ली एन्ड एसोसिएट्स, क्याम्ब्रिज, मासाचुसेट्स १९९९

एरिक एस रेमोन्ड : द कथेड्रल एण्ड द बजार : मुसिगंस अन लाइनेक्स एन्ड ओपन सोर्स बोई एन एक्सिडेन्टल रेभुलुसनरी, ओ रेइल्ली एन्ड एसोसिएट्स, सेवास्टोकोल, क्यालिफोर्निया, १९९९

जोन सोडेरवर्ग : कॉपीलेफ्ट भर्सेस कपीराइट : ए मार्क्सिस्ट क्रिटिक, फर्स्ट मन्डे, ७ (३), मार्च २००३

रिचर्ड एम. स्टलमन : फ्रि सफ्टवेयर, फ्रि सोसाइटीः सेलेक्टेड एस्सेज अफ रिचार्ड एम. स्टलमन, जीएनयू प्रेस, बोस्टन, मासाचुसेट्स, २००२

रिचर्ड एम. स्टलमन : द जीएनयू अपरेटिङ सिस्टम एन्ड द फ्रि सफ्टवेयर मुभमेन्ट । इन क्रिस डिबोना, साम ओकमन और मार्क स्टोन, सम्पादक, ओपन सोर्सेस : भ्वाइसेस फ्रम द ओपन सोर्स रेवलूशन । ओ रेइल्ली एन्ड एसोसिएट्स, क्याम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, १९९९

रोबेट यङ । गिभिङ इट अवे : हाउ रेड ह्याट साफ्टवेयर स्टम्बल्ड अक्रस ए न्यू इकोनोमिक मौडल एन्ड हेल्प्ड इम्प्रूव एन इन्डस्ट्री, इन क्रिस डिबोना, सैम ओकमैन और मार्क स्टोन, सम्पादक, ओपन सोर्सेस : वोइसेस फ्राम द ओपन सोर्स रेवलूशन । ओ् राइल्ली एन्ड एसोसिएट्स, क्याम्ब्रिज, मासाचुसेट्स, १९९९

डेभिड जेइट्लिन । गिफ्ट इकोनोमिज इन द डेभ्लप्मेन्ट अफ ओपन सोर्स सफ्टवेयर : एन्थ्रोपोलोजिकल रेफ्लेक्सन्स, रिसर्च पोलिसी, ३२(७): १२८७-१२९१, २००३

सांस्कृतिक सम्पादन/प्रतिलिपि अधिकार और संस्कृति

योचाई बेन्कलर, एन अनहर्रिड भ्यु अफ प्राइवेट अडरिंग इन इन्फर्मेसन ट्रान्सजेक्सन, भान्डेर विल्ट ल रिभ्यु, २०६३

योचाई बेन्कलर, फ्रि ऐज द एअर टु कॉमन युज : फस्ट अमेन्डमेन्ट कन्सट्रेन्ट्स अन इन्क्लोजर अफ द पब्लिक डोमेन, न्युयोर्क युनिभर्सिटी ल रिभ्यु, १९९९, ३५४

जोसेफिन बेर्री, बेएर कोड : नेट आर्ट एन्ड द फ्रि सफ्टवेयर मुभमेन्ट, http://netartcommons.walkerart.org/article.pl?sid=02/05/0615215&mode=thread/

मार्गारिट चोन : न्यु वाइन वर्स्टिंग फ्रम वर्ल्ड बोटल्स : कोलाबोरटिभ इन्टरनेट आर्ट, ज्वाइन्ट वर्क्स, एन्ड इन्ट्रेप्रेनेरसिप, ओरेगन ल रिभ्यु, स्पिङ १९९६, २९७

बिएल्ला कोलमोन, द सोसियल क्रिएसन अफ प्रोडक्टिभ फ्रिडम : फ्रि सफ्टवेयर ह्याकिङ एन्ड द रिडेफिनिसन अफ लेबर, अथरसिप एन्ड क्रिएटिभिटी, http://www.healthhacker.com/biella/proposal.html

रोचेल्ल कुपर ड्रेफस, कोल्लाबोरटिभ रिसर्च : कन्फिक्लक्ट्स अन अथरसिप, ओनरसिप एन्ड अकौन्टबिलिटी, ५३ भान्ड एल. रेभ. ११६२

ब्राएन ड्रोब्निक, हाउ द ग्रेटफुल डेड टर्न्ड अल्टरनेटिभ बिजनेस एन्ड लिगल स्ट्राटेजिज इन्टु अ ग्रेट अमेरिकन सक्सेस स्टोरी, २ भान्ड. जे. एन्ट. एल. एन्ड प्राक. २४२

क्रिस्टोफर डी. हन्टर, कॉपीराइट एन्ड कल्चर, http://www.asc.upenn.edu/usr/chunter/

ऋषभ अइएर घोष, फ्रि सफ्टवेयर एन्ड द डेथ अफ कॉपीराइट प्राप्ति : http://www.firstmonday.org/

जोन इप्पोलिटो, वार्ड आर्ट सुड बि फ्रि, http://www.culturekitchen.com/archives/000482.html

लॉरेन्स लेस्सिङ, फ्रि कल्चर : पेन्गुइन, लन्डन, २००४, प्राप्तिः http://www.lessig.org

लॉरेन्स लिअङ, कॉपीराइट, कल्चरल प्रोडक्सन एन ओपन कन्टेन्ट लाइसेन्सिङ, मिडिया डिजाइन रिसर्च पिएट ज्वार्ट इन्स्टिच्युट, २००४
http:///www.pzwart.wdka.hro.nl/mdr/pubsfolder/lingessay

सेसर नुन्स, कोल्याबोरटिभ कन्टेन्ट क्रिएसन बाई क्रस लेभल स्टुडेन्ट्स, http://www.thinkcycle.org/tc-filessystem/file?fild_id=37480

नितिन सौहनी, कोअपरेटिभ इन्नोभेसन इन द कॉमन्स http://web.media.mit.edu/~nitin/thesis

पिटर सन्ड, सिन्स फ्रम द कोलोनिअल क्वाटवाक : कल्चरल एप्रोपिएसन, इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स एन्ड फेसन http://ist-socrates.berkeley.edu/~caforum/voume3/pdf/shand.pdf/

रुथ टोउस, कॉपीराइट पोलिसी एन्ड क्रिएटिभिटी इन द कल्चरल इन्डष्ट्रिज, http://www.cost-a20.iscte.pt/tromson/Copyright_Plolicy_and_Creativity.doc

रेयुबेन भान बेन्डेल डी जुडे एट अल, प्रोटेक्टिङ द भर्चुअल कॉमन्स, http://www.websterdictionary.org/definition/protecting%20the%20Virtual%20commons/

ओपन सोर्स (खुला स्रोत)/ओपन कन्टेन्ट (खुला विषयवस्तु) अनुज्ञप्तिकरण के कानुनी पक्ष

सेभेरिन डुस्सोलिएर, ओपन सोर्स एन्ड कॉपीलेफ्ट : अथरसिप रिकन्सिडर्ड ? कोलम्बिया जर्नल अफ ल एन्ड द आर्ट्स, समर २००३, २८१

भिन्सेन्ट भन डेन एइजन्डे, अउटेउरस्रेक्ट भुर ओन्टवेरपेर्स, बीएनओ, अम्सटर्डम, २००३

रोबोर्ट डब्लू गोमुल्किएविक्ज, हाउ कॉपीलेफ्ट युजेज लाइसेन्स राइटर्स टु सक्सिड इन द ओपन सोर्स सफ्टवेयर रेभुलुसन एन्ड द इम्प्लिकेसन फर आर्टिकल २ बी

रोबोर्ट डब्लू गोमुल्किएविक्ज, डेबगिङ ओपन सोर्स सफ्टवेयर लाइसेन्सिङ, युनिभर्सिटी अफ पिटर्सबर्ग ल । रेभ. ७५

डेभिड मकगोवन, लिगल इम्प्लिकेसन अफ ओपन सोर्स सफ्टवेयर, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=243237, xf}:6g n रेभ., स्पिङ १९९९

इरा भी. हेफ्फान, कॉपीलेफ्ट : लाइसेन्सिङ कोल्लाबरेटिभ वर्क्स इन द डिजिटल एज, ४९ स्टान. लभ.रेभ. १४८७

टेरेसा हिल, फ्रैग्मेन्टिङ द कॉपीलेफ्ट मुभमेन्ट :द पब्लिक बिल नट प्रेभेल, १९९९ युताह एल. रेभ. ७९७

नताशा होर्न, ओपन सोर्स सफ्टवेयर लाइसेन्सिङ : युजिङ कॉपीराइट ल टु इन्करेज फ्रि युज, १७ जीए. एसटी. यू. एल. रेभ. २६३

जेफ्री ली, ओपन सोर्स सफ्टवेयर लाइसेन्सेस एन्ड इन्नोभेसन, http://VirtualGoods.tu-ilmenau.de/2003/licenses_innovation_leejz.pdf/

स्टेफेन मकजोन, द पाराडोक्सेस अफ फ्रि सफ्टवेयर, ९ जीओ मासोन एल. रेभ २५

क्रिस्टिएन नादन, ओपन सोर्स लाइसेन्सिङ : भाइरस अर भर्चिउ ? टेक्सास इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी ल जर्नल, स्प्रिङ २००२, ३४९

साउन पोट्टर, ओपनिङ अप टु सोर्स, ६ रिच. जे. एल. एन्ड टेक. २४

जोस टेर्नर एन्ड जिन टिरोल, स्कोप अफ ओपन सोर्स लाइसेन्सिङ, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=359303

जासोन वचा, ओपन सोर्स, फ्रि सफ्टवेयर एन्ड द जेनरल पब्लिक लाइसेन्स, कम्प्युटर, एन्ड इन्टरनेट लयर, मार्च २००३, २०

शब्द संग्रह

ऐट्रिब्युशन (श्रेय)

सामानयत: ऐट्रिब्युशन का मतलब कोई भी संलग्न टेक्सट वा दूसरा भाग में जैसे चित्राकृती ध्वन्यागंकन में कोई भी रचना, कृति वा ग्रन्थकार को श्रेय देना वा उद्धत करना को समझा जाता है । माध्यम के किस्म के आधार पर उचित स्थान व चलन अनुसार ऐसा किया जाता है ।

ऑथर (कृतिकार,ग्रन्थकार और रचनाकार)

कृतिकार, ग्रन्थकार और रचनाकार का मतलब वह आदमी, कम्पनी वा कोई भी निकाय है जो रचनात्मक उत्पादन करता है । किताब के रचनाकार को लेखक कहा जाता है तो वहीं एक वेबसाइट के कृतिकार एक से अधिक लोग हो सकते हैं ।

सीज एन्ड डेसिस्ट लेटर

वकिल द्वारा भेजा गयी एक चिट्ठी जो प्रतिलिपि अधिकार के उल्लघन को बन्द करना का अनुरोध या दवाब करता है ।

कॉमन्स (साझा)

कॉमन्स मतलब वो सम्पदा या वस्तु है, जिसे साझा माना जाता है और जिस पर सभी का स्वामित्व होता है । इसे सम्पत्ति वा घट जाने वाले वस्तु के रुप में नहीं लिया जा सकता है । हवा कॉमन्स की एक अच्छा उदाहरण है ।

कॉपीलेफ्ट (प्रतिलिपि अधिकार साझा हस्तान्तरण)

यह वाक्याशं आकृतियों के विभिन्न माध्यम और स्रोत से मिश्रित कर अस्थायी ढंग से उपहार और डाकघर आर्ट (मेल

आर्ट) मार्फत उपलब्ध कराने के तरीके को बयान करते समय कलाकार **रे जोन्स** ने पहली बार प्रयोग किया था। यह वाक्यशं उसके बाद स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर विकासकर्ता इसे अपने प्रतिलिपि अधिकार के कानून परिवर्तन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

कॉपीराइट (प्रतिलिपि अधिकार)

यह कानूनों की एक समग्रता है जो शुरु में प्रकाशन के एकाधिकारिता को बचाने के लिए बनाया गया था। यह रचना, कृति, ग्रन्थकार और लेखक से खरीदा हुआ वा अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद उन्हें कृति प्रकाशन करने का अधिकार देता है।

क्रिएटर

आॅथर (लेखक देखें)

डेरिवेटिव वर्क (व्युत्पन्नात्मक कार्य,कृति या रचना)

डेरिवेटिव वर्क का मतलब किसी कृति वा रचना के पूरे या किसी अशं के प्रयोग से दुसरी संरचना तैयार करना है। उदाहरण के लिए, किसी सैम्पल पर आधारित संगीत व्युत्पन्नात्मक कार्य हेाता है। व्युत्पन्न के सिद्धान्त अनुसार उसमें उदगम की स्थिर बिन्दु होनी चाहिए। संस्कृति के एक सिद्धान्त के अनुसार यह प्रवाह, परिवर्तन और स्फुरित रुप में सहकार्य हुए आगे बढता है और परिणामतः सभी कृति वा रचना व्यतपन्नात्मक होती है।

फ्लोस

फ्रि/लीब्र एन्ड ओपन सोर्स साफ्टवेयर (अध्याय २ देखें)

फेयर यूज राईट (न्याय सगंत प्रयोग)

फेयर यूज अधिकार का मतलब है कि आपको प्राप्त स्वतन्त्र अनुमति है यदि आप प्राज्ञिक शोध कर रहे हैं वा किताब या वेबसाइट की समीक्षा कर रहे हैं तो अनुज्ञापत्रीत सामग्री को उद्धत कर सकते है ।

जीएनयू जीपीएल (सामान्य सार्वजनिक अनुज्ञापत्र)

जीएनयू जीपीएल
(http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html) अनलाइन सफ्टवेयरों की अनुज्ञापत्र है जो इन स्वतन्त्रताओं के अधिकारों को निरन्तरता देता है ।

“कोई भी उद्धेश्य के लिए प्रोग्राम (कार्यक्रम) चलाने की स्वतन्त्रता (फ्रीडम ०) । प्रोग्राम कैसे काम करता है, वह अध्ययन और आपके आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तन करने कि स्वतन्त्रता (फ्रीडम १) । स्रोत संकेत (सोर्स कोड) तक की पहुँच इसकी पूर्वावस्था है । प्रतियेां के पुर्नवितरण की स्वतन्त्रता जिससे आप दूसरों को सहयोग दे सकते हैं (फ्रीडम २) । प्रोग्राम सुधारने की स्वतन्त्रता और उस सुधार को सार्वजनिक रुप में निष्काशन या वितरण करना जिसके कारण सभी समुदायों को फायदा हो सके (फ्रीडम ३) । सोर्स कोड तक की पहुँच इसकी पूर्वास्था (पूर्व आवश्यकता) है ।” स्वतन्त्रता की यह परिभाषा स्वतन्त्र सॉफ्टवेयर फाउन्डेशन की वेबसाइट www.fsf.org से ली गई है ।

ग्रेटिस (निशुल्क)

बिना किसी शुल्क के

इनफ्रिन्जमेन्ट (उल्लंघन)

प्रतिलिपि अधिकार के सन्दर्भ में उल्लघंन मतलब हमेशा प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त सामग्री, ग्रन्थों को उसके लेखक ,कृतिकार वा स्वामी के अनुमती बिना प्रयोग की गई अवस्था है ।

लायबिलिटि (दायित्व)

कोई भी जिम्मेवारी, जो कार्य पक्ष से सम्बन्धित होता है।

लाइसेन्स (अनुज्ञापत्र)

एक दस्तावेज (कागज) जो सॉफ्टवेयर के टुकड्रों को या उससे सम्बन्धित और अशों के प्रयोग के सम्बन्ध में अवस्था निर्धारण करता है । प्रयोगकर्ता सामग्री प्रयोग के लिए अनुज्ञापत्र का निश्चित तरीके से प्रयोग करता है । यह प्रक्रिया सामाग्री मात्र कि उपयोगिता को बढाने के सोच से अनुज्ञापत्र को सुचीकृत करता है ।

ओपन कन्टेन्ट (खुला विषयवस्तु)

यहाँ इसे व्यापक रुप में लिया गया है । कन्टेन्ट (विषयवस्तु) मतलब कोई सामग्री डाटा, फाइल, आकृति या टेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर का अंग मात्र न हो कर डिजिटल प्रणालियों से चलाया जाता है । खुला विषयवस्तु (ओपन कन्टेन्ट) इस प्रक्रिया में वर्णित अनुज्ञापत्र मध्य किसी भी तरिके से उपलब्ध किया गया कोइ भी विषयवस्तु है । यहाँ वर्णित अनुज्ञापत्र मध्य एक 'ओपन कन्टेन्ट' (अध्याय ५ देखें) जो अभी क्रिएटिभ कॉमन्स प्रोजेक्ट ने वर्ग समायोजन कर यही शब्द (ओपन कन्टेन्ट) को प्रयोग कर चुका है ।

पियर टु पियर *(Peer2Peer - P2P)*

यह एक नेटवर्क (सन्जाल) में फाइल शेयर करने की प्रणाली है जो प्राय: इन्टरनेट पर होता है । पियर टु पियर प्रणाली वितरित सन्जाल में व्यवस्थित होता है और इसके कारण प्रयोगकर्ता केन्द्र (हब) और नोड (शाखा) दोनो बन जाता है । पियर टु पियर के विभिन्न उदाहरण हैं विट्टोरेनट, जीएनयू टेल्ला और कजा ।

प्रिअम्बल (प्रस्तावना)

अनुज्ञापत्रों के शुरुआती वाक्य जिनमें काननी रुप से प्रभावशाली भाग के शब्द समावेश होते हैं । प्रस्तावना कानूनी दस्तावेजों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और यह वर्णनात्मक रुप में होता है । इसमें कछ सोच और तौर तरीकें को प्रस्तुत किया गया होता है ।

प्रोप्राइटरी (स्वामित्व)

कम्पनी के स्वामित्व में रहने वाले वस्तु , जो ऐसे ढाँचे में होता है जिनका स्रोत सकेंत (सोर्स कोड) तक पहुँचने कि अनुमति नहीं होती है ।

पब्लिक डोमेन (सार्वजनिक अधिकार)

प्रतिलिपि अधिकार के बिना ही कोई भी प्राप्त करने वाली सेवा या वस्तु ही पब्लिक डोमेन है ।

नन रीवोकेबल (अप्रतिसंहार्य)

कोइ अनुज्ञापत्र सार्वजनिक हो जाने के बाद यदि उस की शर्तावस्था में कछ बदलाव लाया जा सकता है तो उसे रीवोकेबल कहा जाता है । लेकिन प्राय: अनुज्ञापत्र अप्रतिसहांर्य होता है।

रोयल्टीज (कृतिस्व)

यह प्रकाशक, वितरक वा अन्य अपना मुनाफा लेने के बाद कृतिकार, रचनाकार वा ग्रन्थकार को समानुपातिक रुप में देने वाला प्रतिशत मुनाफा है। (प्रायः बडा प्रतिशत प्रकाशक व वितरक के पास जाता है।)

सोर्स कोड (स्रोत सकेंत)

प्रोग्रामर दारा प्रोग्रामिगं लैंगवेज में करने वाला काम को सोर्स कोड कहते हैं। स्वतन्त्र साफ्टवेयर के लिये सोर्स कोड में पहुच, इसमें सुधार करने का प्रावधान होना चाहिए।

वर्बाटिम कापी (शब्दशः,अक्षरशः)

एक पूरा अशं जिसमें थोडी सी भी फेरबदल न करके हूबहू उतारा गया हो।

वारन्टी (प्रत्याभूती या सरक्षण)

वारण्टी वास्तव में ग्यारेन्टी जैसी होती है, जो वस्तु वा सेवाओं का निश्चित स्तर निर्धारण करता है। जो इस बात का दावा करता है कि वह सामान्य परिस्थिति में अयोग्य नहीं होता है और काम के लिए उपयोगी होता है । प्रायः सॉफ्टवेयर वारन्टी बिना ही बनाई जाती है।

कोलोफोन

लेखक के बारे में

लॉरेन्स लिअंग बैंगलोर स्थित अल्टरनेटिव लॉ फोरम (एएलएफ) के कानूनी अनुसन्धानकर्ता हैं। नयी दिल्ली स्थित सराय के साथ एक संयक्त अनुसन्धान परियोजना इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी एन्ड द नॉलेज/कल्चर कॉमन्स में कार्यरत उनके चार मुख्य क्षेत्र कानून, प्रविधि, सस्कृति और प्रतिलिपि अधिकार की राजनीति है। सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स (खुला स्रोत) अभियान के व्यग्र पक्षपाती लॉरेन्स खुला स्रोत सम्बन्धी सोच को सास्कृतिक पहुँच (कल्चरल डोमेन) में रुपान्तर करने में कार्यरत हैं। सराय के साथ सहकार्य में उन्होंने ओपस, जो कलाकर्मी और आम संचार माध्यम कार्यकर्ता के लिए एक अनलाइन सहकार्यात्मक (कोलैबोरेटिव) प्लैटफार्म है, उसके लिए अनुज्ञापत्र लिखा। उनके प्रतिलिपि अधिकार फ्रि सॉफ्टवेयर और आम माध्यम कार्य क्षेत्र सम्बन्धी बहुत से लेख हैं। सन् २००४ में वो रोट्टरडैम की पिट ज्वार्ट इन्सिटच्युट के मिडिया डिजाइन रिसर्च के अनुसन्धान में सहभागी हुए थे।

अल्टरनेटिव लॉ फोरम : **http://www.altlawforum.org**

सराय : **http://www.sarai.net**

ओपस : **http://www.opuscommons.net**

इस पुस्तिका के विषय में आप अपने जवाब और टिप्पणी bellanet@sapnepal.org.np में भेज सकते हैं।